खण्ड-425, अंक-5
शुक्रवार, 19 आषाढ़, शक संवत् 1920
(10 जुलाई, 1998 ई0)

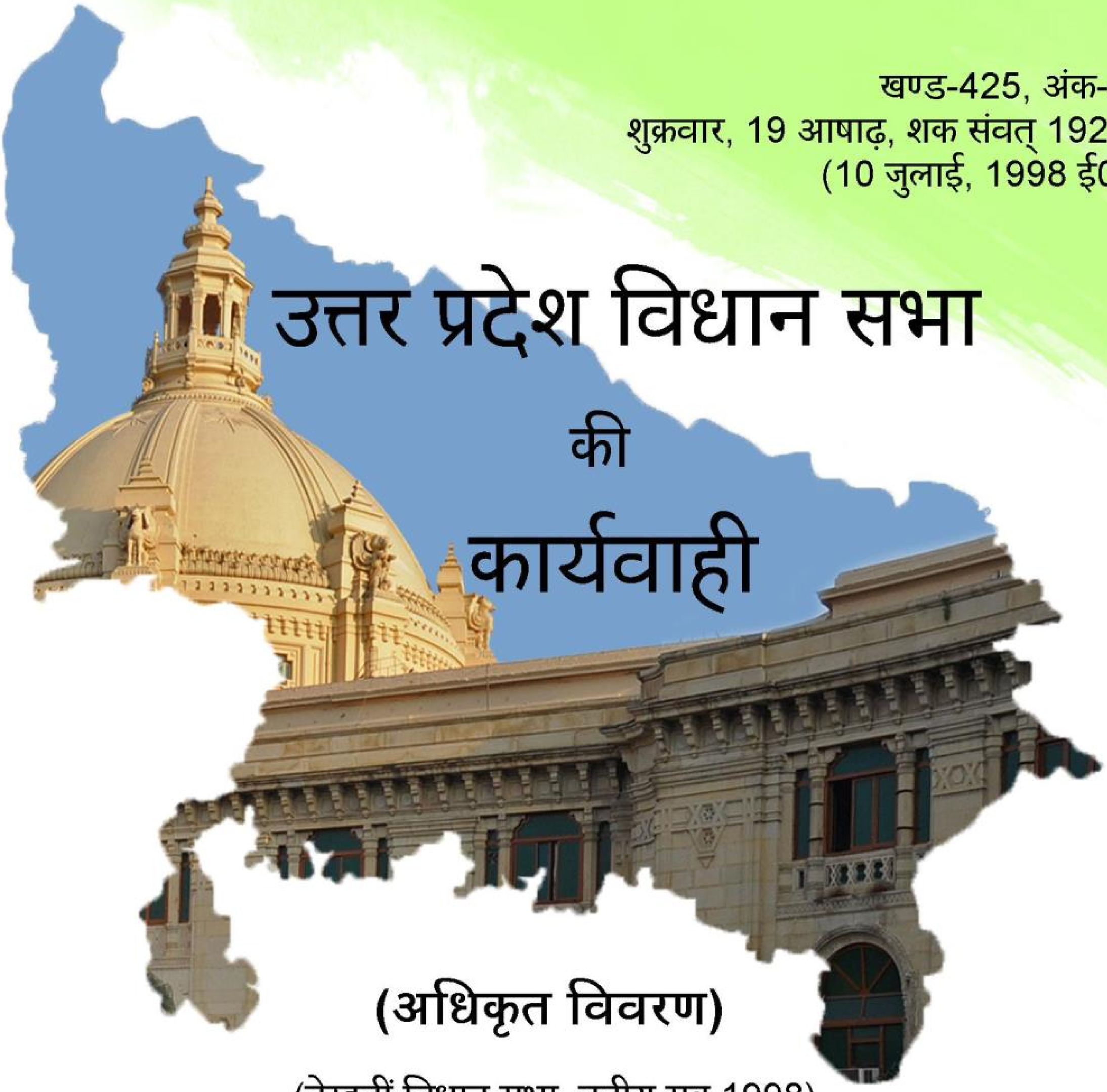

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 425 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग–घ
विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1–86
नियम 301 की सूचनायें	86
ग्राम कटवा तहसील घनघटा जिला सन्त कबीर नगर में भूमिहीन अनुसूचित जाति के ग्राम समाज की जमीन पर काबिज लोगों को न हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
प्रतापगढ़ सदर, विधान क्षेत्र के कोटे में स्वीकृत हैण्डपम्प को लगवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
नगर परिषद् टाण्डा अम्बेडकर नगर की विद्युत आपूर्ति में सुधार कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद फतेहपुर के हसवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोठडार के कई डेरों में होली के दिन घटित घटना की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत गोला अलीगंज से बिजवा मार्ग का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	88
जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा 10 कि०मी० पटरी पक्की करने में की जा रही कथित अभिकताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद सीतापुर के बेहटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मदमरा नियमों का उल्लंघन कर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाने की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	89
उत्तरांचल विकास विभाग के संबंध में उत्तरांचल विकास मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के विपरीत मंत्रि-परिषद् की उपसमिति की घोषणा सदन के बाहर सार्वजनिक किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	89
जनपद बहराइच में पंचायत भवनों, पशु चिकित्सालयों का शिलान्यास जिलाधिकारी द्वारा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	90
विभागीय स्थायी समितियों के गठन के संबंध में अध्ययन हेतु समिति के सभापति एवं सदस्यों की घोषणा	90
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल, आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	91
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति की 72 वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	91

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति की 73 वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	91
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति की 74 वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	92
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	92
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	95
जिला पिथौरागढ़ के गंगोली घाट में नया महाविद्यालय खोले जाने विषयक प्रश्न का उत्तर उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा न देकर उत्तरांचल विकास मंत्री द्वारा दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	98
प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये कन्टीनेन्टल फ्लोर ग्लास फैक्ट्री बरगढ़ जिला छत्रपति शाहू जी महराजनगर का शीघ्र चालू कराने संबंधी संकल्प का स्थगन	125
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित)	126–130
वित्तीय वर्ष 1998 से 99 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 01–आबकारी विभाग (स्वीकृत)	130
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं–	131
मेरठ नगर में प्रतिदिन सड़कों पर आ रहे कूड़े के निवारण हेतु कचरे से बिजली बनाने की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	132
जनपद बहराइच के थाना जरवल रोड की पुलिस द्वारा ग्राम मीरगंज में सुन्नी समुदाय के कुछ मुसलमानों को लूटपाट कर आतंकित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	132–133
जनपद अलीगढ़ के खैर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टप्पल ब्लाक के किसानों की हजारों एकड़ जमीन यमुना नदी के कटान से हरियाणा प्रान्त में चले जाने तथा हरियाणा और दिल्ली के भू-माफियाओं द्वारा किसानों की जमीन क्रय कर आतंक का वातावरण बनाये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	134
नत्थी	135–136

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा
अजय भट्ट, श्री	अल्मोड़ा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
के० सी० सिंह, "बाबा"	उधम सिंह नगर
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटेलाल, श्री	हरदोई
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जय प्रकाश निषाद, श्री	देवरिया
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
भारत सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मातबर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री	गढ़वाल
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रघुवर दयाल वर्मा, श्री	फिरोजाबाद
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू" श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा०	बिजनौर
शिव शंकर सिंह, श्री	बांदा
श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, डाला चुर्क फैक्ट्री के हजारों मजदूर गेट पर मौजूद हैं, अध्यापक संघ के लोग भी हड़ताल पर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस पर नियम 56 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है। वह चयनित कर ली गई है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हजारों की तादाद में लोग गेट पर भूखे बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें। नियम 56 में इस विषय की सूचना को स्वीकार कर लिया गया है।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, नियम 311 में हमने सूचना दी है। कल ज्योति बा फुले नगर में वीरेन्द्र.....

श्री अध्यक्ष–

आप यह देख लीजिए कि आपकी सूचना शलाका में आई है कि नहीं। अगर नहीं आई है तो हम आपस में मिलकर इसका कोई रास्ता निकाल लेंगे। कैसे संज्ञान में लाई जाए।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

इसके लिए समय निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

आप पहले देख लें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में रिक्त पदों पर नियुक्तियों की जानकारी

**1–श्री लाखीराम जोशी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998 के प्रथम विधान सभा सत्र के समय सरकार द्वारा प्रदेश में एक लाख दस हजार रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की घोषणा के संदर्भ में समस्त रिक्त पदों पर अब तक नियुक्तियां कर ली गयी हैं ? यदि हां, तो कब और कितने पदों पर ? उत्तरांचल क्षेत्र में नियुक्तियों का विवरण क्या है ? शेष रिक्त पदों पर नियुक्तियां कितने समय में कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई समय–सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

चयन एक समय साध्य प्रक्रिया है, इसलिए इसके कोई समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री लाखीराम जोशी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था पिछले विधान सभा सत्र में सरकार ने घोषणा की थी कि एक लाख दस हजार रिक्त पदों पर भरती की जा रही है । मैंने पूछा कि रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली है । इन्होंने कहा जी नहीं । क्या रिक्त पदों पर अभी भी प्रतिबन्ध लगा हुआ है ?

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

समूह "ग" के अन्तर्गत जो प्रतिबन्ध था वह हटा लिया गया है । समूह "घ" के पदों पर अभी भी प्रतिबन्ध है ।

अभी शीघ्र इसी महीने में शासनादेश जारी कर दिया है । उसकी प्रक्रिया निर्धारित कर दी है । सात जुलाई से विज्ञप्ति जारी करना शुरू कर दिया गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं एक लाख 10 हजार की जो नियुक्तियां होंगी उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है । इन पदों के लिए क्या बजट में अलग से धन का प्राविधान किया गया है ?

श्री हुकुम सिंह–

यह नए पद नहीं सृजित किए गए हैं जो पूर्व में रिक्त पड़े पद हैं उनकी भरती पर प्रतिबन्ध लगा था । वह प्रतिबन्ध हटा लिया गया है । इसके लिए नए बजट की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस सरकार ने यह स्पष्ट घोषणा की है कि एक लाख दस हजार नियुक्तियों का सृजन होगा । इसके लिए न समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं । न अलग से बजट में प्राविधान कर रहे हैं । तो क्या अतिशीघ्र का मतलब इसी वित्तीय वर्ष में होगा अथवा नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

19 जून में यह आदेश निर्गत कर दिए गए हैं कि 7 जुलाई, 1998 से 31 जुलाई, 1998 के मध्य समूह "ग" के रिक्त पदों की विज्ञप्ति करने की कार्यवाही पूरी कर ली जाए ।

श्री अध्यक्ष–

नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है । उसमें समय लगता है । प्रार्थना पत्र मंगाये जायेंगे और फिर उनकी जांच होगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, यह बतायेंगे कि इसी वित्तीय वर्ष में वह 1 लाख 10 हजार पदों पर नियुक्तियां सुनिश्चित कर लेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, समूह (ग) की यह रिक्तियां हैं । 1 लाख 10 हजार की घोषण तो की नहीं गयी है । सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है । आपने तो प्रतिबन्ध लगाया था । हमने पारदर्शी प्रक्रिया

अपनाये जाने के लिए नियमावली भी प्रकाशित कर दी है और उसे प्रत्येक हेडआफ द डिपार्टमेन्ट को जारी भी कर दी है और कहा गया है कि वह विज्ञापन जारी करके चयन प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बतायें कि समूह "घ" में प्रदेश में कितनी नियुक्तियां होनी हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, समूह "ग" में कुछ स्वीकृत पद हैं 3 लाख 52 हजार 7 सौ 96 और रिक्ति पद हैं 44805 । इन रिक्त पदों को भरने की नियमावली बना दी गयी है और उसे सभी हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट को जारी कर दिया गया है कि वह चयन प्रक्रिया इसके हिसाब से प्रारम्भ कर दें ।

श्री लाखीराम जोशी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, बताने की कृपा करें कि उत्तरांचल क्षेत्र में समूह "ग" में कितनी रिक्तियां हैं और इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी तो रिक्तियां समूह "ग" की हैं । समूह "घ" पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने कई नये जिलों का सृजन किया था परन्तु आज तक उनमें चपरासी से लेकर सी०डी०ओ० तक की नियुक्ति नहीं की गयी है । क्या माननीय मंत्री इन नियुक्तियों को करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से हटकर है ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, इस सरकार के तमाम बयान आ रहे हैं 1 लाख 10 हजार नियुक्तियां होनी हैं और उन पर बी०जे०पी० के कार्यकर्ताओं को भरा जाना है क्या सरकार की यही भावना हैं ?

श्री अध्यक्ष–

इसकी अनुमति नहीं है । मैं प्रश्न संख्या–2 ले रहा हूं ।

उ० प्र० सचिवालय में पांच दिवसीय सप्ताह लागू किये जाने का मामला का विचार

**2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सरकार द्वारा प्रवर्तित उ० प्र० सचिवालय में लागू पांच दिवसीय सप्ताह सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार केन्द्र सरकार की भांति उ० प्र० सचिवालय में पुनः पांच दिवसीय सप्ताह लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

पांच दिन के बजाय छः दिन का कार्य दिवस किये जाने का निर्णय कर्मचारियों को होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों तथा कार्य कुशलता की गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण लिया गया था । इससे जन-साधारण, विभागाध्यक्षों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को भी असुविधा हो रही थी ।

उक्त कारणों से ही अब पुनः छः के स्थान पर पांच दिवसीय सप्ताह किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले 5 दिवसीय सप्ताह था तो यह पांच दिवसीय सप्ताह की घोषणा सरकार ने किस आधार पर की थी ? उसके क्या मानक थे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मानक यह था कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों में यह व्यवस्था थी। हमने भी उस व्यवस्था को अपने यहां लागू करने का प्रयास किया और लागू किया। केन्द्र सरकार ने सम्भवतः सारी बातों पर विचार करने के बाद यह व्यवस्था लागू की होगी। हमने पहले इसे सचिवालय में ही लागू किया अन्य विभाग में यह व्यवस्था नहीं की गई। परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि सुविधा के स्थान पर असुविधा हो रही थी क्योंकि कार्य अवधि प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक थी सर्दियों के दिनों में कठिनाई होती थी। बाकी विभाग शनिवार को खुलते थे और वहां काम होता था और सामन्जस्य नहीं हो पा रहा था इसलिये इन सब बातों को देखते हुए कर्मचारियों के हित में और शासकीय कार्य हित में भी इसको 6 दिवसीय सप्ताह कर दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह तो दिल्ली से तुगलकाबाद और तुगलकाबाद से दिल्ली वाली सरकार है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चहता हूं कि पहले आपने निर्णय लेकर पांच दिवसीय सप्ताह किया और बाद में उसे वापस ले लिया। आप यह बता दें कि पहले आपने किस आधार पर निर्णय लिया था ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने बता दिया कि केन्द्र सरकार ने किया है उसी के आधार पर किया था।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इससे सब सहमत होंगे कि सब कार्यालय 10 बजे के हैं। सड़कों में जाम लग जाता है और इतनी भीड़ हो जाती है कि एक्सीडेन्ट की सम्भावना रहती है। अगर पांच दिन का सप्ताह रहेगा तो पेट्रोल, डीजल की भी बचत रहेगी और राष्ट्र की क्षति होने से बचेगा। क्या माननीय मंत्री जी इस आधार को मानकर पुनः 5 दिन का सप्ताह करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

सारी बातों पर विचार कर लिया गया है तब यह संशोधन किया गया। अब और कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बिजली की आपूर्ति

*1–श्री जगदम्बिका पाल (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 20 घण्टे बिजली दिये जाने के संबंध में सरकार कोई ठोस कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसानों को 20 घण्टे विद्युत दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं ।

प्रदेश में पेयजल समस्या को हल करने संबंधी जलनीति

*2–श्री सीताराम निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गम्भीर पेयजल समस्या को देखते हुये केन्द्र सरकार ने वर्ष 1995 (फरवरी, 1995) में एक राज्य जल परिषद् का गठन कराया था ? यदि हां, तो क्या राज्य जल परिषद् ने प्रदेश में पेयजल संकट को हल करने के लिये कोई जलनीति तैयार की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

तारांकित प्रश्न संख्या 2 इसको मैं स्थगित करता हूं क्योंकि इस पर सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है । प्रदेश में पेयजल संकट है । $3\frac{1}{2}$ साल पहले यहां जल परिषद् का गठन किया गया और अभी तक कोई काम नहीं किया गया । तमाम ऐसे खण्ड हैं जहां के बारे में भू सर्वेक्षण ने रिपोर्ट दी है कि वहां जल का स्तर बहुत नीचा हो गया है केवल 15-20 प्रतिशत रह गया है । गांवों में पेड़ सूख गये हैं । जो जे०आर०वाई० के हैण्ड पम्प हैं वह फेल हो गये हैं । पेयजल का भीषण संकट है ।

श्री अध्यक्ष–

चूकि इस प्रश्न पर सूचना एकत्र की जा रही है इसलिये यह स्थगित कर दिया गया है ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, जहां पर भूसर्वेक्षण ने रिपोर्ट दी है कि जलस्तर बहुत नीचे चला गया है आप उन्हें पेयजल समस्या ग्रस्त चिन्हित करके युद्ध स्तर पर इंडिया मार्का हैण्ड पम्प लगवायें । फैजाबाद जिले में तारोना, मिल्कीपुर, अमानीगंज में कुल 15-20 प्रतिशत के बीच में पानी रह गया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी जब सूचना दी जाय तो जो सुझाव और जानकारी माननीय सदस्य ने दी है इसका भी संज्ञान ले लीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने संबंधी शासन की नीति

*1–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुये सरकार कोई रोजगार नीति बनायेगी ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ? क्या सरकार इस दिशा में भर्ती पर लगी रोक को तात्कालिक प्रभाव से हटाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा औद्योगिकरण के माध्यम से वृहत पैमाने पर रोजगार सृजन तथा सरकार द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार प्रयासरत है । सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा स्वायत्तशासी संस्थानों में नियुक्तियां तथा असंगठित क्षेत्र में दैनिक आधार पर रोजगार तथा स्वरोजगार सृजन किया जायेगा । भारत सरकार और प्रदेश सरकार की स्वरोजगार योजनाओं जैसे एकीकृत ग्राम विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, मिलियन वैल स्कीम, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा संचालित योजनायें, सघन मिनी डेरी योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नगरीय रोजगार योजना, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, अनुसूचित जाति जनजाति, वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम तथा अल्पसंख्यक कल्याण निगम वित्त विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालन कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे । रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर स्थानीय आवश्यकता को देखते हुये विशेष रोजगार योजनाओं को सम्मिलित करते हुये कार्य योजना बनाई जायेगी । जिसके अन्तर्गत लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प रेशम उद्योग ऊसर सुधार, हथकरघा उद्योग, पारम्परिक उद्योग तथा कृषि पर आधारित उद्योग आदि को सम्मिलित किया जायेगा । रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998–99 के अन्तर्गत 10.00 लाख परिवारों को लाभान्वित कराने का प्रयास किया जायेगा । प्रदेश में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सेवायोजन कार्यालयों द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान कर बेरोजगारों को सवेतन एवं स्वरोजगार हेतु उठेरित किया जायेगा ।

जी हां ।

शासनादेश संख्या 20/1/91–का–2/199 दिनांक 9 जुलाई, 1998 द्वारा लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह "ग" के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली प्रख्यापित कर दी गई है । जिसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या 20/1/91–टी०सी०–97/का–2/98 दिनांक 19 जून, 1998 द्वारा समस्त विभागों को दिनांक 7 जुलाई, 1998 से दिनांक 31 जुलाई, 1998 के मध्य समूह "ग" के रिक्त पदों को विज्ञापित कराये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं । समूह "घ" के पदों के संबंध में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध पूर्ववत् रहेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समूह "ग" के लिये नियमावली बना दी गई है और उसकी प्रक्रिया के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं । साथ ही साथ मंत्री जी ने कहा कि समूह "घ" पर प्रतिबन्ध पूर्ववत् जारी रहेगा । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अनपढ़ और अशिक्षित हैं और इस पर प्रतिबन्ध यथावत् जारी रहेगा । तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह प्रतिबन्ध किन कारणों से लगाया गया है और इसे कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

यह प्रतिबन्ध माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार समूह "घ" पर लगाया गया है । इस पर विचार चल रहा है । समूह "ग" का प्रतिबन्ध हटा लिया गया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जो पद लोक सेवा आयोग से भरे जाते हैं उनमें भी बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या है । इस बेरोजगारी के संबंध में लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत जो पद आते हैं और रिक्त हैं, उसमें क्या लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मैं अपने विभाग के संबंध में बता सकती हूं। जो रिक्त पद लोक सेवा आयोग को भेजे गये हैं उनका अधियाचन भेज दिया गया है। बाकी में मैं कुछ सुनिश्चित रूप से उत्तर नहीं दे पाऊंगी।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

उत्तर नहीं आया है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत 10 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जायेगा। तो क्या इसकी कोई रूपरेखा बनी है ? इस वर्ष 10 लाख लोगों को लाभान्वित करेंगे तो जो समय निकल गया है उसमें कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है ? यदि नहीं किया गया है तो उनको कब तक लाभान्वित करेंगे ? आपने अपने उत्तर में बताया कि 10 लाख परिवार को लाभान्वित करने के लिये आपने छतरी रोजगार योजना बनायी है तो उसकी रूपरेखा क्या है ? उसमें कितने बेरोजगारों को, कितने अर्ध बेरोजगारों को, कितने स्किल्ड तथा कितने नान स्किल्ड लोगों को आप रोजगार देंगी। इस योजना का एक तिहाई भाग समाप्त होने जा रहा है तो इसमें कितने लोगों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा सकता है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, मैं इस संबंध में अवगत कराना चाहूंगी कि यह छतरी रोजगार योजना, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत शीघ्रता से इसका समावेश किया है। जनपदवार कार्य योजना बनायी जा रही है। दो तीन महीने के अन्दर इसके परिणाम सामने आयेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आपने रूप रेखा नहीं बतायी।

श्री राजधारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने रोजगार के अवसर के बारे में कई कार्यक्रमों की चर्चा की जिसमें औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सुलभ कराने की बात की। औद्योगीकरण विकास के संबंध में इस वित्तीय वर्ष में कितने नये उद्योगों की स्थापना की गयी है तथा वर्ष 1998-99 में कितनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का कार्यक्रम है। जो बन्द औद्योगिक इकाइयां हैं उसको कब तक चालू करा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

श्रीमन्, जो प्रदेश में विभिन्न विभागों में पद रिक्त पड़े हैं क्या लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने हेतु यह सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुकी हूं। अपने विभाग का तो मैंने अधियाचन भेज दिया है। अन्य विभाग के बारे में नहीं कह सकती हूं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तो अपने विभाग के बारे में बता दिया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि में जो पद रिक्त हैं उनका अधियाचन भेज दिया है। मान्यवर, सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी

है तो क्या माननीय मंत्री जी इस सामूहिक जिम्मेदारी के नाते जो उत्तर दिया गया है तो लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले अन्य पदों के अधियाचन कब तक भिजवा देंगी ।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

अन्य विभागों के बारे में जानकारी नहीं है ।

जनपद वाराणसी में सीवरेज व्यवस्था

*2—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है वाराणसी नगर की मुख्य सीवर व अधिकांश सीवर व्यवस्था 75 वर्ष से भी अधिक पुरानी है एवं जर्जर अवस्था के कारण जगह-जगह पर धंस रही है जिससे नगरवासियों को गंदगी व प्रदूषित वातावरण में रहने के साथ-साथ सड़क धंसने के कारण दुर्घटनाओं के भय के साथ रहना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार के पास इस समस्या के निदान हेतु दीर्घगामी योजना क्या है एवं उस पर कार्य कब आरम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस ऐतिहासिक नगरी को धंसने से बचाये रखने के लिये सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनायेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

शहर में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण एवं बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए नगर में रिलीविंग सीवर डालने का प्राक्कलन अनुमानित लागत रु० 85.66 करोड़ (1990 के मूल्य स्तर पर) उ० प्र० जल निगम द्वारा तैयार किया गया है । इसी प्रकार ट्रांस वरुणा क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था के लिये प्राक्कलन अनुमानित लागत रु० 33.61 करोड़ उ० प्र० जल निगम द्वारा बनाया गया है । इसी क्रम में वाराणसी नगर की सीवरेज व्यवस्था के समग्र विकास के लिये एक फिजिकल रिपोर्ट अनुमानित लागत रु० 264 करोड़ शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की गयी है जिसका कार्यान्वयन धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जहां की सीवर धंसने की सम्भावना प्रतीत होती है वहां तत्काल मरम्मत अथवा पाइप रिप्लेसमेन्ट बाईपास बनाकर कर दिया जाता है । शहर की मुख्य सीवर और अधिकांश सीवर जो ब्रिक की बनी है उसकी फोटोग्राफी कराये जाने की योजना बनायी जा रही है जिससे कि क्षतिग्रस्त भाग की जानकारी प्राप्त करके मरम्मत कराने की कार्यवाही सीवर के बैठने से पूर्व की जा सके ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मंत्री जी ने प्रश्न के प्रथम भाग, जिसमें यह था कि वाराणसी नगर की मुख्य सीवर व अधिकांश सीवर व्यवस्था 75 वर्ष से भी पुरानी है एवं जर्जर अवस्था के कारण जगह-जगह धंस रही है, को स्वीकार किया है । मान्यवर, क्या सरकार चाहती है कि वाराणसी शहर का अस्तित्व मिट जाए । 1990 में एक प्राक्कलन तैयार किया गया था, शासन ने दुबारा उसका आंकलन बनाने की चेष्टा नहीं की । जो 264 करोड़ की योजना भेजी गयी है वह कब भेजी गयी है ? अनुस्मारक उसमें कितनी बार गये ? वाराणसी के लिये आपके अधिकारी या मंत्री जी प्रतिनिधि के रूप में कब गये और केन्द्र सरकार में दबाव बनाकर पैसा लाने का क्या प्रयास किया गया ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, 264 करोड़ रुपये की योजना विगत वर्ष में स्वीकृत की गयी इस संबंध में कितने अनुस्मारक भेजे गये इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, गुदोलिया, रविद्र पुरी कालोनी, लहुरावीर आदि स्थानों पर एकदम भय का वातावरण व्याप्त है शहर में सड़कों पर सीवर का पानी बह रहा है रविन्द्रपुरी कालोनी में मैं स्वयं देखकर आया एक नई दीवाल टूट गयी । इसको गम्भीरता से लेते हुए एक समयबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही करके केन्द्र सरकार से धन लाकर वाराणसी के पुराने स्वरूप को बनाये रखने के लिये सरकार सहमत है या नहीं ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, निश्चित रूप से सरकार की यह मंशा है कि वाराणसी का अपना स्वरूप बना रहे माननीय विधायक जी ने जो सुझाव दिया है कि इसके लिये तत्काल इसी सप्ताह पूरी योजना बनाकर केन्द्र सरकार यहां टीम भेजकर अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, वाराणसी एक सांस्कृतिक, धार्मिक अब व्यवसायिक राजधानी है इस विषय को शासन को गम्भीरता से लेना होगा और केन्द्र सरकार से इसमें तत्परता से सहायता प्राप्त करनी होगी । कम से कम कितने समय में आप सहायता प्राप्त कर लेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इसी सप्ताह में वहां टीम भेजकर उनसे निवेदन किया जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

विगत 5 वर्षों में वाराणसी शहर में कितनी जगह पर सड़क धंसने की बात प्रकाश में आयी है । मान्यवर, केन्द्र सरकार से पैसा प्राप्त करने के लिये निवेदन करने की अभी बात है, अगर वहां से नहीं मिलता है तो क्या प्रदेश सरकार अपने संसाधन से कोई योजना बनायेगी ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इसके लिये अगर वहां से केन्द्र सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि जो आवश्यक कदम है, उन सीमित संसाधनों को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करायी जाये ।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

मान्यवर, यहां विगत 10–15 वर्षों से सीवर की समस्या वहां चली आ रही है हर बरसात से पहले यह आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया जाता है कि जल का जमाव नहीं होगा लेकिन गुदोलिया, लहुरावीर, रविन्द्रपुरी कालोनी आदि मोहल्ले में जहां घरों में सीवर का पानी जा रहा है, सीवर का पानी न जाये इसलिये क्या ठोस कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, वर्तमान में मैं जल निकासी के संबंध में, बारिस की पानी की निकासी के संबंध में बताना चाहता हूं कि नालों पर काम चालू है । दशम आयोग का पैसा नगर निगम को जाता है इसके बारे में प्राथमिकता के आधार पर यह सुझाव दिया जायेगा स्थानीय निकाय इन नालों को बनाने के लिये उक्त धनराशि उपयोग करें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, वाराणसी के सीवर सिस्टम को जो आयातित सहायता आ रही है उनसे वार्ता करके इस प्रकार से कहीं से धन आये तो उनसे लेने की इस संबंध में कोई वार्ता हुई है अथवा वार्ता करने की योजना है ?

श्री सतीश महाना–

अभी सीवर के संबंध में इस प्रकार की कोई वार्ता उससे नहीं हुई है लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा मैंने केन्द्र सरकार से निवेदन किया है ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न के बारे में श्री श्याम देव राय चौधरी जी ने पत्र लिखकर कहा है कि माननीय डंग साहब इसमें प्रश्न पूछ लें । मैं उनको अनुमति दे रहा हूं ।

जनपद उन्नाव में पावर स्टेशनों हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा शासनादेश के तहत काश्तकारों को दिलाये जाने की मांग

*3—श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० रा० विद्युत परिषद को पावर स्टेशन/पावर हाउस के निर्माण हेतु प्रदेश में कहीं भी किसी भी काश्तकार की भूमि को बिना भूमि अध्याप्ति अधिनियम की कार्यवाही किये अधिग्रहीत करने का अधिकार है ? यदि हां, तो किन नियमों/शासनादेश/आदेश के अन्तर्गत ? क्या काश्तकार द्वारा आवेदन करने के पश्चात् ही भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है या स्वतः प्रक्रिया पूर्ण कर भुगतान कर दिया जाता है ? क्या जनपद उन्नाव में बने पावर स्टेशनों हेतु उक्त अधिनियम की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? इसे उक्त के अन्तर्गत कब तक अधिग्रहीत कर लिया जायेगा ? क्या सरकार शासनादेश 2-1(4)/85-175, दिनांक 16-11-85 के अनुसार काश्तकारों को मुआवजा भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पावर स्टेशन के निर्माण हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा भूमि की उपलब्धता अर्जन अथवा पारस्परिक समझौता द्वारा की जाती है ।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही में संबंधित काश्तकार की सहमति आवश्यक नहीं है ।

जी नहीं ।

जनपद उन्नाव के मौरावां में निर्मित विद्युत उपकेन्द्र की भूमि का अधिग्रहण भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

मौरावां उपकेन्द्र की श्री हरिश्चन्द्र की प्रश्नगत भूमि के मुआवजे के भुगतान के संबंध में विद्युत परिषद के विधि अधिकारी द्वारा दिये गये अभिमत एवं भूमि की दर के बारे में शंका को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण से संबंधित समस्त बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय जांच आदेशित कर दी गयी है । जांच हेतु संदर्भित कतिपय बिन्दुओं पर आख्या अपूर्ण/अस्पष्ट होने के कारण जांच अधिकारी से स्पष्ट/पूर्ण जांच

आख्या प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने एवं उसके परीक्षणोपरान्त इस प्रकरण में यथावश्यक कार्यवाही करना सम्भव होगा।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि उन्होंने इस उत्तर के प्रथम भाग में बताया है कि पावर स्टेशन के निर्माण हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा भूमि की उपलब्धता, अर्जन अथवा पारस्परिक समझौता द्वारा की जाती है। तो यह प्रश्नगत भूमि जो है यह उक्त दोनों नियमों के अन्तर्गत ली गयी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यह जो भूमि है यह आपसी समझौता के अन्तर्गत ली गयी थी और जो संबंधित किसान था उसने स्वयं आफर किया था। उस समय जो तत्कालीन इण्डस्ट्रियल रेट था उसके ऊपर उसको भुगतान कर दिया गया था।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसी सदन में दूसरे गुरुवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया है कि उक्त जो भूमि है वह अनधिकृत कब्जा द्वारा ली गयी है और आज माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सहमति से ली गयी है। दूसरी जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 प्रथम शुक्रवार को तारांकित प्रश्न संख्या–14 के अन्तर्गत माननीय हृदय नारायण दीक्षित द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मुआवजा का निर्धारण करने के लिये अपर जिलाधिकारी, उन्नाव से निवेदन किया गया है ताकि उस भूमि का भुगतान राज्य विद्युत परिषद् द्वारा किया जा सके तो इन तीनों में से कौन सा सही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, 1966 में यह भूमि ली गयी थी आपसी समझौता से जमीन उन्होंने दी और 4 लाख 44 हजार रुपये का राज्य विद्युत परिषद् ने भुगतान किया था और ज्यादा उदारता दिखाते हुए विद्युत परिषद ने उपरोक्त व्यक्ति को नौकरी भी दे दी, जबकि उसे नियमानुसार नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु मुआवजे की कार्यवाही की जा रही है और 1998 के उत्तर में यह कहा जा रहा है कि विद्युत परिषद् से राजस्व विभाग धन मांग रहा है, राजस्व विभाग यह भी कह रहा है कि यह अनधिकृत कब्जा है तो इस प्रकार किसान के साथ ज्यादती हो रही है, दोनों उत्तरों में कन्ट्राडिक्शन है।

श्री अध्यक्ष–

लालजी वर्मा का कहना है कि दोनों उत्तरों में अलग-अलग बातें कही जा रही हैं, इसके बारे में क्या कहना है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, 4 लाख 44 हजार रुपया मुआवजे के रूप में दिया जा चुका है, संबंधित किसान ने उसे प्राप्त कर लिया, उसकी रसीदें बोर्ड के पास मौजूद हैं।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय मंत्री जी को पता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, आपकी ही सरकार का जवाब है और अगर इस बारे में माननीय मंत्री जी को जानकारी न होता मैं समझूंगा कि माननीय मंत्री जी के

विभाग ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। द्वितीय सत्र के दूसरे गुरुवार को प्रश्न लगा था, उसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है जिसे लालजी वर्मा ने पढ़कर सुनाया था, अगर कहें तो उसे दुबारा पढ़ दूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, संबंधित व्यक्ति ने राज्य विद्युत परिषद् में 1991 में नौकरी ली और 4 लाख 44 हजार का मुआवजा भी प्राप्त किया, अब जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं बनता।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि पावर स्टेशन हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही विद्युत विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध न होने के कारण पूर्ण नहीं की जा सकी, अतः विद्युत विभाग द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा करके पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है। आज जो उत्तर आया है, उसमें कहा गया है कि मुआवजे के संबंध में विद्युत परिषद् के बिल अधिकारी द्वारा दिये गये अभिमत एवं भूमि की दर के बारे में शंका को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण से संबंधित समस्त बिन्दुओं पर उच्चस्तरीय जांच आदेशित कर दी गयी है और जांच हेतु संदर्भित कतिपय बिन्दुओं पर आख्या अपूर्ण, अस्पष्ट होने के कारण जांच अधिकारी से दुबारा आख्या प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इसलिये मान्यवर, जब तक यह पूरा न हो जाय और आख्या न आ जाय, ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को तब तक के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, वर्ष 94 में 4 लाख 44 हजार का भुगतान कर दिया गया। विवाद मात्र यह है कि मौजूदा सर्किल रेट से पैसा मिलना चाहिए, उस रेट से गलत दिया गया है, इसके लिये इक्वेटर जांच हेतु भेजा गया, उन्होंने जांच पूरी नहीं की, तो उनसे कहा गया है कि पूरी रिपोर्ट दें। उन्होंने उसी आधार पर नौकरी भी ले ली, कोई बहुत बड़ा विवाद अब नहीं है।

श्री उदयराज यादव–

क्या मा० मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 1986 में प्रथम शुक्रवार के अता० प्र० सं० 14 में तत्कालीन सरकार ने यह उत्तर दिया था कि जांच कराकर जांच रिपोर्ट आने पर किसान को मुआवजा दिया जायेगा। 22-2-92 को जिलाधिकारी, उन्नाव की रिपोर्ट आ गयी है जिसमें किसान को 19 लाख 76 हजार 225 रुपये मुआवजा दिये जाने को कहा गया है जबकि किसान को मात्र 4,40,000 ही भुगतान हुआ है। क्या शेष धनराशि सरकार किसान को देगी और देगी तो कब तक ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, एक किसान की बात है। हरीश चन्द्र से जमीन ली गयी। उन्होंने कहा है कि सर्किल रेट से मुआवजा दिया जाय। रिपोर्ट जो आयी है वह इन्कम्पलीट थी इसलिये पिछले महीने दोबारा भेजी है। रिपोर्ट जैसे ही आ जायेगी उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष

मा० वर्मा जी को सूचित कर दीजिएगा।

श्री लालजी वर्मा–

मा० मंत्री जी कह रहे हैं कि अनधिकृत कब्जा नहीं है और राजस्व परिषद कह रहा है कि अनधिकृत कब्जा है। मा० मंत्री जी ने कहा कि उनकी सहमति से जमीन ली गयी तो अगर सहमति थी

तो उसका कोई पत्र रहा होगा । क्या किसी भी किसान की जमीन पर अनधिकृत पावर स्टेशन बनाने का अधिकार है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, तीन तरीके से जमीन ली जाती है । एक तो सहमति से, दूसरा एक्यूजीशन से और तीसरे गांव समाज की भूमि हो । किसान ने 4,44,000 रुपया ले लिया है । जब उसमें रुपया ले लिया उसी समय विवाद समाप्त हो गया इसके साथ ही साथ उसके लड़के को नौकरी में रख लिया गया है । विवाद खड़ा हुआ इसीलिए एक्वेटर भेजा है ।

श्री अध्यक्ष–

आप परीक्षण करा लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह वर्मा जी का प्रश्न नहीं रह गया है यह सदन की सम्पत्ति हो गया है । माननीय मंत्री जी ने अगर एक्वीजीशन किया है तो तथ्य बता दें अगर सब कुछ अधूरा है तो मैं चाहता हूं कि वर्मा जी को ही न बताया जाय, बल्कि सदन को बताया जाय ।

*4—श्री जगदम्बिका पाल–

(दिनांक 3-7-98 को नियम 29(4) के अता० प्र० सं०–1 द्वारा उत्तरित)

जनपद प्रतापगढ़ के शहर मुख्यालय पर विद्युत आपूर्ति ठप्प होने की शिकायत

*5—श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है प्रतापगढ़ जनपद के शहर मुख्यालय पर विद्युत आपूर्ति ठप्प हो चुकी है ? क्या यह सही है कि उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है ? यदि हां, तो विद्युत आपूर्ति के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि प्रतापगढ़ में विगत 4-5 महीनों से शहरी क्षेत्र में कितने दिन बिजली नहीं थी । जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि जी नहीं, इसका मतलब वह लगातार विद्युत आपूर्ति प्रतापगढ़ में हो रही है तो क्या प्रतापगढ़ के शहरी क्षेत्र में विद्युत की कटौती नहीं हो रही है । पिछले 9 तारीख से 12 जून तक चार दिन तक लगातार वहां बिजली ठप्प रही, क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ? प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने कई बार विद्युत परिषद् को फैक्स दिया है और वहां के अधिशासी अभियन्ता ने विद्युत परिषद् को सूचना भेजी है । आज ही हमारे एक और तारांकित प्रश्न के जवाब में जिसकी संख्या 133 है जिसमें मैंने पूछा है कि क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद को विद्युत आपूर्ति सुल्तानपुर जनपद से न करके सुल्तानपुर झूंसी इलाहाबाद फिर प्रतापगढ़ को जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जी हां, और यहां पर कह रहे हैं कि जी नहीं, उक्त अतारांकित प्रश्न के

उत्तर में कहा है कि जी हां, प्रतापगढ़ जनपद को 400 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र सुल्तानपुर से झूंसी, फूलपुर (इलाहाबाद) के मध्य से की जाती है । सुल्तानपुर विद्युत उप केन्द्र पर स्थापित दोनों ट्रांसफार्मर पूर्णतः भारित हैं तथा सुल्तानपुर उपकेन्द्र पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने के लिये स्थान भी उपलब्ध नहीं है इसलिये उपरोक्त व्यवस्था से प्रतापगढ़ जनपद की विद्युत आपूर्ति करने की बाध्यता हैं । 220 के० वी० उपकेन्द्र फूलपुर पर 100 एम० वी० ए० 220/132 के० वी० का एक और ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है जो निकट भविष्य में ऊर्जीकृत किया जाना है जिससे प्रतापगढ़ जनपद की विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ हो जायेगी तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रतापगढ़ को सुल्तानपुर से सीधे आपूर्ति नहीं कर रहे हैं । बल्कि सुल्तानपुर से फूलपुर (इलाहाबाद) झूंसी होते हुए जाती है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न अतारांकित पर पूछ रहे हैं या तारांकित पर ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, एक तरफ माननीय मंत्री "जी नहीं" कहते हैं और दूसरी तरफ "जी हां" कहते हैं । अगर प्रतापगढ़ को सुल्तानपुर झूंसी होते हुए विद्युत आती है तो करीब ढाई सौ किलोमीटर का रन होगा। तो लाजमी कि आंधी तूफान के कारण बीच में खराबी भी होगी । जिसके कारण हफ्तों तक बिजली नहीं रहती है । दूसरा प्रतापगढ़ शहर मुख्यालय में विद्युत की कटौती क्यों होती है ? जबकि उसके बगल में पट्टी तहसील है वहां पर विद्युत की कटौती नहीं होती क्योंकि मा० मंत्री जी के भूतपूर्व साथी प्रमोद कुमार जी का क्षेत्र है, वहां बिजली जगमगाती रहती है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न करिये ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ को क्यों विद्युत कटौती की जा रही है ? और वहां पर उत्तर में "जी नहीं" कह कर सदन को गुमराह कर रहे हैं । ऐसा क्यों है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, प्रतापगढ़ के जो पहले ऊर्जा मंत्री रहे हैं उनकी गलती से प्रतापगढ़ की यह हालत हुई है। निश्चित रूप से हम इसमें सुधार करेंगे वहां पर 100 के० वी० का जो ट्रांसफार्मर लगा था वह ओवर लोड हो गया था । अब दूसरा ट्रांसफार्मर वहां पहुंच गया है दो महीने के अन्दर वह चालू हो जायेगा इसलिये ओवर लोड के कारण जो प्रतापगढ़ में कटौती होती है वह नहीं होगी और विद्युत समस्या का समाधान हो जाएगा मेरे पास आंकड़े हैं मैं बता सकता हूं प्रतापगढ़ में प्रतिदिन कितने घंटे बिजली मिली ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, वहां पर 9 तारीख से 12 तारीख तक कितनी बिजली मिली है बता दें मेरा कहना है कि वहां 9 तरीख से 12 तारीख तक बिजली नहीं गई जिससे पूरा शहर आन्दोलित हो गया था जो अखबारों में निकला था और वहां पर कचेहरी में पुतले भी जलाये गये । मान्यवर, प्रतापगढ़ में पहले सुल्तानपुर से बिजली की आपूर्ति हो रही थी तो क्या कारण है कि सुल्तानपुर से विद्युत आपूर्ति बन्द कर दी गयी है और लाइन बदल दी गयी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, इस समय प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों में इक्जम्पशन है मैं विश्वास दिलाता हूं अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो उसको वापस भी करा देंगे । वहां पर 22 घंटे विद्युत की सप्लाई की गयी है जो आपने 9 जून की बात की तो उस समय 17-18 घंटे बिजली पहुंची ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

मान्यवर, प्रतापगढ़ में निश्चित रूप से 20 घंटे से कम विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एक दूसरे का उत्तर और प्रति उत्तर नहीं करेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

मान्यवर, प्रतापगढ़ में लकड़ी के पोल लगे हैं जिनकी वजह से वहां कैजुअल्टी हो रही हैं, इन पोलों को माननीय मंत्री जी बदलने की योजनायें बनायें ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हम योजना पूरी बना रहे हैं, लेकिन धनाभाव है। जैसे ही धन उपलब्ध होगा पोल बदले जायेंगे।

लखनऊ शहर में सार्वजनिक स्थानों पर से अतिक्रमण हटाये जाने का मामला

*6—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ में इस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सम्पत्ति विभाग की आवासीय कालोनियों से अतिक्रमण हटाये गये ? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां ? क्या यह सही है कि राज्य सम्पत्ति विभाग की डायमण्ड डेरी कालोनी से अतिक्रमण हटाने के संबंध में उत्तरांचल विकास मंत्री तथा राज्य मंत्री, ऊर्जा ने वर्ष 1998 में नगर विकास मंत्री तथा आयुक्त, लखनऊ मण्डल को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं ? क्या उक्त कालोनी को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, डायमंड डेरी कालोनी लखनऊ में है। विधान भवन से 1 कि०मी० की दूरी पर है। वहां के अतिक्रमण के बारे में कई बार माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है। वहां पर अतिक्रमण को कब तक हटवा दिया जायेगा ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है। वह राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न 21 मई को पूछा गया था। एक महीने से ज्यादा हो गया है। राजधानी का मामला है और अभी तक सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आपके आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए यथाशीघ्र सूचना एकत्र की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

यह अगले सप्ताह के लिये स्थगित कर देते हैं।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इस समय अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसे एक सप्ताह के लिये स्थगित कर दिया है। तब तक सूचना आ जाएगी।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। हरदोई रोड पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है। जगह-जगह रास्ते जाम हो रहे हैं। आपकी पीठ की तरफ से यह स्पष्ट निर्देश दिये जाएं कि जिनको उजाड़ा जा रहा है। उनको बसाने की जब तक कोई योजना न बने तब तक उनको उजाड़ने का काम न करें।

श्री अध्यक्ष–

यह सम्भव नहीं है। इस प्रश्न को एक सप्ताह के लिये स्थगित कर दिया है।

कानपुर नगर निगम द्वारा निस्तारित सीवेज के पानी से सीवेज फार्म भूमि तथा निजी स्वामित्व की भूमि की सिंचाई दरों में अन्तर को समाप्त करने की मांग

*7—श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम द्वारा निस्तारित सीवेज के पानी से की जाने वाली सिंचाई की दरें, निगम के सीवेज फार्मस की भूमि तथा निजी स्वामित्व की भूमि की सिंचाई के लिये अलग-अलग हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? क्या यह सही है कि उक्त दरों में भारी असमानता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? उक्त दरों में असमानता को कब तक दूर करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां।

निजी भूमि पर सिंचाई शुल्क तथा नगर निगम की भूमि पर लीजरेन्ट लिया जाता है।

सीवेज फार्म एवं निजी स्वामित्व की भूमि दोनों श्रेणी की भूमि की सिंचाई दरें निम्नवत् हैं :—

नगर निगम की भूमि की दरें प्रति एकड़	निजी स्वामित्व की भूमि की दरें प्रति एकड़	
		रु०
रु० 250/-	ज्वार या चरी	75.00
	धान	125.00
	बाग गुलाब	125.00
	मिर्चा	190.00
	आलू	175.00
	अन्य सब्जियां	115.00

जी हां, लेकिन आंशिक।

नगर निगम सीवेज फार्म भूमि की सिंचाई की दर में भूमि का लीजरेन्ट भी सम्मिलित है।

यह सम्भव नहीं है क्योंकि दोनों दरें नगर निगम कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत हैं।

नगर निगम सीवेज फार्म की भूमि का लीजरेन्ट अलग से नहीं लिया जाता है।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मेरा मुख्य प्रश्न यह था कि कानपुर नगर में निगम के सीवेज फार्म की भूमि तथा निजी स्वामित्व की भूमि की सिंचाई की दरें अलग-अलग क्यों हैं। मंत्री जी ने कहा कि निजी भूमि पर सिंचाई शुल्क तथा नगर निगम की भूमि पर लीजरेन्ट लिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि लीजरेन्ट कितना है और सिंचाई का रेट कितना है। यह 250 रुपये पूरे वर्ष है या जींस वार है। इसमें सिंचाई का कितना है ?

श्री अध्यक्ष–

छोटे-छोटे प्रश्न करिये।

श्री सतीश महाना–

जितनी दर सिंचाई की है। उससे अतिरिक्त जो पैसा है, वह लीज का है।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, अगर निजी स्वामित्व की जमीन पर वह सीवेज के पानी से सिंचाई करता है तो आपका रेट ज्वार व चरी के लिये 75/-, धान के लिए 125/- है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि 125/- से 190/- प्रति एकड़ लिया जाता है जबकि सीवेज फार्म की भूमि की सिंचाई में सिंचाई की दर व भूमि का लीजरेन्ट भी सम्मिलित है । मान्यवर, आप देख लें कि निजी सिंचाई में दरें अनेक हैं । अगर यह मान लिया जाय कि सर्वाधिक 190 रुपये का रेट है अगर वह दो-तीन बार सिंचाई करता है, तो उसे 400–500 रुपया देना पड़ेगा । तो क्या माननीय मंत्री जी इसे घटायेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, निजी स्वामित्व की भूमि की सिंचाई जिस फसल की करेंगे उसका जो अधिकतम रेट है उससे प्रतिवर्ष के हिसाब से एक ही बार पैसा लिया जायेगा, जैसे 125/- धान का है, तो वही लिया जायेगा और दो अलग-अलग फसलों को मिलाकर नहीं लिया जायेगा ।

श्री दीपक कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सीवेज फार्म की सरकारी भूमि जो कृषि की है यह उन लोगों को देने का काम किया गया है जिनके पास जमीनें नहीं हैं, जबकि मेरी निश्चित जानकारी में है कि जो लीज पर नगर निगम सीवेज फार्म की भूमि दी गयी है वह बड़े-बड़े काश्तकारों को दी गयी है, जो लोग नगर निगम या सरकार को कम धन देते हैं और वहां के जो क्षेत्रीय काश्तकार हैं, उनको दो हजार, तीन हजार रुपये प्रति बीघे की दर पर देने का काम कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी व्यवस्था कराने का काम करेंगे जो बड़े काश्तकारों को भूमि दी गयी है, उनसे लेकर जिनके पास जमीनें नहीं हैं, उनको देने का काम करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे साथी जिन्होंने प्रश्न किया है, नगर निगम से जुड़े हुए हैं और नगर निगम के सदस्य भी रहे हैं । अगर उनके पास इस तरह की कोई सूची हो तो दे देंगे कि कौन से ऐसे काश्तकार हैं, जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको हम दिखवा लेंगे । इस बात की इजाजत किसी को नहीं दी जायेगी कि उसका दुरुपयोग करें और गलत ढंग से लाभ कमायें ।

आढ़तियों से गेहूं खरीदने का औचित्य

*8—श्री समरपाल सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आढ़तियों से गेहूं खरीदने पर सरकार ने उन्हें कोई कमीशन देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या सरकार किसानों द्वारा खरीद करने पर किसानों को भी इतना कमीशन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री ऐज़ाज़ रिज़वी)–

(क) जी हां ।

आढ़तियों के माध्यम से गेहूं खरीदने पर उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य प्रति कुन्तल रु० 455/- का 2% अर्थात रु० 9.10 प्रति कुन्टल की दर से कमीशन देने का निर्णय लिया गया है ।

(ख) किसानों से गेहूं क्रय करने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य रु० 455/- प्रति कुन्टल तथा दिनांक 20-8-98 तक बोनस रु० 55/- प्रति कुन्टल, कुल रु० 510/- प्रति कुन्टल का भुगतान किया गया है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि आढ़तियों से गेहूं खरीदने पर सरकार ने उन्हें कोई कमीशन देने का निर्णय लिया है तो इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि आढ़तियों के माध्यम से गेहूं खरीदने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य प्रति कुन्टल रु० 455 का 2 प्रतिशत अर्थात् रु० 9.10 प्रति कुन्टल की दर से कमीशन देने का निर्णय लिया गया है । दूसरे भाग में मैंने पूछा था कि क्या सरकार किसानों द्वारा खरीद करने पर किसानों को भी इतना ही कमीशन देगी ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसानों को नहीं दिया जायेगा । 455 रु० प्रति कुन्तल पर बोनस 55 रु० दिया जायेगा, इस प्रकार कुल 510 रुपये के हिसाब से किसान को दिया जायेगा और आढ़ती को 519 रुपये 10 पैसे के हिसाब से दिया जायेगा । इसी प्रथा को समाप्त करने के लिए तथा बिचौलियों से बचाने के लिए मंडी समितियां बनाई गयी थी परन्तु आज यह सरकार बिचौलियों को बचाने का काम कर रही है । गेहूं का समर्थन मूल्य कम है । इसीलिए उसके बोनस को बढ़ाने के बारे में सरकार ने कोई भी विचार नहीं किया है परन्तु आढ़तियों को कमीशन देने का काम सरकार ने किया है । हजारों सालों से किसान की जो फसल लूटी जा रही थी, उसको समाप्त करने के लिए कई संघर्ष हुए, आन्दोलन चले और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने इस लूट को खत्म करने के लिए मंडी समितियां और मंडी परिषद् का गठन किया ताकि किसान का शोषण न हो सके । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस कमीशन को समाप्त करने का निर्णय करेंगे या फिर किसानों का भी कमीशन देने पर विचार करेंगे ?

श्री ऐज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, आढ़तियों को कमीशन देने का निर्णय जो लिया गया था, 8 मई, 1998 को यह प्रथा समाप्त कर दी गयी । किसानों से खरीदारी जारी है 55 रुपये का बोनस दिये जाने का भारत सरकार ने जो किया था उसकी समय सीमा भी समाप्त हो गयी है । वर्तमान में गेहूं की खरीदारी 455 रुपये प्रति कुन्टल है ।

श्री समरपाल सिंह–

आढ़तियों की तरह कमीशन देने पर अब विचार करेंगे ?

श्री ऐजाज रिजवी–

गेहूं का लक्ष्य भारत सरकार देती थी वह आपूर्ति नहीं होती थी । गत वर्ष 20 लाख मीट्रिक टन रखा गया था परन्तु उसके सापेक्ष मात्र 6 लाख 16 हजार मीट्रिक टन की खरीदारी हुई । इस पर भारत सरकार को लिखा गया कि लक्ष्य के आपूर्ति करने के लिए कुछ बिचौलियों को भी उसमें डाला जाए ।

उनको दो परसेन्ट कमीशन देने की बात थी । यह 18 अप्रैल से लागू किया गया और 9 मई को समाप्त कर दिया गया ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले कमीशन एजेन्टों के द्वारा खरीद करने का निर्णय लिया गया और बाद में उस योजना को 9 तारीख को समाप्त करके सीधे खरीद का विचार कर लिया । आखिर ऐसा करने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी ?

श्री ऐज़ाज़ रिज़वी–

मैंने जैसा पूर्व में बताया कि पिछले वर्षों की जो दशा रही है कि हम लक्ष्य की आपूर्ति नहीं कर पाते थे, इसलिये शुरू में हमने दो परसेन्ट कमीशन की बात जो भारत सरकार से हुई थी, उसके अनुसार किया लेकिन जब हमने देखा कि हमको सीधे मिल सकता है, तो हमने अपने विभाग के द्वारा खरीददारी का

काम शुरू किया और 18 अप्रैल से 9 मई के बीच में कमीशन एजेन्टों के माध्यम से खरीद की गई। बाद में यह व्यवस्था खत्म करके डायरेक्ट खरीद की।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सवाल था कि क्या जो आढ़तियों को दो प्रतिशत कमीशन देने की प्रथा थी उसके अनुसार किसानों को भी कमीशन देगी ? माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों की है या आढ़तियों और दलालों की ?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, क्या सरकार दलालों की सरकार है ? किसानों को न देकर दलालों को देती है, इसका जवाब दिलवा दें।

श्री बिजेन्द्र आर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि आढ़तियों का कमीशन देने का निर्णय इसलिये लिया गया कि गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा हो सके। मेरा यह कहना है कि किसान ने अगर 100 क्विंटल गेहूं पैदा किया। अपने खर्च के लिये रखकर एक्स्ट्रा गेहूं को निश्चित रूप से बेचने के लिये जायेगा। माननीय मंत्री जी यह कहना है कि आढ़तियों को कमीशन देकर किसानों को प्रोत्साहित किया है, यह बिल्कुल गलत है। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि अगर आढ़तियों को कमीशन देने का निर्णय लिया गया था फिर बाद में उस पर रोक क्यों लगा दी ? इस बीच में किसानों को कमीशन मिलना चाहिए था। क्या किसानों को ऐरियर देने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं-नहीं यह तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार यह कहती है कि वह किसानोन्मुखी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 9 मई 98 को वह 2 प्रतिशत कमीशन देने का व्यवस्था बरकरार थी, तो जिन किसानों ने स्वतः 9 मई, 98 तक गेहूं बेचा है उनको भी 2 प्रतिशत कमीशन के अनुसार भुगतान करने की कृपा यह सरकार करेगी ?

श्री ऐज़ाज रिज़वी–

मान्यवर, गेहूं का समर्थन मूल्य भारत सरकार निर्धारित करती है। 455 रुपया प्रति क्विंटल के आधार पर भारत सरकार ने समर्थन मूल्य निर्धारित किया था। क्योंकि यह पैसा कम था, कीमत कम थी इसलिए भारत सरकार से निवेदन किया गया कि कुछ पैसा बढ़ा दिया जाय। भारत सरकार ने 55 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर समर्थन मूल्य के आधार पर बोनस देने की स्वीकृति दी। मैंने पूर्व में यह बात कही है। पिछले वर्षों में भारत सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। क्योंकि गेहूं की खरीदारी नहीं कर पाते थे। भारत सरकार इस बात पर जोर देती थी कि खरीदारी को भारत सरकार के दिशा निर्देश पर हरियाणा, पंजाब में प्रथा लागू है, कमीशन एजेन्ट की। हमारे यहां कमीशन एजेन्ट नहीं हैं इसलिए दो परसेन्ट का इन्सन्टिव देकर बिलौलियों को रखा गया है, ताकि लक्ष्य की पूर्ति हो सके।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मा० खाद्य मंत्री जी को जो जवाब देना चाहिए था, वह नहीं दिया । इन्होंने आढ़तियों को लाभ पहुंचाया है जिसका किसान बराबर विरोध करते रहे हैं । यह लोग हमेशा आढ़तियों और पूंजीपतियों को लाभ देने का काम करते हैं । मैं इस किसान विरोधी नीति के खिलाफ सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा० खाद्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस व्यवस्था को खत्म करने के लिए किसानों का सतत प्रयत्न जारी रहा और वह संघर्षशील रहे । उस व्यवस्था को आपने लागू कर दिया है । किसानों को 510 रुपया और आढ़तियों को 2 परसेन्ट देकर 519 रुपये कर दिया है, तो मैं मा० मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बात का विश्वास सदन को दिलायेंगे कि आढ़तियों के बराबर किसानों को धनराशि दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

जो आंकड़े मा० खाद्य मंत्री जी ने दिये हैं इससे किसानों को ज्यादा धनराशि देंगे । किसानों को 510 रुपया देंगे और आढ़तियों को देंगे 455 रुपये और दो प्रतिशत कमीशन दे देंगे । इस तरह से 464 रुपया आढ़तियों को दिया जायेगा और 510 रुपया किसानों को दिया जायेगा, तो किसानों को ज्यादा मिलेगा ।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, ऐसा नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 510 रुपया किसानों को और 519 रुपया आढ़तियों को दिया जा रहा है, तो आढ़तियों को ज्यादा दिया जा रहा है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति है । उत्तर प्रदेश के अलावा कई प्रदेशों में पंजाब में, हरियाणा में जहां सरकारी एजेन्टों के माध्यम से गेहूं क्रय किया जाता है । साथ ही साथ कमीशन एजेन्ट के माध्यम से भी गेहूं क्रय किया जाता है, आढ़तियों के माध्यम से गेहूं क्रय किया जाता है । वहां पर केन्द्र सरकार उनको अलग से कमीशन देती है । प्रदेश सरकार कोई कमीशन नहीं देती है । उत्तर प्रदेश में वही व्यवस्था लागू की गयी है । यह व्यवस्था इसलिए लागू की गयी है क्योंकि कहीं-कहीं शिकायत आती थी कि सरकारी एजेन्ट से सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है । किसानों को सुविधा उपलब्ध कराई गई है, यह स्कीम प्रदेश सरकार की नहीं है । यह स्कीम प्रदेश में पहले भी लागू हो चुकी थी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बिलौलिये को 519 दिया जा रहा है और किसानों को 510/–रुपया दिया जा रहा है, तो इस तरह से 9 रुपया ज्यादा बिचौलिये को दिया जा रहा है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने किसी बिचौलिये को नहीं दिया है, जो कमीशन मिलता है, वह केन्द्र सरकार से मिलता है ।

श्री अध्यक्ष–

बिचौलियों को 455/–रुपया दिया जा रहा है और 9.10 पैसे और जोड़ लीजिये, तो इस तरह से 464/–रुपया बिचौलियों को दिया जा रहा है और किसानों को 510/–रुपया मिल रहा है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं रेट पूछा रहा हूं कि बिचौलियों को कितना दिया जा रहा है और किसानों को कितना दिया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह कमीशन केवल कमीशन एजेन्ट को नहीं मिल रहा है बल्कि जो सरकारी एजेन्सी क्रय करती हैं, उनको भी अलग से कमीशन मिलता है। 510/–रुपया किसानों को मिल रहा है जो क्रय करने वाली एजेन्सी हैं, चाहें वह निजी क्षेत्र की हों या सरकारी एजेन्सी हो, उनको खरीद करने पर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार बिचौलियों के हाथ बिक गयी है और बिचौलियों को ज्यादा पैसा दे रही है। यह लोग बिचौलियों के एजेन्ट बनकर यहां पर बैठे हैं। 510/–रुपये किसानों को और 519/–रुपये बिचौलियों को दिया जा रहा है। यह बिचौलियों और दलालों की सरकार है। अतः हम इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(कांग्रेस (आई) के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पहले भी केन्द्र सरकार ने दिया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार कोई कमीशन नहीं दे रही है।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह बताया कि प्रदेश सरकार किसी प्रकार का कमीशन नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय समरपाल सिंह जी अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। कृपया बैठ जायें। 12.20 हो गया है।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने जी हां आढ़तियों के माध्यम से गेहूं खरीदने पर उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य प्रति कुन्तल रु० 455/–का 2 प्रतिशत अर्थात् रु० 9.10 प्रति कुन्तल की दर से कमीशन देने का निर्णय लिया गया था, यह दिया। मान्यवर, यह उत्तर तो गलत है।

(व्यवधान)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह बिचौलियों और दलालों की सरकार है। यह बिचौलियों को अधिक तथा किसानों को कम मूल्य दिला रही है। इसलिए हम इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय किसान कामगार पार्टी के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

नोट :–नोटी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या–8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्रमायुक्त संगठन में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा सेवा के चिकित्साधिकारियों के अनुरूप उच्चत्तर वेतनमान दिये जाने पर विचार करने की मांग

*9–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्रम विभाग के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कार्यरत चिकित्साधिकारियों (वेतनमान 2200–4000) को, प्रान्तीय चिकित्सा सेवा के चिकित्साधिकारियों के अनुरूप 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त उच्चतर वेतनमान दे दिया जाता है जबकि उसी के अधीन श्रमायुक्त संगठन में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को यह सुविधा 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद देय होती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या सरकार इस असमानता को दूर करके आयुक्त, श्रमिक कल्याण में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को भी 1 जनवरी, 1986 से उक्त सुविधा दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

पूर्व में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्साधिकारी प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के ही अधिकारी थे । कर्मचारी राज्य बीमा योजना के श्रम विभाग को हस्तान्तरण के अवसर पर यह निर्णय लिया गया था कि योजना में कार्यरत कर्मियों को चिकित्सा सेवा संवर्ग के समान ही वेतन एवं भत्ते अनुमन्य होंगे । प्रदेश की अन्य सेवा के अधिकारियों की भांति श्रमायुक्त संगठन के चिकित्साधिकारियों को 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर वैयक्तिक वेतनमान के रूप में समयमान वेतनमान अनुमन्य है ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

समता समिति की संस्तुतियों के उपरान्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में इन पदों पर समयमान वेतनमान की वही प्रक्रिया लागू है जो रुपया 2200–4000 (पुराना वेतन) तथा इससे उच्च वेतनमान के अधिकारियों हेतु सामान्य निर्णयों के अन्तर्गत है ।

10– श्री राजधारी–

[6 वें मंगलवार के ता० प्र० स० 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी, मस्टर रोल तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की मांग

*11–श्री तेजभान सिंह–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, मस्टर रोल तथा वर्कचार्ज के कर्मचारियों की सेवायें नियमित किये जाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो उक्त नियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान समय में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् में पद रिक्त न होने के कारण मस्टररोल/वर्कचार्ज/दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की सेवायें नियमित किया जाना सम्भव नहीं है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के अकेन्द्रीय सेवा के नियमित कर्मचारियों व उनके आश्रितों की सम्पत्तियों के ब्यौरों को सदन के पटल पर रखने की मांग

*12–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उनके सेवाकाल में आने के पश्चात् उनके द्वारा अथवा उनके आश्रितों

के नाम अर्जित की गयी निजी सम्पत्तियों का ब्योरा प्राप्त जाने की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के उक्त निजी सम्पत्तियों के ब्योरे को सदन के पटल पर रखने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के अकेन्द्रीयित सेवा के नियमित कर्मचारियों व उनके आश्रितों की सम्पत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है ।

सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा अभी तक अपेक्षित ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराये जा सकने के कारण उनकी सम्पत्तियों के ब्यौरे को सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है ।

उत्तरांचल विकास हेतु हिलट्रान को नोडल एजेन्सी बनाने विषयक प्रस्ताव

*13–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिलट्रान को नोडल एजेन्सी बनाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से इसे कार्यरूप दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल निशंक)–

जी हां ।

इस हेतु भारत सरकार की सहमति अपेक्षित होने के कारण समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*14–श्री राम औतार शाक्य–

[16वे मंगलवार में ता० प्र० सं०–1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गौतम बुद्ध नगर के मै० मदरसन सुम्बी सिस्टम्स लि० नोएडा में महिला श्रमिकों पर हुए लाठी चार्ज के फलस्वरूप 18 महिला श्रमिकों को फैक्ट्री नियम विरुद्ध सेवाएं समाप्त करने की शिकायत

*15–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि 13-3-97 को मै० मदरसन सुम्बी सिस्टम्स लि० नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर में कार्यरत महिला श्रमिकों पर लाठी चार्ज किया गया था, जिसमें महिलायें घायल भी हुई थी ? क्या यह भी सही है कि 18 महिला श्रमिकों की फैक्ट्री नियम के विरुद्ध उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सेवा समाप्त श्रमिकों को पुनः काम पर लेगी एवं दोषी मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

सेवायोजकों द्वारा केवल 9 महिला श्रमिकों को निलम्बित किया गया था जिसमें से 5 महिला श्रमिकों को समझौता दिनांक 10-4-97 के अनुसार पूर्ववत् कार्य पर ले लिया है और शेष 4 महिला श्रमिकों द्वारा आपसी समझौते के अनुसार पूर्ण व चुकता हिसाब कर लिया गया है ।

उपर्युक्त 4 महिला श्रमिकों द्वारा सेवायोजकों से स्वेच्छा एवं आपसी समझौते के अन्तर्गत पूर्ण व अन्तिम हिसाब प्राप्त कर लिया गया है।

उपर्युक्त के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जालौन की नगर पालिका परिषद कालपी के सफाई कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान

*16–श्री श्रीराम पाल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की समस्त नगर महापालिका परिषदों, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों, नोटी फाइड एरिया में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित व प्रतिमाह वेतन दिये जाने हेतु कोई विशेष नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि जनपद जालौन की नगर पालिका परिषद, कालपी के सफाई कर्मचारियों को 16 माह से वेतन न मिलने से डेढ़ माह से उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है ? यदि हां, तो क्या नगर पालिका परिषद् कालपी को सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से वेतन का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन की नगर पालिका परिषद् कालपी के सफाई कर्मचारियों का 10 माह का वेतन बकाया होने के कारण नगर पालिका परिषद् के सफाई कर्मचारी दिनांक 2-5-98 से 10-6-98 तक हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों व नगर पालिका परिषद् प्रशासन के मध्य हुये समझौते के तहत कर्मचारी हड़ताल समाप्त कर दिनांक 11-6-98 से कार्य कर रहे हैं।

समझौते के अनुसार राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर वर्ष 1997-98 से लिये इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि रु० 14,26,272/- से पिछले तीन माह का वेतन रु० 11,69,676/- तथा चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के 4 माह के लिये प्राप्त धनराशि रु० 30,23,688/- से रु० 11,89,226/- का भुगतान किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार भुगतान किया जा चुका है।

जनपद बलरामपुर में उतरौला कस्बे के निकट गांधी पार्क में अवैध निर्माण

*17–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला कस्बे के निकट जनपद बलरामपुर में नगर पालिका द्वारा गांधी प्रतिमा तोड़ दी गयी एवं उस गांधी पार्क में नगर पालिका अवैध रूप से दुकानों का निर्माण करा रही है ? क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण रोकेगी तथा उस पार्क में पुनः गांधी जी की प्रतिमा स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला बागपत में खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र में घोषित गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को आधे दाम पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना

*18–श्री रूप चौधरी–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को आधे दाम पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है ? यदि हां, तो खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र, जि०–बागपत में यह योजना कब तक लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

जी हां।

यह योजना लागू है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में विद्युत आपूर्ति हेतु शासन की नीति

*19–श्री बी० आर० वर्मा तथा श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में विद्युत आपूर्ति हेतु शासन की क्या नीति है ? क्या सरकार बतायेगी कि इस नीति के अनुसार मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान उपचुनाव के समय विद्युत आपूर्ति कितने घण्टे थी ? इस समय कितने घण्टे है ? इस तरह के विभेद का कारण क्या है ? क्या उपचुनाव के समय की गयी विद्युत आपूर्ति को अब भी बरकरार रखा जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

(I) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों (पर्वतीय एवं बुन्देलखण्ड छोड़कर) में प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है ।

(II) पर्वतीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है ।

(III) प्रदेश के समस्त नगरों में प्रतिदिन 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है । मड़ियाहूं विधान सभा में गत उपचुनाव के समय औसत विद्युत आपूर्ति तहसील स्तर पर 18 घंटे व ग्रामीण क्षेत्र में 14 घंटे थी ।

इस समय औसत विद्युत आपूर्ति तहसील स्तर पर 18 घंटे व ग्रामीण क्षेत्र में 10–12 घंटे है ।

उप चुनाव के सुगम संचालन तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु विद्युत की आपात कटौती से मुक्त किया गया था ।

निर्धारित स्तर की विद्युत आपूर्ति करने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला टिहरी गढ़वाल के अंजनीसैण एवं लम्बगांव में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

*20–श्री लाखीराम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के अंजनीसैण एवं लम्बगांव में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कालेज खोल दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

विचारोपरान्त उपरोक्त विद्यालय खोले जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

आजमगढ़ नगर परिषद् क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या

1–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगर परिषद् क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या के समाधान के लिये कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

योजना में तीन नलकूप, 1000 कि०ली० स्टोरेज एवं 4.00 कि०मी० वितरण प्रणाली प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में वर्ष 1994-95 से भुखमरी के कगार पर खड़े जूता मजदूरों को रोजगार दिलाने की योजना

2–डा० राम बाबू हरित–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद में वर्ष 1994-95 से भुखमरी के कगार पर खड़े जूता मजदूरों को रोजगार दिलाने हेतु सरकार की क्या योजना है ? क्या सरकार आगरा में चर्म नगर योजना शुरू करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जूता मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है परन्तु उद्योग विभाग द्वारा उनके प्रशिक्षण एवं टूल किट आदि उपलब्ध कराने हेतु योजना चलाई जा रही है ।

विश्व बैंक की सहायता से आगरा में जूता उद्योग के उत्थान तथा आधुनिकता प्रदान करने के अभिप्राय से उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि० आगरा द्वारा वर्ष 1975-76 में चर्म नगर परियोजना प्रस्तावित की गयी लेकिन इस परियोजना के सम्भाव्य (फीजिबल) न पाये जाने के कारण इसे क्रियान्वित नहीं किया गया ।

कानपुर शहर के श्यामनगर बी ब्लाक में पेयजल आपूर्ति

3–श्री लाखी राम जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्यामनगर बी ब्लाक, कानपुर की पेयजल आपूर्ति हेतु वर्ष 1980 में ट्यूबवेल तथा पानी की टंकी का निर्माण पूर्ण हो चुका था ? यदि हां, तो क्या उक्त टंकी से आज तक पानी की आपूर्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त टंकी दोषपूर्ण होने के कारण पानी की आपूर्ति आज तक नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जनहित में पानी की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां ।

टंकी के माध्यम से पानी की आपूर्ति नहीं की गयी बल्कि ट्यूबवेल से सीधे पानी की आपूर्ति की जा रही है ।

टंकी में निर्माण के समय से ही लीकेज होने के कारण टंकी के माध्यम से पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है ।

जी हां ।

जांच करायी जायेगी । जांचोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

4–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[दिनांक 26-6-98 को ता० प्र० सं० 4 तथा 13 द्वारा उत्तरित]

5–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित]

मृतक आश्रित को भुगतान के सम्बन्ध में श्रीमती कालिन्दी देवी पत्नी स्व० श्री धर्मेन्द्र लाल, अवर अभियन्ता के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

6–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के परिपत्र सहित श्रीमती कालिन्दी देवी पत्नी स्व० श्री धर्मेन्द्र लाल, अवर अभियन्ता का प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-11-97 जिसमें मृतक आश्रित को भुगतान न पाने की शिकायत है, डा० एस० पी० सिंह, ऊर्जा समिति ऊर्जा अनुभाग, उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

मृतक आश्रित को पारिवारिक पेंशन का पूरा भुगतान, सामान्य भविष्य निधि, लिंक इन्श्योरेन्स (बीमा), अवकाश नकदीकरण तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति आदि का भुगतान किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त मृतक कर्मचारी को अनुग्रह राशि, वेतन/भत्ता ऐरियर, तथा ग्रेच्युटी आदि का भुगतान उनके विरुद्ध डाले गये विविध अग्रिम के समक्ष समायोजन किये जाने के प्रकरण पर जांच चल रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के मौरावां पावर स्टेशन के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

7–श्री भरत सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौरावां, जनपद उन्नाव के पावर स्टेशन का निर्माण किस वर्ष किया गया था ? इसके निर्माण में कुल कितनी भूमि अधिग्रहण की गयी ? क्या यह सही है कि इसके निर्माण हेतु गाटा संख्या–21/2, 22/2, 22/3 की भूमि अधिग्रहण की गयी थी ? क्या इसमें गाटा संख्या–22/2, 22/3 श्री हरिश्चन्द्र पुत्र श्री महावीर सिंह की थी ? यदि हां, तो गाटा संख्या–21/2 भूमि किस भूस्वामी की अधिग्रहण की गयी थी ? क्या उक्त भूमि को अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत नहीं अधिग्रहण किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त भूमि के मुआवजे का पूर्ण भुगतान शासनादेश संख्या–244/1-13/89–रा०–13, दिनांक 7 मार्च, 1989 एवं 2-1(4)/85–175-रा०–13, दिनांक 16 नवम्बर, 1985 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत भूमि के संबंध में विद्युत परिषद की विधि शाखा द्वारा दिये गये अभिमत एवं शंका को दृष्टिगत करते हुये, इस प्रकरण से संबंधित समस्त बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय जांच आदेशित की गयी थी। जांच हेतु संदर्भित कतिपय बिन्दुओं पर आख्या अपूर्ण/अस्पष्ट होने के कारण जांच अधिकारी से पूर्ण/स्पष्ट जांच आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। पूर्ण जांच आख्या प्राप्त होने एवं उसके परीक्षणोपरान्त इस प्रकरण में यथा आवश्यक कार्यवाही करना सम्भव होगा।

जनपद उन्नाव के मौरावां पावर हाऊस में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे में किये जा रहे विलम्ब के कारणों की जानकारी

8–श्री भरत सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड उन्नाव के पत्र संख्या 156/वि०वि० उपखण्ड दिनांक 5-3-98 द्वारा 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र मौरावां जनपद उन्नाव की अधिग्रहीत भूमि की पैमाइश कराने का अनुरोध किया गया है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1987 में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव द्वारा उक्त भूमि विधिवत् अर्जन करने

हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उन्नाव से अनुरोध किया गया था ? क्या दिनांक 27-12-90 के असाधारण सरकारी गजट में उक्त भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हुई थी ? यदि हां, तो क्या गाटा संख्या 21/2 को भी उक्त अधिसूचना में शामिल किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? पुनः उपखण्ड अधिकारी उन्नाव द्वारा उक्त भूमि की पैमाइश कराने के क्या कारण हैं ? क्या वर्ष 1997 में प्रश्नगत प्रकरण हेतु जांच कमेटी गठित की गयी थी ? क्या उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखते हुए उसमें की गयी कार्यवाही से अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत भूमि के संबंध में विद्युत परिषद की विधि शाखा द्वारा दिये गये अभिमत एवं शंका को दृष्टिगत करते हुये, इस प्रकरण से संबंधित समस्त बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय जांच आदेशित की गयी थी । जांच हेतु संदर्भित कतिपय बिन्दुओं पर आख्या अपूर्ण/अस्पष्ट होने के कारण जांच अधिकारी से पूर्ण/स्पष्ट जांच आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है । पूर्ण जांच आख्या प्राप्त होने एवं उसके परीक्षणोपरान्त इस प्रकरण में यथा आवश्यक कार्यवाही करना सम्भव होगा ।

9–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 19-6-98 को आ० प्र० सं–53 द्वारा उत्तरित]

श्री राजपाल सिंह त्यागी अधीक्षण अभियन्ता अनपरा तापीय परियोजना द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में सांसद विधायक एम० एल० सी० के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

10–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक एवं श्री मानवेन्द्र सिंह, पूर्व एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 1-7-97 जो कि क्रमशः मुख्य मंत्री, अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित थे और जिसमें श्री राजपाल सिंह त्यागी, अधीक्षण अभियन्ता, अनपरा तापीय परियोजना द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाले का उल्लेख किया गया था, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

महाप्रबन्धक, अनपरा परियोजना, अनपरा से जांच करायी गयी । जांचोपरान्त पाया गया कि शिकायत में जो आरोप लगाये गये हैं, वे सभी असत्य एवं निराधार हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

132 के० वी० सब स्टेशन नींबू पार्क लखनऊ पर नव निर्मित भवनों की डिजाइन का कार्य बाहरी एजेन्सी से कराने की शिकायत

11–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत 132 के० वी० सब स्टेशन नींबू पार्क लखनऊ पर नव निर्मित भवनों का डिजाइन किस एजेन्सी द्वारा किस दर पर कराया गया ? क्या यह सत्य है कि परिषद् में अभिशाप मण्डल होते हुए भी डिजाइनिंग का कार्य प्राइवेट एजेन्सी से कराया गया ? यदि हां, तो प्राइवेट एजेन्सी को कितना-कितना कब भुगतान किया गया है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

1–132 के० वी० सब स्टेशन नींबू पार्क लखनऊ पर नव निर्मित भवनों का डिजाईन का कार्य किसी एजेन्सी द्वारा नहीं कराया गया । परन्तु वास्तुशिल्प (आर्कीटेक्चर) का कार्य मैसर्स राजीव कुमार एण्ड एसोशिएट के माध्यम से कराया गया जिसके लिये रु० 22,000.00 (रुपया बाईस हजार) मात्र का भुगतान किया गया ।

जी नहीं । डिजाइनिंग का कार्य परिषद् के अभियन्ताओं द्वारा किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

गोरखपुर इलाहाबाद एवं मेरठ क्षेत्रों में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के कार्यालय अपने रिश्तेदारों के घरों में चलाये जाने की शिकायत

12–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर, इलाहाबाद एवं मेरठ वितरण क्षेत्रों में कुल कितने कार्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं ? प्रत्येक भवन का कारपेट क्षेत्रफल किराया एवं कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है ? क्या यह सत्य है कि अनेकों कार्यालय परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उनके रिश्तेदारों के हैं ? क्या उनके किराये निर्धारण में परिषद् के नियमों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कुल 160 कार्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं जिनकी संख्या क्रमशः गोरखपुर, इलाहाबाद एवं मेरठ में 41,32 एवं 87 है । गोरखपुर एवं मेरठ के एक-एक भवन में 3 एवं 5 कार्यालय चल रहे हैं ।

विवरण संलग्न है । †

गोरखपुर एवं मेरठ में हैं परन्तु इलाहाबाद में नहीं हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ------पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (इन्दिरा नगर) लखनऊ ने अपने ही कार्यालय के सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं खण्डीय लेखाकार के विरुद्ध कथित गबन का आरोप

13–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (इन्दिरा नगर) लखनऊ ने अपने ही कार्यालय के सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं खण्डीय लेखाकार के विरुद्ध 52 लाख रुपये से अधिक का गबन संबंधी पत्र दिनांक 7-7-95 जो अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल (लेसू) लखनऊ को सम्बोधित था,

---

† छापी नहीं गई ।

दिया है ? यदि हां, तो इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी ? पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् नगरीय वितरण खण्ड, इन्द्रानगर, लखनऊ का पत्र दि० 5-7-95 (7-7-95 नहीं) जो लगभग रुपया–52.95.600/- की धनराशि को रोकड़ बही में देर से दर्ज करने से संबंधित है एवं जो उप मुख्य लेखाधिकारी (लेसू) लखनऊ को सम्बोधित है एवं जिसकी प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मंडल (II) लखनऊ तथा मुख्य अभियन्ता (लेसू) को प्रेषित की गयी है, प्राप्त हुआ है । इस पत्र में गबन की कोई शिकायत नहीं की गयी अपितु माह अप्रैल, 95 में कुछ संग्रहकर्ताओं द्वारा रुपया–12,65,306.33 की धनराशि उपभोक्ताओं से वसूल कर सीधे बैंक में जमा कर दी गयी परन्तु खण्ड कार्यालय को इसकी सूचना माह 5/1995 में दी गयी । इसी प्रकार माह मई 1995 में रु०–40,28,293.58 की धनराशि उपभोक्ताओं से वसूल कर, सीधे बैंक में जमा कर दी गयी परन्तु खण्ड कार्यालय को इसकी सूचना माह जून में दी गयी । अतः खण्ड कार्यालय की बही में उपरोक्त धनराशि की प्रविष्टि एक माह बाद क्रमशः मई एवं जून में की गयी ।

संदर्भित पत्र प्राप्त होने के पश्चात मुख्य अभियन्ता (लेसू) के पत्र संख्या–825–प्रले०का०/लेसूजोन/एम–75, दि०–17-8-95 के निर्देशानुसार कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता वि०न०वि०म० (द्वितीय) लखनऊ से सम्बद्ध लेखाधिकारी को जांच करने हेतु अधिकृत किया गया । लेखाधिकारी द्वारा जांच की गयी । जिसमें अनियमितताएं सही पायी गयी । तदोपरान्त विशेष संप्रेक्षण हेतु संस्तुति मुख्य अभियन्ता (लेसू), लखनऊ को प्रेषित की गयी । विशेष संप्रेक्षण दल की संप्रेक्षण रिपोर्ट के अनुसार अनियमित की पुष्टि की गयी परन्तु संप्रेक्षा आख्या में गबन की पुष्टि नहीं की गयी ।

धार्मिक बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर के विद्युतीकरण में हुए घोटाले से सम्बन्धित मा० सदस्य के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

14–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल, पूर्व विधायक का शिकायती पत्र दिनांक 5-4-94 जो कि तत्कालीन मुख्य मंत्री, उ० प्र० शासन, अध्यक्ष सदस्य (वितरण) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित और जो धार्मिक बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर के विद्युतीकरण में किये गये घोटाले से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं को उठाया गया था ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल के पत्र में कुशीनगर में विद्युत उपकेन्द्र के लिये खरीदी गयी भूमि में भयंकर घोटाले का उल्लेख किया गया है । मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र के माध्यम से जांच करायी गयी एवं पत्र में इंगित आरोप पूर्णतः निराधार एवं सत्य से परे पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

15–श्री हरदेव सिंह–

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित]

इन्दिरा नगर विस्तार लखनऊ के भूखण्ड खण्डों पर बने कूड़ाघर को हटाकर आवंटित करने की मांग

16–श्री तेजभान सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि इन्दिरा नगर विस्तार, लखनऊ के भूखण्ड सं०–16/790, 16/791, 16/792, 16/794, 16/795, 16/797 16/799, एवं 16/802 पर अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ है जिससे ये भूखण्ड कूड़ाघर बन गये हैं जिससे प्रदूषण का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूखण्डों को पुनः किसी अन्य को आवंटित करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

सन्दर्भित भूखण्डों पर आवंटियों द्वारा अभी भवन निर्माण नहीं कराया गया है । इन खाली भूखण्डों पर लोगों द्वारा कूड़ा फेंके जाने के कारण प्रदूषण होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद भवनों/भूखण्डों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम 1979 (यथा संशोधित) के विनियम–22 के अन्तर्गत निर्माण हेतु निर्धारित अनिवार्य अवधि समाप्त होने पर निहित प्रक्रियानुसार री–इन्ट्री की कार्यवाही कर अन्य के पक्ष में नियमानुसार भूखण्ड आवंटन करने की कार्यवाही की जाती है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

17–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्रा०/मो० उतरेटिया रायबरेली रोड लखनऊ मुख्य मार्ग पर स्थित श्री बाबू लाल (दूध डेरी) के मकान से लेकर नाले के पास स्थित श्री राम आसरे के मकान एवं अन्य मार्गों में खड़न्जा नाली बनाने की मांग

18–डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम/मो० उतरेटिया, रायबरेली रोड, लखनऊ मुख्य मार्ग पर स्थित श्री बाबू लाल दूध डेरी) के मकान से लेकर नाले के पास स्थित श्री राम आसरे के मकान एवं अन्य मार्गों में खड़न्जा एवं नाली बनवाये जाने विषयक मा० सांसद, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के पत्र पर दिनांक 21-4-97 को नगर विकास मंत्री द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर विकास विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी नहीं ।

प्रश्नगत भूमि पर गंगा सहकारी आवास समिति द्वारा अनाधिकृत एवं अनियमित रूप से भूविन्यास बनाकर विभिन्न लोगों को भूखण्ड विक्रय किये गये हैं, अतएव स्थल विकास का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित सहकारी समिति का है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एक ट्रान्सफार्मर पर दिये गये तीन कनेक्शनों में से एक के द्वारा बिल न जमा करने पर तीनों कनेक्शन काटे जाने की शिकायत

19–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि एक ट्रान्सफार्मर पर तीन ट्यूबवेल कनेक्शन दिये गये हैं और एक ट्यूबवेल मालिक का बिल जमा नहीं है, तो तीनों ट्यूबवेल का कनेक्शन काट दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने पर विचार करेगी कि एकता नियम समाप्त हो ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रेटर नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर की विद्युत आपूर्ति एवं विद्युतीकरण का कार्य प्राइवेट कम्पनी को दिया जाना

20–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर की विद्युत् अपूर्ति एवं विद्युतीकरण प्राइवेट कम्पनी को दिया गया है, किसानों को 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है, जिसके कारण किसान बर्बाद हो रहा है ? क्या ग्रेटर नोएडा पावर कम्पनी के लिये कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं । इस विषय में मैसर्स नोएडा पावर कं० लि० ने सूचित किया है कि ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति दिन औसतन 11 से 15 घन्टे विद्युत आपूर्ति की जाती है । माह जून, 98 में लगभग 13 घन्टे प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका सण्डीला, जनपद हरदोई में विद्युत विभाग के अवर अभियन्ता एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताएं

21–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका, सण्डीला, जनपद हरदोई में विद्युत विभाग के अवर अभियन्ता एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमिताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 1998 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में स्वीकृत विद्युत ट्रांसफार्मर की स्थापना

22–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–एम–4/99-12/गोण्डा/97, दिनांक 29-10-97 उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में स्वीकृत विद्युत ट्रांसफार्मर की स्थापना के संबंध में

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या स्वीकृत ट्रांसफार्मर स्थापित करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? ट्रांसफार्मर कब तक स्थापित करवाया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

संदर्भित पत्र संख्या एम–4/99-12/गोण्डा/97, दिनांक 29-10-97 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। लेकिन इसी संदर्भ में माननीय ऊर्जा मंत्री जी को सम्बोधित पत्र संख्या क–2 नं०–045510 दिनांक 25-3-98 प्राप्त हुआ है जो उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में 250 केवीए परिवर्तक स्थापित करने से संबंधित है।

जी नहीं।

विषम वित्तीय स्थिति एवं सीमित संसाधनों के कारण।

धन की उपलब्धता एवं कार्यों के पारस्परिक वरीयता के आधार पर प्रश्नगत परिवर्तक को स्थापित किया जाना सम्भव होगा।

जनपद गोण्डा वर्तमान जनपद बलरामपुर के उतरौला विकास खण्ड के ग्राम डेवरा तथा ग्राम देवरिया जंगली में विद्युतीकरण कार्य

23–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व जनपद गोण्डा, वर्तमान जनपद बलरामपुर के उतरौला विकास खण्ड में ग्राम सभा डेवरा तथा ग्राम देवरिया जगली का विद्युतीकरण वर्ष 1982 में कराया गया है ? क्या वर्तमान समय में विद्युत आपूर्ति दोनों ग्रामों में करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विद्युत आपूर्ति न कराये जाने के लिये कौन दोषी हैं ? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये सामग्री उपलब्ध करायी गयी थी परन्तु विद्युतीकरण नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1983 में संबंधित अवर अभियन्ता ने सामान स्टोर से प्राप्त किया था परन्तु विद्युतीकरण नहीं कराया था। स्टोर से प्राप्त की गयी सामग्री के मूल्य की धनराशि अग्रिम प्रकीर्ण (मिसलिनियस एडवान्स) के रूप में अवर अभियंता के विरुद्ध डाल दी गयी है तथा मामले की छानबीन कर, प्रशासनिक कार्यवाही भी की जा रही है।

हरिश्चन्द्र पुत्र स्व० महावीर सिंह ग्राम लोनियन खेड़ा, मौरावां, जिला उन्नाव की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर एवं ब्याज का भुगतान

24–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि हरिश्चन्द्र पुत्र स्व० महावीर सिंह, ग्राम लोनियन खेड़ा, मौरावां, जनपद उन्नाव की अधिग्रहीत भूमि के संबंध में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उन्नाव के पत्र सं०–41 दिनांक 4-2-92 प्रोफार्मा बिल संलग्नक के अनुसार फरवरी, 1992 तक कुल धनराशि का भुगतान न करने पर 15 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से बढ़ जाना था, प्राप्त हुआ है ? क्या अपर सचिव, प्रथम रा० वि० परिषद् के पत्र सं०–347, दिनांक 14-2-97 में उपरोक्त भुगतान के स्पष्ट आदेश भी दिये गये हैं तथा तीन दिन के अन्दर परिषद् को अवगत कराने का निर्देश भी दिया है ? क्या डिवीजनल

इंजीनियर के पत्र/वि०वि०ख०/उ० कैम्प दिनांक 26-2-97 में भुगतान के आदेश के साथ प्रतिकर की धनराशि को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो क्या संबंधित को प्रतिकर पर ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो सम्पूर्ण भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में विद्युत परिषद् की विधि शाखा द्वारा दिये गये अभिमत एवं शंका को दृष्टिगत करते हुए, इस प्रकरण से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय जांच आदेशित की गयी थी । जांच हेतु सन्दर्भित कतिपय बिन्दुओं पर आख्या अपूर्ण/अस्पष्ट होने के कारण जांच अधिकारी से पूर्ण/स्पष्ट जांच आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है । पूर्ण जांच आख्या प्राप्त होने एवं उसके परीक्षणोपरान्त इस प्रकरण में यथा आवश्यक कार्यवाही करना सम्भव होगा ।

25–श्री नरेन्द्र सिंह शिसौदिया–

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत आडिट विंग, द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96, एवं 1996-97 में कतिपय खण्डों की जांच तथा दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

26–श्री नरेन्द्र सिंह शिसौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आडिट विंग द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96, एवं 1996-97 में कुल कितने खण्डों में जांच की गयी तथा कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी गयी है ? वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? सेवानिवृत्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वसूली करने में क्या कठिनाई है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आडिट विंग द्वारा प्रश्नगत वित्तीय वर्षों में 19 खण्डों की जांच की गयी । जांचों के फलस्वरूप अभी तक 26 अधिकारियों एवं 63 कर्मचारियों के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही हेतु चार्जशीट दाखिल कर दी गयी है ।

वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के विरुद्ध राज्य विद्युत परिषद् की जांच समिति के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही आदेशित है ।

नियमानुसार वसूली करने में कोई कठिनाई नहीं है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध वसूली तथा समायोजन का मामला

27–श्री नरेन्द्र सिंह शिसौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत परिषदीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध रुपये दस हजार या उससे अधिक शेष विविध प्रकीर्ण अग्रिम (लो०को० 090) के तहत वसूली/समायोजन की कार्यवाही परिषदीय आदेश संख्या–444 दिनांक 2-3-93 एवं पत्र संख्या 6255, दिनांक 7-5-97 के द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो कितने अधिकारियों/कर्मचारियों से कितनी धनराशि की वसूली प्रतिमाह प्रारम्भ कर दी गई है तथा शेष कितने शेष हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

8 अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके विरुद्ध रु० 11,21,891.12 विविध प्रकीर्ण अग्रिम डाला गया में से 4 अधिकारियों/कर्मचारियों से पूर्ण एवं 4 अधिकारियों/कर्मचारियों से आंशिक वसूली/समायोजन दिनांक 31-3-98 तक रु० 9,28,777.54 किया जा चुका है और 4 अधिकारियों/कर्मचारियों से अवशेष की वसूली प्रगति पर है । अग्रेत्तर 32 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध रु० 16,30,882.90 डाले गये विविध प्रकीर्ण की धनराशि वसूल की जानी शेष है ।

उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधिशासी निदेशक श्री एम० ए० खान द्वारा लाखों रुपयों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

28–श्री हरदेव सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधिशासी निदेशक श्री एम० ए० खान द्वारा 90.00 लाख रुपये के दुरुपयोग संबंधी श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा, सांसद, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा, श्री अजय कुमार पोइया एवं श्री राघव राम मिश्र विधायकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र, दिनांक 18-10-97 एवं 24-11-97 जो कि मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिज़वी–

जी हां ।

कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि का दुरुपयोग प्रमाणित नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पूर्ति अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अवैधानिक तरीके से सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कार्यवाही की मांग

29–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 28 मई, 1998 जो जिला पूर्ति अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अवैधानिक तरीके व भारी भ्रष्टाचार करके 24 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें मिला हैं ? क्या मंत्री जी उक्त कोटे की जांच कराने व दोषियों को दण्डित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिज़वी–

जी हां ।

जी हां ।

इसकी जांच अपर जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा की जा रही है । दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश के कतिपय जिलों की नगर पालिका परिषदों, एवं नगर पंचायतों टेलीफोन व स्टाफ कार के सही ढंग से प्रयोग न किये जाने की शिकायत

30–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपके द्वारा नगरपालिका परिषद् प्रतापगढ़ के विरुद्ध जांच कराये जाने के संबंध में पत्र दिनांक 17-5-97, 17-6-97 को निदेशक स्थानीय निकाय एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो विशेष जांच का कार्य किस तिथि से प्रारम्भ किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर की नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के पास कितनी एस० टी० डी० टेलीफोन एवं स्टाफ कार उपलब्ध है ? क्या यह सही है कि उक्त स्टाफ कार और टेलीफोन का दुरुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुरुपयोग करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी पर 132 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के संबंध में कार्यवाही

31–श्री राजेन्द्र प्रताप उर्फ मोती सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी पर 132 के० वी० ए० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु प्रश्नकर्ता के कुल कितने पत्र प्राप्त हुये हैं ? क्या इस हेतु अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् के भी आदेश प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इस मामले में प्रगति की स्थिति क्या है ? क्या सरकार समय सीमा निर्धारित करते हुये 132 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र सहित 33/11 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र सैफाबाद, रूदहा, हरीपुर की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

दस पत्र प्राप्त हुये हैं ।

जी हां ।

तकनीकी दृष्टिकोण से जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी में वर्तमान में 132 के०वी० उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

1–तहसील पट्टी में 132 के०वी० उपकेन्द्र की स्थापना हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

2–सैफाबाद में 33/11 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण कार्य सूची में सम्मिलित कर लिया गया है । परिषद की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण इस उपकेन्द्र की स्थापना की तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

3–रूदहा तथा हरीपुर में वर्तमान में 33/11 के० वी० उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित नहीं है । अतः समय सीमा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन लकड़ी के बजाय सीमेन्ट खम्भों में दिये जाने की मांग

32–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में सैकड़ों गांवों में विद्युत कनेक्शन लकड़ी के पोल पर दिया गया है ? क्या यह सही है 10–15 वर्ष बीतने के बाद लकड़ी का पोल सड़ गल गये हैं और इससे खतरा हो गया है ? क्या यह भी सही है कि कई स्थानों पर मवेशी एवं आदमियों के मरने की सूचना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सीमेंट पोल की शीघ्र व्यवस्था करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । 30–40 वर्ष पहले लकड़ी के पोल पर विद्युत कनेक्शन देने का प्राविधान था ।

आंशिक रूप से सही है । कुछ लकड़ी के पोल कालान्तर में सड़ गये थे, जिनको सीमेंट के पोल से बदल दिया गया है । अतएव खतरे का प्रश्न नहीं उठता ।

संज्ञान में नहीं है ।

लकड़ी के पोल टूटने की सूचना प्राप्त होने पर उसके स्थान पर सीमेंट के पोल यथाशीघ्र लगा दिये जाते हैं ।

सूचना प्राप्त होने के बाद तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

33–श्री अजय कुमार पोइया–

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील में स्थित हिमालय पर्वत की श्रृंखला पंचचुली के सौन्दर्यीकरण की मांग

34–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी में स्थित हिमालय पर्वत की श्रृंखला पंचचुली की पांच पर्वत चोटियां जो कि प्राकृतिक सौन्दर्य हेतु विश्व विख्यात है, को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? क्या सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने हेतु पंचचुली घाटी का सर्वेक्षण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मुन्स्यारी के समेकित विकास हेतु वर्ष 1996–97 में कुमायूं मण्डल विकास निगम को राज्य शासन द्वारा रु० 4.00 लाख की धनराशि मास्टर प्लान तैयार करने हेतु प्रदान की गई है ।

मुन्स्यारी तथा आस-पास के क्षेत्र का समेकित विकास ।

मुन्स्यारी का समेकित विकास प्रस्तावित मास्टर प्लान के अन्तर्गत सम्मिलित है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद जौनपुर के मेहरावां ग्राम की विद्युत समस्या के निदान हेतु दिया गया ज्ञापन

35–श्री अफजाल अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के मेहरावां ग्राम की विद्युत समस्या के निदान हेतु श्री अमरजीत सिंह रिजवी खां (सराय) जौनपुर द्वारा कोई ज्ञापन दिनांक 11 अप्रैल, 1998 को ऊर्जा राज्य मंत्री को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद जौनपुर के मेहरावां ग्राम की विद्युत समस्या के निदान हेतु श्री अमरजीत सिंह, (रिजवी खां सराय) जौनपुर द्वारा कथित ज्ञापन दिनांक 11 अप्रैल, 1998 प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है । तथापि यह सूचित करना है कि ग्राम मेहरावां को विद्युत आपूर्ति एक 25 के०वी०ए० के ट्रांसफार्मर द्वारा की जा रही है । विगत में इस ट्रांसफार्मर से एक निजी नलकूप एवं प्राइमरी हेल्थ सेंटर मेहरावां का संयोजन चल रहा था, परन्तु विद्युत बिल बकाया होने के कारण दोनों संयोजनों को विच्छेदित कर दिया गया ।

ग्राम मेहरावां की विद्युत आपूर्ति के लिये वर्तमान में किसी अतिरिक्त 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद छत्रपति शाहूजी महराज की तहसील कर्वी के ग्राम पहाड़ी में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की मांग

36–श्री आर०के०सिंह पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 6 मई, 1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने बांदा में घोषणा की थी कि जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर के तहसील कर्वी के ग्राम पहाड़ी में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो उपरोक्त घोषणा पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जनपद बांदा के तहसील कर्वी के ग्राम पहाड़ी में 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र तथा सम्बन्धित लाइन का निर्माण द्वितीय पारेषण की कार्य योजना में सम्मिलित है । परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण कार्य को पूर्ण कराने की कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर में चयनित अम्बेडकर गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

37–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इटखरी, ब्लाक चित्रकूट, जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर तथा ग्राम अरहा बरेठी ब्लाक पहाड़ी अम्बेडकर ग्राम चयनित हुये थे ? यदि हां, तो इन ग्रामों में विकास के कौन-कौन कार्य किये गये हैं ? क्या उपरोक्त दोनों गांव मुख्य मार्गों से जोड़े जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक वे ग्राम सड़क मार्ग से जोड़े जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)–

जी हां ।

उक्त ग्रामों में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमुख विकास कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

कार्यक्रम का नाम	इकाई	इटखरी	अरहा बरेठी
विद्युतीकरण	—	संतृप्त	संतृप्त
नाली/खड़न्जा	कि० मी०	05	.63
स्वच्छ शौचालय	संख्या	10	07
निःशुल्क बोरिंग	संख्या	03	04
आई०आर०डी०वी०	संख्या	125	96
इन्दिरा आवास	संख्या	10	25
हैण्ड पम्प	संख्या	15	12
स्कूल भवन	संख्या	01	01
किसान पेंशन	संख्या	09	26
विधवा पेंशन	संख्या	07	09

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण जोड़े नहीं जा सके हैं । धन की उपलब्धता होने पर ही उक्त ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाना सम्भव है ।

38–श्री आर० के० सिंह पटेल–

[6ठें शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताकुला में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की कथित घोषणा

39–श्री रघुराज सिंह चौहान–

क्या उत्तरांचल मंत्री को जानकारी है कि 5 सितम्बर, 1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताकुला में एक कन्या इण्टर कालेज खोलने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो कन्या इण्टर कालेज खोलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

दिनांक 6 जुलाई, 1998 को राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोमेश्वर ब्लाक ताकुला (अल्मोड़ा) का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम 513 नं० कमरा शक्ति भवन लखनऊ तथा 220 के०वी० सर्किट ब्रेकर की सफाई में हुई हानि की जानकारी

40–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम 513 नं० कमरा, शक्ति भवन, लखनऊ तथा 220 के०वी० सर्किट ब्रेकर की सफाई में लाखों रुपये की हानि विषयक श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 1–9–97 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

माननीय सांसद के संदर्भित पत्र दिनांक 1–9–97 में वर्णित सभी बिन्दुओं पर परिषद् स्तर से जांच के फलस्वरूप कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया । अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

41–श्री हरदेव सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उप मुख्य लेखाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की जी०पी०एफ० स्लिप आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने विषयक विधायक का पत्र

42–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उपमुख्य लेखाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की जी०पी०एफ० स्लीप देने हेतु कोई टाईम शेड्यूल बना दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह कब तक बना दिया जायेगा ? क्या इसकी सूचना संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों को दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में श्री नरेन्द सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 15–12–97 जो कि अध्यक्ष, उ०प्र० रा०वि०प० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियम 1983 में पूर्व से ही व्यवस्था है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उटता ।

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (जनपद पारेषण) एवं विद्युत जनपद अभिकल्प मंडल, लखनऊ की वर्ष 1996–97 की जी०पी०एफ० स्लिप निर्गत की जा चुकी है ।

43–श्री हरदेव सिंह–

(6ठें शुक्रवार के लिये स्थगित)

जनपद हरदोई की मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित अम्बेडकर गांवों की विद्युतीकरण तथा मुख्य सड़कों को जोड़े जाने की मांग

44–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावां नि०क्षे० के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत मल्लावां के अम्बेडकर ग्राम तेजीपुर बरौना मझिया, जाफरपुर, लक्ष्मीपुर, इस्माइलपुर, जगाई, तथा कावेरी तथा क्षेत्र पंचायत माधोगंज के ग्राम ठठिया जाहिदिपुर, एकसड्या, सैउड्ई रुईया, कुरसठ बुजुर्ग, शहाब्दा और गढैया खेड़ा एवं क्षेत्र पंचायत बिलग्राम के ग्राम अकबरपुर पसरामऊ कुतुआपुर आदि अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण कर उनको मुख्य सड़कों से जोड़ा गया है ?

यदि नहीं, तो उक्त ग्रामों को मुख्य सड़कों से कब तक जोड़ दिया जायेगा और विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

क्षेत्र पंचायत मल्लावां के अम्बेडकर ग्राम तेजीपुर, बरौना, मारिया, जाफरपुर, लक्ष्मीपुर, तथा क्षेत्र पंचायत माधोगंज के ग्राम सेउड़ई, रुइया, कुरसठ बुजुर्ग, बढ़ैया खेड़ा तथा क्षेत्र पंचायत बिलग्राम के ग्राम अकबरपुर, पसनामऊ कुतुबापुर मार्ग वर्ष 1997–98 की अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत संतृप्तीकरण हेतु चयनित है ।

इस्लामपुर, जगाई तथा कावेरी तथा क्षेत्र पंचायत माधोगंज के ग्राम ठठिया, जाहिदपुर, इकसइया, शहाबदा वर्ष 1998–99 की अम्बेडकंर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत संतृप्तीकरण हेतु चयनित जिला योजना में धनराशि प्राविधानित है ।

उपरोक्त ग्रामों में से मात्र क्षेत्र पंचायत माधोगंज के ग्राम रुइया को नाबार्ड योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ग्राम शुक्लापुर भगत मार्ग के पूर्ण होने पर मुख्य मार्ग से जुड़ जायेगा । इसके अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत मल्लावां का ग्राम लक्ष्मीपुर पंडित दीनदयाल सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है ।

विकास खण्ड जगदीशपुर सुल्तानपुर के अन्तर्गत सब स्टेशन गौरीगंज में 33 के०वी०, 11 के०वी० तथा एल०टी० लाइनों का रख-रखाव

45–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि०खण्ड जगदीशपुर सुल्तानपुर के अन्तर्गत सब स्टेशन, गौरीगंज में सब स्टेशन व लाइनों के अनुरक्षण में 31 मार्च, 1995 से 15 जुलाई, 1997 तक कुल कितनी धनराशि किस-किस मद में किन-किन महीनों में खर्च की गई है ? क्या इस खर्चे का कभी भौतिक सत्यापन अधीक्षण अभियन्ता स्तर के किसी अधिकारी या किसी आडिट स्तर के अधिकारी ने किया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

33/11 के०वी० उपकेन्द्र गौरीगंज तथा 33 के०वी०, 11 के०वी० तथा एल०टी० लाइनों के रख-रखाव एवं विद्युत प्रणाली को व्यवस्थित रखने के लिये अनुरक्षण कार्यों पर माह मार्च 95 से जुलाई, 97 तक कुल रु० 3 लाख 67 हजार खर्च हुआ है इस खर्चे की प्रतिपूर्ति का माहवार विवरण निम्नवत् है :–

माह	रुपया
3/95	30000.00
7/95	10000.00
9/95	10000.00
3/96	10000.00
4/96	20000.00
5/96	20000.00
6/96	20000.00
7/96	20000.00

माह	रुपया
8/96	10000.00
10/96	10000.00
11/96	10000.00
1/97	15000.00
2/97	22000.00
3/97	45000.00
4/97	30000.00
5/97	30000.00
6/97	45000.00
7/97	10000.00
योग रु०	367000.00

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस प्रकार के कार्यों का अधी० अभियन्ता स्तर के अधिकारी या आडिट स्तर के अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता है । सामान्यतः संबंधित अवर अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही सत्यापन किया जाता है ।

लखनऊ शहर में अलीगंज कुर्सीरोड तथा शेखूपुरा कालोनी के बीच स्थित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग

46–श्री तेजभान सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ शहर में चलाये जा रहे अतिक्रमण विरोधी अनेक अभियानों के बावजूद अलीगंज कुर्सी रोड तथा शेखूपुरा कालोनी के बीच स्थित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों को अब तक नहीं हटाया गया है ? इन अवैध कब्जों को कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

लखनऊ नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में नगर निगम अधिनियम की धारा 296 के अन्तर्गत केवल सड़क सीमा में अतिक्रमण हटाये जाते हैं अन्य सार्वजनिक भूमि से नहीं ।

सार्वजनिक भूमियों से अतिक्रमण कतिपय विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर यह निर्धारित करने के उपरान्त ही हटाये जा सकते हैं कि ऐसी भूमियों पर स्वामित्व किसका है ।

उपरोक्तानुसार ।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की ग्राम देवपुरा, परगना एवं तहसील मैनपुरी की अर्जित भूमि के मुआवजों का प्रश्न

47–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम देवपुरा परगना, तहसील व जिला मैनपुरी में स्थित भूमि को जो आवास विकास कालोनी के निर्माण हेतु अर्जित की गई है, का किसानों को किस आधार पर मुआवजा दिया गया ? क्या ऐसी भूमि का मुआवजा करते समय आस-पास की भूमि के किये गये विक्रय

पत्रों का अवलोकन किया गया ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार किसानों की आपत्तियों के निस्तारण हेतु तत्कालीन समय में किये गये बैनामों के आधार पर आंकी गई बाजारू कीमत के आधार पर मुआवजा दिलवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की ग्राम देवपुरा परगना एवं तहसील मैनपुरी की अर्जित भूमि का मुआवजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आगरा द्वारा प्रस्तावित योजना एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में विक्रय की गई भूमि के विक्रय पत्रों के आधार पर ही निर्धारित किया गया है ।

जी हां ।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा विक्रय पत्रों का वर्ष 1986 में अवलोकन किया गया था ।

उपरोक्तानुसार ।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिये गये अभिनिर्णय से असंतुष्ट होने पर किसानों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई है । सम्प्रति प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है । मा० न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उपर्युक्तानुसार ।

मौजा देवपुरा परगना व तहसील तथा जिला मैनपुरी में भूमि के आवास विकास कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रदत्त मुआवजा के विरुद्ध न्यायालय में लम्बित वाद

48–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मौजा देवपुरा परगना, तहसील व जिला मैनपुरी में स्थित भूमि में आवास विकास कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि में प्रदत्त मुआवजा के विरुद्ध कितनी आपत्तियां न्यायालय में लम्बित हैं ? क्या सरकार उन आपत्तियों के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

मौजा देवपुरा परगना व तहसील जिला मैनपुरी में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की कालोनी हेतु अधिग्रहीत भूमि में प्रदत्त मुआवजे के विरुद्ध 31 नग आपत्तियां मा० न्यायालय में लम्बित हैं, तथा 23 नग आपत्तियों को जिला न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है जिसके विरुद्ध परिषद् द्वारा मा० उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है ।

सम्प्रति प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, अतएव मा० न्यायालय के आदेशानुसार ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

सर्वोदय नगर निकट इन्दिरा नगर कालोनी लखनऊ में पानी की समस्या

49–श्री राजेन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सर्वोदय नगर निकट इन्दिरा नगर कालोनी लखनऊ में पानी की सप्लाई लाइन न होने के कारण वहां की जनता को पानी की भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वोदय नगर के लिये एक पानी की टंकी की व्यवस्था करते हुये सप्लाई लाइन डलवाने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

सर्वोदय नगर, एक अनियोजित रूप से विकसित प्राइवेट कालोनी है। यहां पर वर्तमान में पाइप द्वारा पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में 17 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं फिर भी पेयजल की समस्या है।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताकुला में डिग्री कालेज खोलने की घोषणा

50–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि 5 सितम्बर, 1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड, ताकुला में एक डिग्री कालेज खोलने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां।

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

मुख्यालय अल्मोड़ा नगर में राजकीय इण्टर कालेज खोलने की कार्यवाही की जानकारी

51–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को यह जानकारी है कि 28 अप्रैल, 1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा अल्मोड़ा में एक राजकीय इण्टर कालेज खोलने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां।

मुख्यालय अल्मोड़ा में राजकीय इण्टर कालेज अल्मोड़ा (बालक) अल्मोड़ा इण्टर कालेज (बालक) तथा रामजे इण्टर कालेज (बालक) स्थापित है। मुख्यालय अल्मोड़ा में कोई राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है जिसे इण्टर स्तर पर उच्चीकृत किया जा सके। शासन की सीधे नवीन राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की नीति नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

ब्लाक व तहसील भर्थना, जिला इटावा के कुतुबपुर व रामपुर व खुशालपुर ग्रामपुर सहजपुर चीकना, फूटताल, समरा व अटरिया ग्रामों में विद्युतीकरण का मामला

52–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक व तहसील भर्थना, जिला इटावा में ग्राम कुतुबपुर व रामपुर व खुशालपुर ग्रामों में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग तथा निर्बल लोग रहते हैं, में अभी तक विद्युत आपूर्ति नहीं की गई है ? क्या सरकार इन गांवों में प्राथमिकता के आधार पर बिजली उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

परिषद् द्वारा ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार उपलब्ध धनराशि के माध्यम से कराया जाता है । शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत किसी भी योजना में चयन न होने के कारण ग्राम कुतुबपुर, रामपुर व खुशालपुर का विद्युतीकरण वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त प्रस्तर में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

53–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ज्ञानपुर व सहजपुर तहसील व ब्लाक भर्थना जिला इटावा का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? क्या सरकार इन ग्रामों को बिजली उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

परिषद् द्वारा ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार उपलब्ध धनराशि के माध्यम से कराया जाता है । शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत किसी भी योजना में चयन न होने के कारण ग्राम ज्ञानपुर व सहजपुर का विद्युतीकरण वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त प्रस्तर में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

54–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चीकना व फूटाताल तहसील चकर नगर जिला इटावा का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? क्या सरकार इन ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

परिषद् द्वारा ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार उपलब्ध धनराशि के माध्यम से कराया जाता है । शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत किसी भी योजना में चयन न होने के कारण ग्राम चीकना व फूटाताल का विद्युतीकरण वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त प्रस्तर में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

55–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सगरा व अटिरिया तहसील चकर नगर जिला इटावा में अभी तक बिजली आपूर्ति नहीं की गई है ? क्या सरकार इन ग्रामों में विद्युतीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

परिषद् द्वारा ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार उपलब्ध धनराशि के माध्यम से कराया जाता है। शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत किसी भी योजना में चयन न होने के कारण ग्राम सगरा व ग्राम अटिरिया का विद्युतीकरण वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त प्रस्तर में स्थिति स्पष्ट की गई है।

उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों को अर्जित वेतन का भुगतान

56–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों को अर्जित वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? क्या इस संबंध में श्री सुखदेव प्रसाद मिश्र, मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, उ०प्र० का पत्र दिनांक 18–11–95 जो कि अपर श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर क्षेत्र, कानपुर को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की परियोजनाओं में कार्यरत अधिकारियों/कमचारियों की संख्या 749 है, जिनका वेतन भुगतान दिसम्बर, 1997 तक, परिक्षेत्रवार विपणन में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 931 है, जिनका वेतन भुगतान नवम्बर, 1997 तक तथा मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या 624 है, जिनका वेतन भुगतान अप्रैल, 1998 तक किया जा चुका है।

जी नहीं। श्री सुखदेव प्रसाद मिश्र, मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, उ०प्र० का पत्र दिनांक 18–11–95 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

57–श्री रामतेज यादव (एडवोकेट)–

(4 थे सोमवार में अता० प्र०सं० 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

मोहल्ला रसूलपुर बाराबंकी की सस्ते गल्ले की दुकान के संबंध में पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

58–श्री हरदेव सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत सं० न/31/27/5/98 जो जिलाधिकारी, बाराबंकी को सम्बोधित है और मोहल्ला रसूलपुर, बाराबंकी की सस्ते गल्ले की दुकान के संबंध मे है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

जी हां।

उक्त शिकायती पत्र की जांच कराई गई। प्रथम दृष्ट्या अनियमितता पाये जाने पर संबंधित उचित दर विक्रेता की दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम टिटावली तहसील चक्कर नगर जिला इटावा में विद्युतीकरण का प्रश्न

59–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम टिटावली तहसील चक्कर नगर जिला इटावा में अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस गांव को बिजली उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विभागीय अभिलेखों के अनुसार ग्राम टिटावली ब्लाक व तहसील चक्कर नगर जनपद इटावा पूर्व में ही एल०टी० मेन्स से विद्युतीकृत है। ग्राम में विद्युतीकरण का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश मुख्य अभियन्ता (वितरण) कानपुर को दे दिये गये हैं। भौतिक सत्यापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

60–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

तहसील चक्कर जिला इटावा में हनुमन्तपुर चौराहे पर विद्युतीकरण का प्रश्न

61–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि तहसील चक्कर नगर, जिला इटावा में हनुमंतपुर चौराहे पर अभी तक विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ? क्या यह क्षेत्र दस्यु ग्रस्त क्षेत्र है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी चौराहे पर विद्युतीकरण किये जाने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हनुमन्तपुर ग्राम में विद्युत है, चौराहे पर विद्युत नहीं।

जी हां।

हनुमन्तपुर ग्राम विद्युतीकृत है। चौराहे के विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है।

चौराहे के विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है।

उ०प्र०रा०वि०परिषद् के अन्तर्गत शहरी विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ आगरा के कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण की जांच सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

62–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र०रा०वि० परिषद् के अन्तर्गत शहरी विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ, आगरा के कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण की जांच संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23–9–97 जो कि प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ०प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के नाम भी बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० सम्पूर्णानन्द तेलियाबाग वाराणसी स्थित स्मारक की रख-रखाव का प्रश्न

63–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विख्यात स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं उ०प्र० के पूर्व मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द का वाराणसी में तेलियाबाग स्थित स्मारक अत्यन्त दयनीय स्थिति में होकर

खण्डहर का रूप धारण कर चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्मारक की दशा सुधारने एवं सुन्दरीकरण हेतु वाराणसी नगर निगम को आवश्यक धन उपलब्ध कराने व निर्देश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

तेलियाबाग तिराहे के साइड आइलैण्ड पर स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं उ०प्र० के पूर्व मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द जी की प्रतिमा स्थित है, इसका रख-रखाव नियमित रूप से नगर निगम वाराणसी द्वारा कराया जाता है । वर्तमान में स्थिति संन्तोषजनक है, इसके सौन्दर्यीकरण के लिये वाराणसी नगर निगम को आवश्यक धनराशि की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी नगर की सीमा क्षेत्र का विस्तार एवं जनसंख्या को देखते हुये मानक के आधार पर सफाई कर्मचारियों के बढ़ाये जाने की मांग

64–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर की सीमा क्षेत्र का विस्तार एवं जनसंख्या को देखते हुये मानक के अनुसार कितने सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है और वर्तमान में कितने नियमित सफाई कर्मचारी तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या नगर निगम वाराणसी द्वारा सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हेतु कोई पत्र संकया ∏/149/स्वा-/95–96 दिनांक 21-8-95 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र पर कोई भी कार्यवाही और निर्णय न लिये जाने का क्या कारण है ? वर्तमान में सफाई दुर्व्यवस्था को देखते हुये कर्मचारियों की संख्या में आवश्यक बढ़ोत्तरी किये जाने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

वाराणसी नगर की सीमा क्षेत्र का विस्तार एवं जनसंख्या को देखते हुये मानक के अनुसार नगर निगम वाराणसी में 3,640 पूर्णकालिक सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है । वर्तमान में 2,320 सफाई कर्मचारियों के पद सृजित हैं तथा 97 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

शासन को नहीं वरन् नगर निगम वाराणसी द्वारा सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हेतु पत्र संख्या 2/143/स्वा०/95–96 दिनांक 21-8-95 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ०प्र० से 1034 सफाई कर्मचारियों की पद सृजन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में महानगर को स्वच्छ बनाने हेतु सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यू०एस०ए० आई०डी० संस्था द्वारा तैयार कराया गया है इस योजना में डम्परप्लेसर, कन्टेनर, कन्टेनराइजड हाथ ठेले आदि की व्यवस्था करके पूरी तरह मैकेनाइजंड किये जाने की कार्यवाही चल रही है । इस व्यवस्था में लोडिंग अनलोडिंग के कार्यों में जो कर्मचारी लगे हैं वे रिक्त हो जायेंगे और उनका उपयोग सफाई व्यवस्था में किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० रा०वि०परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी में स्पेशल आडिट के दौरान पकड़ा गया घोटाला

65–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेगे कि उ०प्र०रा०वि० परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी में स्पेशल आडिट के दौरान जनवरी, 1995 से सितम्बर, 1997 के मध्य कुल कितने लाख रुपये का राजस्व घोटाला पकड़ा गया ? इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत विद्युत वितरण खण्ड बाराबंकी में 13–5–96 से 30–4–97 तक सम्पादित स्पेशल आडिट के दौरान सम्प्रेक्षा लेखा अवधि वर्ष 1993–94 से 1995–96 में की गई राजस्व वसूली की जांच में कुल 38,25,917.48 का राजस्व घोटाला पकड़ा गया । इसकी जांच उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के सदस्य (वितरण) के आदेशों द्वारा कराई गई । जांच में पाया गया कि रु० 35,83,546.48 की फर्जी क्रेडिट कम्प्यूटर बिलिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी गई तथा अनुबन्ध पंजिका में फर्जी रसीद सं० अंकित करके रु० 2,31,181.00 की हेरा-फेरी की गई । बिना रसीद संख्या अंकित किये विद्युत संयोजन निर्गत किये गये जिससे रु० 5,198 की हेरा-फेरी प्रकाश में आयी । इसके अतिरिक्त रु० 5,992 एस०एस०सी० एवं प्रतिभूतित के मद में वसूला गया धन खण्ड में जमा नहीं पाया गया । सम्प्रेक्षा दल द्वारा इंगित करने पर उक्त धनराशि रु० 5,992 राजस्व रसीद सं० 17/216473 दिनांक 11–3–97 के द्वारा जमा कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर परिषद् देवरिया में स्थित गोरखपुर रोड के बड़े नालों की सफाई

66–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर परिषद् देवरिया में स्थित गोरखपुर रोड के बड़े नालों की सफाई काफी समय से नहीं कराई गई है जिसके कारण संक्रामक रोग फैलने की आशंका है ? यदि हां, तो इसकी सफाई के लिये शासन क्या उपाय कर रहा है ? वर्तमान समय में विभिन्न श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी नगर परिषद् देवरिया में कार्यरत् हैं ?

श्री लालजी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा नगर में विकसित कालोनी में निर्मित आवासों की संख्या तथा उपभोक्ताओं को कब्जा देने का प्रश्न

67–श्री विजयपाल सिंह–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर आगरा में कोई आवास योजना विकसित की गई है ? यदि हां, तो उक्त कालोनी में निर्मित आवासों की संख्या क्या है ? क्या निर्मित आवासों को उपभोक्ताओं को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने उपभोक्ता शेष हैं जिनहें अभी तक आवास उपलब्ध नहीं कराये गये ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां ।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक 14,019 आवास निर्मित कराये गये हैं, जिनमें से अब तक 9,411 आवासों का कब्जा उपभोक्ताओं को दिया जा चुका है । इसके अतिरिक्त कमला नगर योजना, सिकन्दरा योजना, ट्रांस जमुना योजना फेज प्रथम एवं फेज द्वितीय विकसित की गई है ।

कुल 2,591 उपभोक्ताओं को जिनके द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गई हैं, को आवासों का कब्जा नहीं दिया गया है ।

68–श्री अजय भट्ट--

[4थे बुधवार में अता०प्र०सं० 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विश्वबैंक परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ महानगर में प्रकाश व्यवस्था में खर्च का विवरण

69–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्वबैंक परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ महानगर में प्रकाश व्यवस्था हेतु कुल कितने पोल लगाये गये ? मानक के अन्तर्गत उनका वजन कितना कम था ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध अप्रैल, 1997 तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सत्य है कि दोषी अधिकारियों को मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी भरपाई मुख्य नगर अधिकारी के वेतन से की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि मार्ग प्रकाश विभाग द्वारा विद्युत उपकरणों की आपूर्ति एवं भुगतान संबंधी अभिलेखों का आडिट कब कराया गया तथा लेखा परीक्षक ने किन-किन बिन्दुओं पर आपत्ति की ? क्या इस संबंध में श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद, का पत्र दिनांक 14-1-97 एवं 29-1-97 जो कि नगर प्रमुख एवं मुख्य नगर अधिकारी को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लालजी टंडन–

379 पोल ।

मानक के अनुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आडिट दिनांक 17-12-96 को कराया गया । लेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई :–

1—वित्तीय नियमों के अनुसार निविदाओं को आमंत्रित करने एवं खोलने के लिये निर्धारित समय का पालन न करने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार न कराया जाना ।

2—टेण्डर नोटिस जारी करने तथा स्वीकार करने की कार्यवाही एक ही सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये, जो नहीं किया गया ।

3—एक ही फर्म को पृथक-पृथक अनुबन्ध करके एक ही तिथि में स्वीकृत की प्रत्याशा में कार्य कराना । सम्भवतः सक्षम अधिकारी की वित्तीय सीमा अधिकार से बचने के लिये ऐसा किया गया ।

4—समस्त कार्य कार्यकारिणी की स्वीकृति की प्रत्याशा में कराये गये । कार्यकारिणी द्वारा पास प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत करें ।

5—बिल संख्या से निविदा मूल्य का काटा जाना ।

6—रु० 32,81,058.64 में वित्तीय नियमों का पालन न किया जाना ।

उपरोक्त सभी आपत्तियों का निराकरण विभाग द्वारा करा दिया गया है जिसका लेखा परीक्षक अधिकारी द्वारा परीक्षण भी किया जा चुका है ।

जी हां ।

जांच की गयी ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् में फर्जी नियुक्ति के संबंध में सांसद का शिकायती-पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

70–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र०रा०वि० परिषद् में फर्जी नियुक्तियों की भरमार विषयक श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 23-9-97 जो कि मा० मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के नाम भी बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

71–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

मोहल्ला मायानगर पो० निरालानगर लखनऊ शंकर नगर चौराहे से मुंशी गंज नाले तक में सड़क निर्माण

72–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला-मायानगर, पोस्ट निरालानगर, लखनऊ (शंकर नगर चौराहे से मुंशीगंज नाले तक) में सड़क का निर्माण के वर्ष 1972 के माह अप्रैल, में आदेश हुये थे ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त सड़क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है ।

उक्त मार्ग पर खण्डन्जा व नाली का निर्माण सूडासेल द्वारा कराया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को जी०पी०एफ० स्लिप भेजने की व्यवस्था की जानकारी

73–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों को जी०पी०एफ० स्लिप वर्ष 1996–97, 1997–98 की प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? समय से जी०पी०एफ० स्लिप भेजने की क्या व्यवस्था की गई है ? क्या यह सत्य है कि

एकाउन्ट विंग द्वारा लगातार विलम्बित किया जाता रहा है ? यदि हां, तो विलम्बित करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या इस संबंध में उ०प्र० विद्युत् मजदूर संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष का पत्र दिनांक 12-12-97 जो कि उप मुख्य लेखाधिकारी (पारेषण मध्य) लखनऊ एवं अध्यक्ष उ०प्र०रा० विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां, आंशिक रूप से । वर्ष 1996-97 में लगभग 75 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों को जी०पी०एफ० स्लिपें प्रदान कर दी गई हैं, शेष पर कार्य प्रगति पर है ।

इसमें विलम्ब का कारण प्रदेश भर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से समय से अनुसूची का न मिलना अथवा अनुसूची में कोई अशुद्धि होना है ।

समय से जी०पी०एफ० स्लिप भेजने हेतु तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के जी०पी०एफ० लेखों के रख-रखाव के कार्य को विकेन्द्रीकृत किया जा चुका है तथा सभी क्षेत्रों के उप मुख्य लेखाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (जनपद पारेषण) एवं विद्युत जनपद अभिकल्प मण्डल, लखनऊ की वर्ष 1996-97 की जी०पी०एफ० स्लिपें निर्गत की जा चुकी हैं । अतः किसी पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार

74–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में विधायक कोष्ठ के पत्रांक सी०एम०/वि०-को०/एम-3/8973/मथुरा/98, दिनांक 9-4-98 जिलाधिकारी मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां ।

प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्र पर सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा जांच की गई है । जांचोपरान्त इस प्रकरण में कोई सारवान तथ्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

75–श्रीमती उर्मिला देवी यादव–

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत के सिविल नागरिकों के आबादी वाले क्षेत्रों में छावनी परिषद् के नियंत्रण से मुक्त कराते हुये नगरपालिका की स्थापना की मांग

76–श्री अजय भट्ट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत के सिविल नागरिकों के आबादी वाले क्षेत्रों को "छावनी परिषद्" के नियंत्रण से मुक्त कराते हुये "नगरपालिका"

की स्थापना न किये जाने के क्या कारण हैं ? उपरोक्त क्षेत्र में ''नगरपालिका'' कब तक स्थापित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

जिलाधिकारी अल्मोड़ा से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रस्ताव में जिलाधिकारी अल्मोड़ा से कतिपय अतिरिक्त सूचनायें/अभिलेख मांगे गये हैं ।

जिलाधिकारी अल्मोड़ा से वांछित सूचनायें/अभिलेख प्राप्त होने पर यथानिर्णय कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत भिकियासैड, स्याल्दे एवं सल्ट के मुख्यालयों पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने पर विचार

77–श्री अजय भट्ट–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत भिकियासैण. स्याल्दे एवं सल्ट के मुख्यालयों पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त विकास खण्डों के मुख्यालयों पर बालिका इण्टर कालेज खोलने पर विचार करेगी ?

डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

जी हां ।

असेवित विकास खण्डों का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

बाल पेन्टिंग/पोस्टर/बैनर/कयास एवं होर्डिंग्स आदि लगाने में हुई आमदनी से लखनऊ/गाजियाबाद/गोरखपुर/बरेली नगर निगमों में हुये लाभ की जानकारी

78–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाल, पेण्डिंग/पोस्टर/बैनर/कयास (सांकेतिक पट्ट) एवं 20x10 फुट होर्डिंग्स लगाने की तिथि अपनाई गई है ? क्या यह सत्य है कि होर्डिंग्स लगाने के लिये वन टाइम भुगतान की नीति निर्धारित की गई थी ? यदि हां, तो किश्तों में भुगतान की नीति किसके द्वारा बनाई गई ? क्या 20x10 फुट की होर्डिंग्स पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त देय था ? यदि हां, तो उसकी वसूली क्यों नहीं की जा रही है ? उपर्युक्त मदों में वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में लखनऊ/गाजियाबाद/गोरखपुर/बरेली नगर निगमों में कितनी आमदनी हुई ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां ।

वर्ष 1997–98 में वन टाईम भुगतान तथा वर्ष 1998-99 में तीन किश्तों में भुगतान की नीति निर्धारित की गई है ।

किश्तों में भुगतान की नीति कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित उप समिति द्वारा बनाई गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्त मदों में नगर निगम, लखनऊ की पिछले चार वर्षों की वर्षवार आय निम्न प्रकार रही :–

वर्ष 1994-95	रु० 46,70,074.45
वर्ष 1995-96	रु० 42,92,415.30
वर्ष 1996-97	रु० 69,87,388.70
वर्ष 1997-98	रु० 87,64,378.50

नगर निगम, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं बरेली से सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर निगम लखनऊ में कर्मचारियों के भविष्य निधि की कटौतियों में घोटाला

79–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम लखनऊ में कर्मचारियों के भविष्य निधि की कटौतियों में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में आर्थिक अपराध सेल द्वारा जांच की गयी है ? यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तदैव ।

80—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद पीलीभीत के तहसील पूरनपुर में स्टेशन रोड पर जिला परिषद्/पंचायत द्वारा तोड़ी गयी दुकानों को पुनः बनवाया जाना

81—श्री गोपाल कृष्ण–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत के तहसील पूरनपुर में स्टेशन रोड पर जिला परिषद् द्वारा 15–20 वर्षों से बनी गरीबों की दुकानों को बिना नगर पालिका की अनुमति के तुड़वा दिया गया है ? क्या यह सही है कि जिला परिषद् द्वारा नगर पालिका सीमा के अन्दर नाले के ऊपर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रकरण की जांच कराकर इसमें दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

प्रश्नगत दुकानों को तोड़ने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

प्रश्नगत निर्माण जिला पंचायत द्वारा कराया जा रहा है ।

भूमि के स्वामित्व की जांच जिला प्रशासन द्वारा कराई जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम एरोली मल्ली तथा ग्राम चौडाला जिला पौड़ी गढ़वाल विद्युत आपूर्ति

82—श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम एरोली मल्ली तथा ग्राम चौंडला, जिला पौड़ी गढ़वाल की विद्युत आपूर्ति हेतु लगे ट्रांसफार्मर पर छेड़छाड़ करने के कारण लगभग 8 माह पूर्व करेन्ट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी ? क्या तब से उक्त गांवों की विद्युत आपूर्ति बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त ट्रांसफार्मरों को कांटेदार तारों आदि से सुरक्षित करते हुए गांवों की विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से सुनिश्चित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में जिला मैनपुरी को दिया जाने वाला खर्च का विवरण

83—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में वर्ष 1997-98 में सबसे अधिक और सबसे कम किस जिले का जिला प्लान था ? उनको वित्तीय वर्ष में कितना-कितना धन दिया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि मैनपुरी के जिला प्लान में कितना धन उक्त वर्ष में दिया गया है ? क्या सरकार मैनपुरी के पिछड़ा होने के कारण विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 1998-99 में डेढ़ गुना धन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

वर्ष 1997-98 की जिला योजना हेतु सुल्तानपुर जनपद को सबसे अधिक रु० 4297.61 लाख का परिव्यय तथा गौतमबुद्ध नगर जनपद को सबसे कम रु० 845.65 लाख का परिव्यय आवंटित हुआ । मैनपुरी जनपद को रु० 1517.41 लाख परिव्यय जिला योजना हेतु आवंटित हुआ ।

जिलों के मध्य वस्तुपरक मानक के आधार पर जिला योजना परिव्यय का आवंटन होता है । अतः किसी जनपद विशेष को जिला योजना हेतु अतिरिक्त परिव्यय आवंटित नहीं किया जा सकता । प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुए वर्ष 1997-98 की तुलना में किसी भी जनपद के परिव्यय में डेढ़ गुना वृद्धि किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में कोटे के अन्तर्गत प्रति माह दिये जाने वाले मिट्टी के तेल का निर्धारित कोटा

84—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में जनवरी, 1998 से अप्रैल, 1998 के मध्य निर्धारित कोटे से अतिरिक्त कितना मिट्टी का तेल प्रतिमाह दिया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि देवरिया जिले में कितना लीटर मिट्टी का तेल प्रतिमाह निर्धारित किया गया है ? किन-किन दुकानों को कितना-कितना तेल आवंटित किया गया है ? क्या यह सही है कि जिला पूर्ति अधिकारी देवरिया द्वारा उक्तअवधि में भारी अनियमितता की गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

मासिक कोटे के अतिरिक्त माह जनवरी, 1998 से 15 कि०ली०, फरवरी/मार्च, 1998 में 13-13 कि०ली,अप्रैल, 1998 में 30 कि०ली० तथा माह फरवरी, 1998 में चुनाव हेतु 155 कि०ली० अतिरिक्त मिट्टी का तेल आवंटित किया गया ?

माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 1998 में 2021 कि०ली० तथा अप्रैल, 1998 में 2372 कि०ली० प्रतिमाह मिट्टी के तेल का कोटा निर्धारित किया गया ।

नगरीय/उपनगरीय क्षेत्र की 139 उचित दर की दुकानों के मध्य 667 कि०ली० तथा ग्रामीण क्षेत्र की 1235 उचित दर की दुकानों के मध्य 1705 कि०ली० मिट्टी का तेल आवंटित किया गया ।

इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उतरौला जिला गोण्डा में सुलभ शौचालयों को बनाने हेतु स्वीकृत धन

85—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या एम–4/95–11-गोण्डा/97, दिनांक 29-10-97 जो उतरौला में सुलभ शौचालयों के निर्माण के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या निर्माण के लिये धन स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिय जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां ।

जी हां ।

निर्माण हेतु स्थल सम्बन्धी सभी औपचारिकताओं की पूर्ति करवाकर कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नव सृजित जिला चम्पावत के अन्तर्गत रीठा–अमोड़ी तथा धौन–दूयूरी मोटर मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव

86—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जिला चम्पावत के अन्तर्गत रीठा–अमोड़ी तथा धौन–दूयूरी मोटर मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो निर्माण कब से आरम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यथासमय विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

87—88—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

89—श्री मोहन सिंह रावत 'गांववासी'–

[5वें मंगलवार में अता० प्र० सं०–185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

90-91—श्री भारत सिंह रावत–

[5वें मंगलवार में अता० प्र० सं०–186 व 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

92—श्री रूप चौधरी–

[न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नगर निगम लखनऊ के विकास कार्यों के आवंटन प्रक्रिया के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय लखनऊ में विचाराधीन याचिका

93—श्री समरपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम, लखनऊ के विकास कार्यों के आवंटन प्रक्रिया के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय लखनऊ में कोई याचिका विचाराधीन है ? यदि हां,तो कब से ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां ।

दिनांक 8-7-1997 से ।

नगर पालिका परिषद्, टाण्डा (अम्बेडकरनगर) की अध्यक्षा श्रीमती अजरा सुल्तान अंसारी का भवन नजूल जमीन पर अवैध रूप से बना होने की शिकायत

94—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नगरपालिका परिषद्, टाण्डा (अम्बेडकरनगर) की अध्यक्षा श्रीमती अजरा सुल्तान अंसारी का नगरपालिका, टाण्डा (अम्बेडकरनगर) के क्षेत्रान्तर्गत जिस भवन में आवास है, वह नजूल की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित भवन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी नहीं ।

अभिलेखों के अनुसार यह भवन कृषि भूमि नम्बर 119 अ तथा 121 ब 120 ब 122 मिनजुमला खतौनी 1370 फसली पर बना है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जल संस्थान में सृजित पदों पर आरक्षण कोटा

95—श्री बाबू लाल कुरील–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा 19 अगस्त, 1996 को 206 पद लखनऊ जल संस्थान को सृजित किये गये थे ? क्या उनमें 180 पद जो एस० एस० ए०/पम्प चालक के थे, को भरने में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करते हुए आरक्षण के नियमों का पालन किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 1995-96 एवं 1997 में हुई तार चोरी की घटनाओं का विवरण

96—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 1995-96 एवं 1997 के प्रारम्भ से अब तक थाना वाइज विद्युत तार चोरी की कितनी घटनायें हुईं । उनका विवरण क्या है ? चोरी की कितनी

घटनाओं में चोरी के तारों की बरामदगी की गयी तथा चोरों को पकड़कर जेल भेजा गया ? क्या सरकार बिजली के तारों की चोरी की बढ़ती घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कोई विशेष दस्ते का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद मैनपुरी में वर्ष 1995-96, 96-97, 97-98 एवं मई, 98 तक कुल 108 चोरी की घटनायें हुई का विवरण थाना वाइज निम्न प्रकार है :––

थाना भोगांव	9
कुरावली	11
मैनपुरी	19
करहल	8
वरनाहल	4
घिरौर	7
बिछवां	13
दन्नाहार	4
कुर्रा	4
किशनी	15
कुसमरा	1
बेवर	5
एलाऊ	5
ओदा	3

तारों की चोरी की घटनाओं को देखते हुए महानिदेशक पुलिस को विशेष कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

जनपद प्रतापगढ़ में जल निगम निर्माण शाखा में कई करोड़ रुपयों में हुई अनियमितता की जांच

97—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोनी सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ में जल निगम निर्माण शाखा में कई करोड़ रुपये की अनियमितता की जांच का आदेश अध्यक्ष, जल निगम को पत्र संख्या–सी०एम०वि०को०/एम–5/10024, दिनांक 1-5-98 द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त जांच का परिणाम क्या है ?

श्री लाल जी टंडन–

इस संबंध में पत्र संख्या–सी०एम०वि०को०/एम–3/10024/प्रतापगढ़/98, दिनांक 1-5-98 प्राप्त हुआ है ?

जांच कराई जा रही है ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत उसके रख-रखाव में कथित दुरुपयोग

98—श्री राम औतार मिश्रा–

क्या अल्प संख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 कब से लागू किया गया है ? क्या यह सही है कि वर्तमान अधिनियम में नियंत्रक (कन्ट्रोलर) रखने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो पूर्व नियंत्रक शिया वक्फ बोर्ड जो कि 15-6-96 को अपना कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं, किस प्राविधान के तहत अभी भी नियंत्रक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि आज भी पूर्व नियंत्रक शिया वक्फ बोर्ड, वक्फ की सम्पत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं ? यदि हां,तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजा गजनफर अली खां)–

केन्द्रीय "वक्फ अधिनियम, 1995"भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 1996 से लागू किया गया है ।

जी हां । वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 99 में राज्य सरकार को अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के संचालन हेतु एकल सदस्यीय अथवा बहु-सदस्यीय प्रशासक नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है ।

उक्त के अतिरिक्त वर्तमान "वक्फ अधिनियम, 1995"की धारा 112 (3) में पूर्व एवं निरसित उ० प्र० वक्फ अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत किये गये कार्यों को संरक्षता प्रदान की गयी है एवं निरसित अधिनियम के प्राविधानों में निहित अधिकारों के अन्तर्गत किये गये समस्त कार्यों को ऐसे मान्यता दी गयी है जैसे वक्फ अधिनियम 1995 उक्त कृत्यों की तिथि को विद्यमान हों एवं "उ० प्र० वक्फ अधिनियम 1960" में वक्फ बोर्डस में नियंत्रक की नियुक्ति का प्राविधान था, एवं नियंत्रक नियुक्त थे तथा तब से अब तक वक्फ बोर्डस में वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक वक्फ बोर्डस के प्रशासक के रूप में नियंत्रक नियुक्त एवं कार्यरत हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

कुमाऊं जल संस्थान में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देने के संबंध में कृत कार्यवाही

99—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं जल संस्थान में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों को कम पारिश्रमिक दिये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/8309/मथुरा/98, दिनांक 27-3-98 महाप्रबन्धक, कुमायूं जल संस्थान, नैनीताल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लालजी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग–5 में भू-अर्जन व कब्जा

100—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग–5 के लिये जगत जननी सहकारी आवास समिति लि० की खसरा संख्या 459, ग्राम–बरगंवा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ स्थित भूमि विज्ञप्ति दिनांक 8-7-87 के द्वारा अर्जन करके कब्जा ले लिया गया है ? यदि हां, तो अवार्ड घोषित न किये जाने के कारण भूमि अर्जन से मुक्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या भूमि का कब्जा समिति को वापस दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भूमि अर्जन से मुक्त होने के बाद प्राधिकरण ने उक्त खसरे का कुछ भू-भाग विधि के विपरीत एल्डिको ब्रदर्स को निर्माण हेतु रजिस्ट्री करके कब्जा दे दिया है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 व 6 की कार्यवाही हो चुकी है परन्तु अभिनिर्णय घोषित न हो पाने के कारण प्रश्नगत भूमि पर अर्जन करके कब्जा नहीं प्राप्त हो सका ।

जी हां, अभिनिर्णय निर्धारित समयावधि में घोषित न होने के कारण अर्जन की कार्यवाही स्वतः कालबाधित हो गयी है किन्तु उक्त भूमि का अर्जन पुनः प्रस्तावित है । चूंकि भूमि पर विकास प्राधिकरण को अर्जन कर कब्जा प्राप्त नहीं हुआ था अतः समिति को कब्जा वापस किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद छत्रपति साहू जी महाराजनगर में चयनित अम्बेडकर गांव कसहाई, रुपहाव कंठीपुर ब्लाक चित्रकूट में विद्युतीकरण

101—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कसहाई रूपहाव कंठीपुर, ब्लाक चित्रकूट, जनपद छत्रपति साहूजी महाराजनगर अम्बेडकर ग्राम चयनित हुए थे ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में विकास के कौन-कौन से कार्य कराये गये ? क्या इन तीनों ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी हां ।

उक्त ग्रामों में कराये गये प्रमुख विकास कार्यों का विवरण निम्नवत् है :—

कार्यक्रम का नाम	इकाई	कसहा	सपहा	कंठीपुर
सम्पर्क मार्ग	कि०मी०	है	.46	1.12

(निर्माणाधीन है)

विद्युतीकरण	—	संतृप्त	संतृप्त	संतृप्त
नाली/खड़न्जा	कि०मी०	1.0	.90	.80
स्वच्छ शौचालय	संख्या	46	53	10
निःशुल्क बोरिंग	संख्या	21	34	03
आई० आर० डी० पी०	संख्या	143	197	71
इन्दिरा आवास	संख्या	58	22	24
हैण्ड पम्प	संख्या	24	11	16
स्कूल भवन	संख्या	3	1	1
किसान पेंशन	संख्या	64	42	32
विधवा पेंशन	संख्या	33	06	08

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद बलरामपुर में विद्युत वितरण खण्ड बलरामपुर के अधीन कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु के बाद अवशेषों के भुगतान न करने का कारण

102—श्री श्याम किशोर यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर में कार्यरत कर्मचारी श्री नन्द कुमार मिश्र, श्रमिक की मृत्यु कार्य करते समय दिनांक 22-5-98 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी पत्नी को उनके पेंशन, ग्रेच्युटी, फण्ड आदि समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? उपरोक्त भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ? क्या सरकार मृतक आश्रित के पुत्र को सेवा में समायोजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर के अधीन कार्यरत कर्मचारी श्री नन्द कुमार मिश्र, कुशल श्रमिक की मृत्यु दिनांक 22-5-98 को कार्य करते समय नहीं हुई ।

मृतक के आश्रित को कोई भुगतान नहीं किया गया है

इस संबंध में समस्त वांछित प्रपत्र प्राप्त होने एवं अन्य आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण होने पर नियमानुसार भुगतान संबंधी कार्यवाही की जायेगी ।

मृतक आश्रित के पुत्र को सेवा में समायोजित करने की कार्यवाही उसके द्वारा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर परिषद् के "मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली" के अन्तर्गत की जायेगी ।

103—श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि एवं नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कुमाऊं जल संस्थान, पिथौरागढ़ के सृजित पदों पर नियुक्ति करने की मांग

104—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कुमायूं जल संस्थान, पिथौरागढ़ के लिये 178 पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन द्वारा पदों का सृजन कर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री लाल जी टंडन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

105—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

नवसृजित जिला चम्पावत की लोहाघाट नगर पंचायत को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव

106—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नवसृजित जिला चम्पावत की लोहाघाट नगर पंचायत को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसमें कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां ।

जिलाधिकारी, चम्पावत से आख्या/अभिलेख/संस्तुति मांगी गयी है, जिसके प्राप्त होने पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माण खण्ड–3, इन्दिरा नगर, लखनऊ में भवन संख्या–22/641 के साथ 8 मीटर भूमि पर अवैध कब्जा

107—श्री राम सिंह–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997 में भवन संख्या–22/641 के साथ 8 मीटर भूमि से अवैध कब्जा हटाकर आवंटी को कब्जा दिलाये जाने हेतु आवास आयुक्त का आदेश पत्रांक 209, दिनांक 23-4-97 को तथा 471, दिनांक 16-5-97 एवं 1060(11), दिनांक 8-7-97 को जारी हुआ था ? यदि हां, तो क्या निर्माण खण्ड–3 इन्दिरा नगर, लखनऊ ने उक्त आदेश का पालन करते हुए 8 मीटर भूमि से अवैध कब्जा को हटाकर आवंटी को दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां । संदर्भित पत्र आवास आयुक्त द्वारा नहीं वरन् सहायक आवास आयुक्त द्वारा जारी हुआ था ।

प्रश्नगत योजना का रख-रखाव वर्ष 1992 में जल संस्थान, लखनऊ को हस्तान्तरित कर दिया गया है । तद्नुसार अवैध कब्जा हटाने हेतु जल संस्थान, लखनऊ को समय-समय पर पत्र भेजा गया है ।

उपर्युक्तानुसार ।

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर में एक ही व्यक्ति के द्वारा कई आवासों को लिये जाने की शिकायत

108—श्री शिवचरण प्रजापति–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आवास एक ही परिवार के सदस्यों को कितने-कितने आवास आवंटित किये जाने की नीति है ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर द्वारा निर्मित आवास संख्या–153, एल० आई० जी०, बर्रा–5 कानपुर आवास संख्या–98, एम० आई० जी०, बर्रा–3, कानपुर/39, एल० आई० जी०, बर्रा-4, कानपुर 75 एवं 75 एम० आई० जी० बर्रा–3, कानपुर किन-किन व्यक्तियों के नाम से आवंटित हैं ? उक्त आवासों के वर्तमान समय में मालिक कौन व्यक्ति है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त आवासों के मालिक एक ही परिवार के सदस्य हैं ? यदि हाँ, तो शासन की नीति के विरुद्ध आवास आवंटन किये जाने में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अनियमित आवंटन को निरस्त किये जाने पर विचार करेगी ?

श्री लाल जी टंडन–

एक परिवार के एक ही सदस्य को आवास आवंटित किये जाने की शासन की नीति है ।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आवास संख्या–153 एल० आई० जी०, बर्रा–5 कानपुर श्री मोहन सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह के नाम आवंटित है । भवन संख्या–98 एल० आई० जी० बर्रा–3, कानपुर श्रीमती मंजू वाल्मीकी के नाम आवंटित है । भवन संख्या–39 एल० आई० जी०, बर्रा–4, कानपुर श्री बंश गोपाल के नाम आवंटित है । भवन संख्या–75 एम० आई० जी०, बर्रा–3, कानपुर श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री बंश गोपाल के नाम आवंटित है ।

जी नहीं । केवल भवन संख्या–75 एम० आई० जी० बर्रा–3 व भवन संख्या–39 एल० आई० जी०, बर्रा–4 कानपुर क्रमशः पति व पत्नी के नाम आवंटित है जो एक ही परिवार के सदस्य हैं । शासन की नीति के विरुद्ध भवन संख्या–98 एम० आई० जी० बर्रा–3 की आवंटी श्रीमती मुन्नी देवी श्री बंश गोपाल ने तथ्य छिपा कर उक्त आवास को आवंटित कराया है । इसी प्रकार भवन संख्या–39, एल० आई० जी० बर्रा–4 कानपुर श्री बंश गोपाल पुत्र श्री मददर के नाम आवंटित है । इसके लिये प्राधिकरण का कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

प्रश्नगत अनियमित आवंटित भवनों को निरस्त किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस सम्बन्धित आवंटियों को जारी की जा चुकी है ।

अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् टाण्डा (अम्बेडकरनगर) के निजी आवास पर लगे टेलीफोन का भुगतान सरकारी कोष से करने की शिकायत

109—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् टाण्डा (अम्बेडकर नगर) के निजी आवास पर टेलीफोन नं०–23133 लगा हुआ है, जिसका भुगतान नगरपालिका टाण्डा (अम्बेडकरनगर) के कोष से किया जा रहा है ? क्या इसकी पूर्व स्वीकृति ली गयी है ? यदि हां, तो उक्त टेलीफोन पर नगरपालिका कोष से कितना धन व्यय किया जा चुका है ? क्या इस संबंध में सचिव, नगर विकास को अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद्, टाण्डा (अम्बेडकरनगर) का शिकायती पत्र दिनांक 11-4-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त नगरपालिका अध्यक्ष को उनके पद से हटाते हुए अनियमितताओं की जांच करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां ।

जी हां ।

रुपये 27,404.00 ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को जांच के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाण्डा तापीय विद्युत परियोजना विद्युत नगर (अम्बेडकरनगर) की आवासीय कालोनी में टाइप-तृतीय आवासों पर अवैध कब्जा

110—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि "उ० प्र० विद्युत परिषद् के अधीन" विद्युत परिषद् इण्टर कालेज, विद्युत नगर (अम्बेडकर नगर) में कार्यरत कुछ अध्यापकों ने टाण्डा तापीय विद्युत परियोजना विद्युतनगर (अम्बेडकर नगर) की आवासीय कालोनी में टाइप-तृतीय आवासों पर अवैध कब्जा किया है ? यदि हां, तो अध्यापकों के नाम व अवैध रूप से कब्जा किये गये आवास की संख्या क्या है ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित अध्यापक से अनाधिकृत कब्जा करने की तिथि से दण्ड सहित किराया (पेनल रेन्ट) वसूलने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि की अब तक वसूली की गयी है ? क्या शासनादेश के अनुसार परिषदीय आवास पर अवैध कब्जा करने वाले उक्त अध्यापकों को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । केवल एक अध्यापक ने ।

श्री रामदुलार सिंह, शिक्षक, एल० टी० ग्रेड । एक आवास ।

जी हां ।

रु० 12,064.94 मात्र (माह अक्टूबर, 1997 से माह जून, 98 तक) ।

जी नहीं ।

उक्त दाण्डिक किराये की कटौती के विरुद्ध सम्बन्धित अध्यापक द्वारा एक मुकदमा सिविल जज (जू०डी०) टाण्डा (अम्बेडकरनगर) के समक्ष दाखिल कर रखा है जो अभी लम्बित है ।

इसके अतिरिक्त उ० प्र० बिजली कर्मचारी संघ ने विभाग द्वारा उक्त अध्यापक की एक शिकायत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ० प्र० इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत की है जिसकी सुनवाई भी माननीय आयोग द्वारा की जा रही है ।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उक्त अध्यापक के विरुद्ध सम्प्रति अन्य कोई कार्यवाही माननीय न्यायालय के निर्णय एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय के बाद ही किया जाना समीचीन होगा ।

111—112–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित]

प्रतापगढ़ नगरपालिका कटरा एवं प्रतापगढ़ सिटी टाउन एरिया में लगे हैण्ड पम्प बिना विधायक की राय से लगाने की शिकायत

113—श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ नगरपालिका, कटरा एवं प्रतापगढ़ सिटी टाउन एरिया में लगे हैण्ड पम्पों में सदर विधायक से स्थान चयन में राय नहीं ली गयी है तथा कुछ सभासदों के घरों में व्यक्तिगत लगा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

प्रकरण में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को जांच करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है । जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जौनपुर में चयनित अम्बेडकर गांव में प्राथमिक पाठशाला एवं पंचायत घर बनाये जाने की कार्यवाही

114—श्री अफजाल अहमद–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में प्राथमिक पाठशालाएं एवं पंचायत भवन कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जनपद जौनपुर में वर्ष 1997-98 में कुल 100 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है । जिनमें से मई, 1998 तक 86 अम्बेडकर ग्रामों को प्राइमरी पाठशाला कार्यक्रम से संतृप्त किया गया है । मात्र 14 अम्बेडकर ग्राम प्राइमरी पाठशाला कार्यक्रम से संतृप्तीकरण हेतु शेष हैं जिनमें 13 विद्यालय भवनों का कार्य प्रगति पर है । जहां तक अम्बेडकर ग्रमों में पंचायत भवन बनाने का प्रश्न है, अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में उक्त कार्यक्रम चिन्हित/सम्मिलित नहीं है ।

जनपद जालौन में निर्मित राजकीय सिंचाई नलकूपों का विद्युतीकरण

115—श्री श्रीराम पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 1996-97 व 1997-98 में निर्मित राजकीय सिंचाई नलकूपों का विद्युतीकरण कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । जनपद जालौन में वर्ष 1996-97 में 9 नग एवं वर्ष 1997-98 में 8 नग राजकीय नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जाना था, उन सभी को ऊर्जीकृत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

116—श्री अजय कुमार पोइया–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

117—श्री अजय कुमार पोइया—

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें, उ० प्र० के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों का अलग-अलग विवरण

118—श्री उदयराज यादव तथा श्री सरवर अली खां—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवायें, उ० प्र० के अन्तर्गत द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में अलग-अलग कितने पद हैं ? इन पदों में सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के चिकित्साधिकारियों की अलग-अलग संख्या क्या है ? क्या प्रथम श्रेणी के विभिन्न पदों में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? क्या इनका आरक्षण कोटा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भांति सेवा नियमावली में सेवा अवधि को शिथिल करते हुए पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी—

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें, उ० प्र० के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में अलग-अलग निम्न प्रकार के पद हैं :—

द्वितीय श्रेणी

1—एलोपैथ चिकित्साधिकारी	402
2—होम्योपैथ चिकित्साधिकारी	11
3—आयुर्वेद चिकित्साधिकारी	11

प्रथम श्रेणी

1—एलोपैथ चिकित्साधिकारी	98

2—होम्योपैथ एवं आयुर्वेद में प्रथम श्रेणी का कोई भी पद नहीं है।

इन पदों में श्रेणीवार स्थिति निम्न प्रकार है :—

द्वितीय श्रेणी

	एलोपैथ	होम्योपैथ	आयुर्वेद
1—सामान्य	288	5	3
2—अनुसूचित जाति	37	3	1
3—जन जाति	02	—	—
4—पिछड़ी जाति	49	3	—

प्रथम श्रेणी

	एलोपैथ	होम्योपैथ	आयुर्वेद
1—सामान्य	13	होम्योपैथ एवं आयुर्वेद	
2—अनुसूचित जाति	—	में प्रथम श्रेणी का कोई	

3—जनजाति	—	भी पद नहीं है ।
4—पिछड़ी जाति	2	

जी नहीं । चिकित्साधिकारियों की सेवा नियमावली में संशोधन की कार्यवाही अलग से की जा रही है । सेवा नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात् आरक्षण कोटा पूर्ण कर लिया जाएगा ।

जहां तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भांति सेवा नियमावली में सेवा अवधि को शिथिल करते हुए कोटा पूर्ण किये जाने की बात है, सम्भवतः चिकित्सा विभाग में इस प्रकार की कोई नियमावली नहीं बनाई गई है । अतः सेवा अवधि को शिथिल करते हुए पूर्ण करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्साधिकारियों की सेवा नियमावली में संशोधन की कार्यवाही अलग से की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा वर्ष 1979 में हाता रसूल खां में प्रस्तावित निर्बल वर्ग आय योजना के अन्तर्गत कु० अर्चना वर्मा को भवन आवंटन न किये जाने की शिकायत

119—श्री राम ललित चौधरी

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा वर्ष 1979 में "हाता रहसूल खां" में प्रस्तावित निर्बल वर्ग आय योजना के अन्तर्गत भवन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विज्ञप्ति जारी करके रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराया गया था ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों द्वारा उक्त योजना में रजिस्ट्रेशन कराया गया तथा किन-किन लोगों को भवन आवंटित किये गये ? क्या यह सही है कि कुमारी अर्चना वर्मा, निवासी–178/3, छोटा चांदगंज, निरालानगर, लखनऊ द्वारा भी उक्त योजना में भवन आवंटन हेतु धनराशि जमा की गयी थी ? यदि हां, तो उनको आज तक भवन आवंटित न करने के क्या कारण हैं ? उनको भवन कब तक आवंटित कर दिया जायगा ?

श्री लाल जी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

120—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं०–7 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना सोनभद्र में मृतक आश्रित को नियुक्ति देने की मांग

121—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में मृतक के आश्रित को नियुक्ति प्रदान करने विषयक प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 3-6-98 जो कि मुख्य मंत्री, अध्यक्ष/निदेशक (कार्मिक) उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? मृतक आश्रित को कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

परीक्षण किया जा रहा है ।

परीक्षण के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जालौन के उरई नगर पालिका परिषद् के मुहल्ला भगौरा में बढ़ती आबादी के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या

122—श्री श्रीराम पाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के उरई नगर पालिका परिषद् के मुहल्ला भगौरा में बढ़ती हुई आबादी के कारण पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति न होने से पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो उक्त नलकूप कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां । आबादी बढ़ जाने के कारण भगौरा मुहल्ले में पेयजल की आंशिक रूप से समस्या है ।

भगौरा क्षेत्र में जिला कान्टीजेन्ट प्लान 1998-99 के अन्तर्गत एक नलकूप का निर्माण कार्य प्रस्तावित है । धन की उपलब्धता पर उक्त नलकूप का निर्माण कार्य निर्भर करेगा ।

जल संस्थान के अवर अभियन्ताओं को मुख्य सचिव की संस्तुति पर 8 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतन दिये जाने की मांग

123—श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान के अवर अभियन्ताओं को मुख्य सचिव की संस्तुति पर शासन के निर्णय के अनुसार 8 वर्ष की सेवा पर 1640—2900 का वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ? इस संबंध में शासनादेश कब तक निर्गत हो जायेगा तथा इस विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री लाल जी टंडन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र खेकड़ा, जनपद बागपत की तहसील खेकड़ा में पानी की टंकी का निर्माण

124—श्री रूप चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र खेकड़ा, जनपद बागपत की तहसील खेकड़ा में पीने के पानी की एक टंकी के निर्माण की मांग को देखते हुए एक पेयजल टंकी का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक शुरू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

प्रश्नगत टंकी निर्माण के लिये अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

125—श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

नगर पंचायत सोंख, जनपद मथुरा को विशेष अनुदान देने की मांग

126—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत सोंख जनपद–मथुरा को विशेष अनुदान दिलाये जाने सम्बन्धी अध्यक्ष, नगर पंचायत सोंख का पत्र विधायक कोष्ठ द्वारा पत्रांक–सी०एम०/एम–3/8392/मथुरा/98, दिनांक 28-3-98 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत भा/स के अद्यतन दिशानिर्देशानुसार योजनाओं से सम्बन्धित कार्य-योजनाओं की स्वीकृति निर्धारित प्रक्रियानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा द्वारा की जाती है । मा० विधायक जी का पत्र संलग्नक सहित अध्यक्ष, डूडा, मथुरा को दिनांक 20-6-98 को ही आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया है ।

अनाधिकृत कब्जा हटाने विषयक निर्माण खण्ड–3 इन्दिरा नगर, लखनऊ के जारी पत्र पर कृत कार्यवाही न होने के कारण की जानकारी

127—श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनाधिकृत कब्जा करने के विरुद्ध निर्माण खण्ड–3, इन्दिरा नगर, लखनऊ का नोटिस पत्रांक संख्या–2421, दिनांक 2-12-97 को जारी हुआ था ? यदि हां, तो क्या अरबों रुपये की भूमि परिषद् द्वारा खाली करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रशासनिक सहयोग एवं पुलिस बल प्राप्त न होने के कारण अभी अनाधिकृत कब्जा नहीं हटाया जा सका है ।

श्रीमती लगन देई, दलित महिला के नाम आवंटित आवास पर कब्जा न मिलने के कारणों की जानकारी

128—श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि सेक्टर-22, इन्दिरा नगर, लखनऊ में भवन संख्या–22/640 श्रीमती लगन देई, दलित महिला के नाम आवंटित हुआ था ? यदि हां, तो कब्जा पत्र जारी होने के बाद निर्माण खण्ड–3 द्वारा कब्जा न देने पर आदेश पत्र संख्या–ए, 3082, दिनांक 15-3-96 आवास आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां ।

पूर्ण संदर्भ अंकित न होने के कारण स्थिति का स्पष्ट किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के कस्बा मल्लावां के मिर्जापुर मोहल्ले में लगा 250 के० वी० ए० क्षतिग्रस्त ट्रांसफारमर को बदल कर विद्युत आपूर्ति सामान्य किया जाना

129—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के कस्बा मल्लावां के मिर्जापुर मोहल्ले में लगा 250 हार्स पावर का ट्रांसफारमर फुंकने के एक माह बाद भी नहीं लगाया गया एवं उक्त नगर की आधी से ज्यादा आबादी अंधेरे में निवास कर रही है तथा व्यवसायिक एवं औद्योगिक कारोबार बन्द है ? यदि हां, तो उसे कब ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । जनपद हरदोई के कस्बा मल्लावां के मिर्जापुर मोहल्ले में लगा 250 केवीए का वितरण परिवर्तक 1-10-97 की रात्रि को चोरों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसको परिषद् द्वारा दिनांक 11-10-97 को बदल कर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ शहर में विशालेश्वर प्रांगण के आवागमन हेतु सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में मा० श्याम देव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा, वाराणसी के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

130—चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशाल खण्ड–1, गोमतीनगर, लखनऊ में विशालेश्वर प्रांगण के आवागमन हेतु सड़कों के निर्माण के संबंध में मा० श्याम देव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा, वाराणसी का पत्र, दिनांक 25-3-98, जिस पर मुख्य मंत्री, उ० प्र० द्वारा दिनांक 30-3-98 का निदेशित किया गया था, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

131—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री मुस्तजाब अहमद, दैनिक वेतन भोगी, सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उ० प्र० वक्फ विकास निगम, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने विषयक की जानकारी

132—श्री राम नक्षत्र–

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मी दूसरे विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति हो सकता है ? यदि हां, तो किस नियमों के तहत ? क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुस्तजाब अहमद, दैनिक वेतन भोगी, सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उ० प्र० वक्फ विकास निगम, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है ? यदि हां, तो किस नियमों के तहत दैनिक वेतन पर कार्यरत व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की गयी है ?

श्री राजा गजनफर अली खां–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ को विद्युत आपूर्ति

133—श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद को विद्युत आपूर्ति सुल्तानपुर जनपद से न करके सुल्तानपुर से झूंसी इलाहाबाद फिर प्रतापगढ़ की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां, प्रतापगढ़ जनपद को 400 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र, सुल्तानपुर से झूंसी, फूलपुर (इलाहाबाद) के मध्य से की जाती है । सुल्तानपुर विद्युत उपकेन्द्र पर स्थापित दोनों ट्रांसफार्मर पूर्णतः भारित हैं तथा सुल्तानपुर उपकेन्द्र पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने के लिये स्थान भी उपलब्ध नहीं है । इसलिये उपरोक्त व्यवस्था से प्रतापगढ़ जनपद की विद्युत आपूर्ति करने की बाध्यता है । 220 के०वी० उपकेन्द्र फूलपुर पर 100 एम० वी० ए०, 220/132 के०वी० का एक और ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है जो निकट भविष्य में ऊर्जीकृत किया जाना है जिससे प्रतापगढ़ जनपद की विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ हो जायेगी ।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक भगरोरा, आसपुर, देवसरा, पट्टी में सभी को नये राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने विषयक जानकारी

134—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक भगरौरा, आसपुर, देवसरा, पट्टी में सभी को नये राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

जी हां ।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक भगरोरा, आसपुर देवसरा तथा पट्टी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को क्रमशः 8496, 9129 तथा 8695 राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं ।

जनपद जालौन में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में बिजली, सड़क तथा विकास कार्यों का विवरण

135—श्री श्रीराम पाल–

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में वर्ष 1996-97 व 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में बिजली, सड़क तथा सभी विकास कार्य 31 मार्च, 1997 तक पूर्ण कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि अधिकांश कार्यों को मात्र कागजों पर दिखाकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रत्येक अम्बेडकर ग्राम उक्त वर्षों में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन तथा पुनः मूल्यांकन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जनपद जालौन में वर्ष 1996-97 में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 57 ग्राम एवं वर्ष 1997-98 में 40 ग्रामों का चयन किया गया था ।

वर्ष 96-97 के चयनित 57 ग्रामों में से 35 ग्राम 31 मार्च, 97 तक एवं 11 ग्राम मार्च, 98 तक जोड़े जा चुके हैं । शेष 11 ग्राम मार्च, 99 तक जोड़े जाने की सम्भावना है ।

वर्ष 97-98 में चयनित 40 अम्बेडकर ग्रामों में से 15 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना था, जिसमें से उपलब्ध धनराशि से 7 ग्रामों में मिट्टी एवं 8 ग्रामों में गिट्टी का कार्य कराया गया । लेपन/पेंटिंग स्तर तक पूर्ण कराने हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि 117.37 लाख रु० शासनादेश सं०–1067(1)ई/23–लो०नि०वि०–11, लखनऊ दिनांक 30-3-98 द्वारा स्वीकृत हुई है ।

विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में चयनित 57 ग्रामों में से 50 ग्राम पूर्व से विद्युतीकृत थे शेष 7 ग्रामों का विद्युतीकरण 31-3-97 तक कर दिया गया । वर्ष 97-98 में चयनित 40 ग्रामों में से 34 ग्राम पूर्व से विद्युतीकृत थे शेष 6 ग्रामों को 31-3-98 तक विद्युतीकृत करा दिया गया है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 96-97 में चयनित 57 ग्रामों में कुल 1232 इन्दिरा आवासों का निर्माण कराया जाना था जिनमें से 31-3-97 तक सभी 1232 आवास निर्मित कराये जा चुके हैं । वर्ष 97-98 में चयनित 40 अम्बेडकर ग्रामों में कुल 1240 इन्दिरा आवासों का निर्माण कराया जाना था जिसमें से 650 इन्दिरा आवासों का निर्माण मार्च, 98 तक पूर्ण कराया गया शेष 590 इन्दिरा आवासों का निर्माण द्वितीय किश्त की धनराशि मार्च के द्वितीय सप्ताह में प्राप्त होने के कारण नहीं हो सका । अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रमुख 11 कार्यक्रमों में से शेष विकास कार्य जैसे प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण, हैण्डपम्प स्थापना, नाली/खड़न्जा निर्माण, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, किसान पेंशन, विधवा पेंशन, निःशुल्क बोरिंग एवं शौचालयों का निर्माण शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष पूर्ण कराया गया है ।

सभी कार्य वास्तविक रूप से स्थल पर कराये गये हैं । उपलब्ध करायी गयी धनराशि का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है ।

इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होगी तो पुनः मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन कराया जा सकता है ।

जनपद फतेहपुर में वर्ष 1997-98 में पूर्वांचल विकास निधि योजना अन्तर्गत जनपद के सभी विधान सभा क्षेत्रों के समान रूप से धन वितरण न करने की शिकायत

136—श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर में वर्ष 1997-98 में पूर्वांचल विकास निधि योजना अन्तर्गत जनपद के सभी विधान सभा क्षेत्रों को समान रूप से धन का वितरण नहीं किया गया है? क्या यह सही है कि उक्त योजना में 10-10 लाख रुपये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से काटकर शहर फतेहपुर में खर्च किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार शासनादेशों के अनुसार वितरण हेतु जिलाधिकारी, फतेहपुर को निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर शहर की सड़कों के निर्माण हेतु रुपया 77.10 लाख की धनराशि मा० जनप्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से मात्राकृत की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के मे० सोमानी आयरन एण्ड स्टील्स लि०, सोनिक में अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशन में अधिकारियों की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमिततायें तथा उक्त के संबंध में जुर्माने की वसूली

137—श्री विजय पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मे० सोमानी आयरन एण्ड स्टील्स लि०, सोनिक, उन्नाव विद्युत चोरी करते हुए पकड़ी गयी थी ? क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशन में अधिकारियों की टीम द्वारा दिनांक 19-8-97 को निरीक्षण के दौरान भारी अनियमिततायें पायी गयी थी तथा उक्त उद्योग पर अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव द्वारा 22 करोड़ रुपये का जुर्माना भी तय किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह जुर्माना वसूल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

दिनांक 19-8-97 को अधीक्षण अभियन्ताओं के निर्देशन में अधिकारियों की टीम द्वारा दो अनियमिततायें पायी गयी थीं ।

(1) आर फेज/सी०टी० की टर्मिनल प्लेट के पास का जी० आई० पाइप अपने स्थान से हटा पाया गया था तथा इतना गेप था कि सी० टी० टर्मिनल को शार्ट किया जा सके ।

(2) लाइन आईसुलेटर के ताले का नं० 30-3-97 को लगाये गये ताले से भिन्न था ।

उद्योग पर अधिशासी अभियन्ता उन्नाव द्वारा रु० 19.22 करोड़ का दण्डात्मक निर्धारण किया गया था ।

यह जुर्माना अभी तक वसूल नहीं किया गया है । क्योंकि उपभोक्ता की अपील अभी भी अधिकृत अपील समिति के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में वर्ष 1995 से वर्ष 1998 तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों में मानक के अनुसार विकास कार्य पूर्ण न होने के संबंध में शिकायत

138—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के चयनित अम्बेडकर ग्रामों में मानक के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों इसके दोषी कौन हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जनपद सीतापुर में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चिन्हित प्रमुख 11 कार्यक्रमों में से सम्पर्क मार्ग कार्यक्रम को छोड़कर सभी कार्यक्रमों से संतृप्त कर दिया गया है, जिनका विवरण अनुलग्नक–1 पर संलग्न है । वर्ष 1997-98 में चयनित 90 अम्बेडकर ग्रामों में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम को छोड़कर शेष प्रमुख कार्यक्रमों से संतृप्तीकरण नहीं हुआ है । उक्त 90 अम्बेडकर ग्रामों में विकास कार्यों की प्रगति अनुलग्नक–2 पर संलग्न है ।

धनाभाव के कारण मानक के अनुसार विकास कार्य पूर्ण नहीं हो पाये हैं । अतः इसके लिये कोई दोषी नहीं है, और किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है । धनराशि की उपलब्धता होने पर अवशेष कार्य कराया जाना सम्भव होगा ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 135 पर)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) स्कन्ध, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ में 10 वर्षों से लगातार कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

139—श्री रूप चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) स्कन्ध, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ में पिछले 10 वर्षों से या इससे भी अधिक समय से कितने मिनी० कर्मचारी/अवर अभियन्ता एवं अधिकारी तैनात हैं ? क्या शासनादेश/परिषदादेश के तहत इतने लम्बे समय से कार्यरत उक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण पर सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) स्कन्ध, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ में पिछले 10 वर्ष या इससे अधिक समय से तैनात कर्मचारी/अधिकारी का विवरण निम्नवत् है :—

मिनिस्टीरियल कर्मचारी	23
अवर अभियन्ता	शून्य
अधिकारी	4

वाणिज्य स्कन्ध में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी संवेदनशील पदों पर नहीं तैनात हैं एवं इन्हें आन्तरिक व्यवस्था के अन्तर्गत समय-समय पर कार्यालय के विभिन्न पदों पर परिषदीय हित में उनकी कार्यकुशलता, उपयोगिता एवं विशेषज्ञता के आधार पर तैनात किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) के उपसचिव द्वारा स्टोर परचेज रूल्स की अवहेलना करके फर्मों से खरीद किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

140—श्री राम नक्षत्र तथा श्री लालमणि प्रसाद–

क्या सरकार बतायेगी कि राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) में उप सचिव द्वारा स्टोर परचेज रूल्स की अवहेलना करके वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में बिना क्रय समिति गठित किये/क्रय समिति की संस्तुति बगैर/बिना देय अर्नेस्ट मनी/अनुबन्ध/बिना निविदा आमंत्रित किये और बिना प्रस्ताव अनुमोदन के स्वयं फर्मों से सीधे सम्पर्क कर कोटेशन प्राप्त कर निःसंकोच खरीद फरोख्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या संबंधित पंजिका/मांगपत्र की प्रविष्टि/सक्षम स्तर से सत्यापन/प्रतिहस्ताक्षर किये बगैर सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

141—श्री बचनू राम पटेल–

[6ठे शुक्रवार के लिये स्थगित]

समस्त विकास प्राधिकरणों में विभिन्न संवर्गों के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण करने की प्रस्तावित नियमावली

142–श्री विजय कुमार–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समस्त विकास प्राधिकरणों में केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित पदों पर कई वर्षों से विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने के हेतु कोई नियमावली प्रस्तावित की जा रही है ? यदि हां, तो कोटा कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने हेतु पृथक से कोई नियमावली प्रस्तावित नहीं की जा रही है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण करने के लिये उ० प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के नियम–9 में निहित प्राविधान के क्रम में वर्तमान में "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994" की विभिन्न धाराओं के तहत कार्मिक अनुभाग–1 द्वारा दिनांक 29 मार्च, 1994 को अधिसूचित/निर्गत विभिन्न आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है । अतएव इस हेतु अलग से कोई नियमावली प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्नकर्ता को ग्रा० गठिया, मौजा मेरापुर, ब्लाक व तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में विद्युतीकरण कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

143–श्री कैलाश सिंह राजपूत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक प्रकोष्ठ के पत्र सं० सी०एम०/वि०को०/एम–3/15-4/फर्रुखाबाद/97, दिनांक 6-5-97 जो ग्रा० गठिया, मौजा मेरापुर, ब्लाक व तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद/कन्नौज में विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

वर्ष 1998-99 फर्रुखाबाद जनपद में 42 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है । इन ग्रामों का चयन जिला चयन समिति द्वारा किया जाना है । मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता कानपुर क्षेत्र को निर्देश दे दिये गये हैं कि माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम का विद्युतीकरण का प्रस्ताव जिला चयन समिति के समक्ष रखा जाय तथा तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ को पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत अवमुक्त की गई धनराशि

144–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ को पूर्वांचल विकास निधि से राज्यांश हेतु वर्ष 1995–96, 1996–97 एवं 1997–98 में क्या धनराशि निर्धारित कर जनपद को धन अवमुक्त किया गया ? क्या यह सही है कि कुछ धनराशि प्रत्येक वर्ष में शेष रह गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या कारण था ? उसे कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सन्तुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि नियमावली के अनुसार जनपदों को राज्यांश की धनराशि निर्धारित किये जाने की नीति नहीं है, तथापि वर्ष 1995–96, 96–97 एवं 97–98 में जनपद–प्रतापगढ़ को क्रमशः रु० 141.998 लाख 403.51 लाख तथा 159.676 लाख स्वीकृत किये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गायत्री बिहार त्रिवेणी नगर–III निकट सिंह टिम्बर स्टोर, सीतापुर रोड, लखनऊ में सम्पर्क मार्ग बनाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

145–श्री जटा शंकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गायत्री बिहार त्रिवेणी नगर–III निकट सिंह टिम्बर स्टोर, सीतापुर रोड, लखनऊ में सम्पर्क मार्ग बनाने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह मई, 1998 में सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

कार्य का आगणन तैयार कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र कर्वी, जिला साहूजी महाराज नगर के अन्तर्गत नई दुनिया (बनकट) के विद्युतीकरण हेतु सांसद निधि से दी गई धनराशि एवं कृत कार्य

146–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कर्वी, जिला साहूजी महाराज नगर के अन्तर्गत नई दुनिया (बनकट) के विद्युतीकरण हेतु सांसद निधि से वर्ष 1996–97 में धनराशि दी गई है ? यदि हां, तो क्या विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

विद्युतीकरण का कार्य माह जुलाई, 98 में पूर्ण कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में मवईया से ऐशबाग मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सड़क के दोनों ओर स्थित अवैध कब्जों को हटाकर यातायात की बाधा को दूर किये जाने की मांग

147–श्री प्रेमपाल सिंह यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में मवईया से ऐशबाग मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सड़क जो कि लगभग दो कि०मी० लम्बी है के किनारे कतिपय व्यक्तियों ने पक्का निर्माण करके या झोपड़ियां बनाकर अवैध कब्जा कर रखा है जिससे सड़क काफी संकरी हो जाने के कारण यातायात घण्टों जाम रहता है ? क्या सरकार उक्त सड़क के दोनों ओर स्थित अवैध कब्जों को हटवाकर यातायात की बाधा को दूर करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी की पुनः अवैध कब्जा न होने पाये ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जे कब तक हटा दिये जायेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मवईया से ऐशबाग मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सड़क की एक पटरी पर रेलवे और नजूल विभाग के मध्य भूमि के स्वामित्व के संबंध में विवाद है, भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है । सड़क की दूसरी पटरी पर अस्थाई अतिक्रमण को समय-समय पर नगर निगम द्वारा हटाया जाता है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

गायत्री बिहार त्रिवेणी नगर-III निकट सिंह टिम्बर स्टोर, सीतापुर रोड लखनऊ में सम्पर्क मार्ग बनाने के सम्बन्ध में सदस्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा भेजे गये पत्र एवं कृत कार्यवाही

148-श्री प्रेमपाल सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गायत्री बिहार त्रिवेणी नगर-III निकट सिंह टिम्बर स्टोर, सीतापुर रोड, लखनऊ में सम्पर्क मार्ग बनाने हेतु श्री तेजभान सिंह, सदस्य, विधान सभा, जनपद सुल्तानपुर का पत्र माह सितम्बर, 1997 मुख्य नगर अधिकारी लखनऊ को तथा श्री ओंकार सिंह, सदस्य, विधान सभा का तद्विषयक पत्र माह दिसम्बर, 97 नगर विकास राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्रों में उल्लिखित मांग के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित विकास कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

कार्य का आगणन तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

धन की उपलब्धता के आधार पर वरीयता क्रम में स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जाता है .

जनपद लखीमपुर में लखीमपुर नगर के लिए वर्ष 1997-98 में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र एवं धनराशि

149-डा० कौशल किशोर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर में लखीमपुर नगर के लिये एक नये उपकेन्द्र 1x5/10.00 (रेकून) जिसकी अनुमानित लागत रुपये 85.12 लाख है, की स्वीकृति वर्ष 1997-98 में हुई है ? यदि हां, तो इस उपकेन्द्र को लगाने के लिये कब तक शिलान्यास कराकर इस कार्य को शुरू किया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण इस उपकेन्द्र का निर्माण कार्य शुरू कराने की तिथि इंगित करना सम्भव नहीं है।

150-डा० धर्मज्ञ मिश्र-

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित]

प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी अम्बेडकर ग्रामों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण

151-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोनी सिंह-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के सभी अम्बेडकर ग्रामों को पक्के मार्ग, बिजली, पेयजल, प्राथमिक सीनियर, विद्यालयों पशु चिकित्सालय सहित सभी सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो सभी कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री राधेश्याम कोरी–

विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 से 97-98 तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों में पक्के मार्ग बिजली, पेयजल, प्राथमिक विद्यालय पशु चिकित्सालय की दी गई सुविधा का विवरण निम्नवत् है :–

(1) प्राथमिक विद्यालय

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विकास खण्ड आसपुरदेवसरा के अम्बेडकर ग्राम कोपा एवं पीथापुर को छोड़कर शेष सभी अम्बेडकर ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कर दी गई है . उक्त ग्रामों में वर्ष 98-99 में विद्यालय खोलने की योजना है । जहां तक सीनियर विद्यालय की स्थापना का प्रश्न है, शासन द्वारा अम्बेडकर ग्रामों में सीनियर विद्यालय स्थापना की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र पट्टी में विकास खण्ड मंगरौरा के अम्बेडकर ग्रामों को पशु चिकित्सालय कौहड़ौर, गंगापुर, मधुपुर, दीवानगंज एवं पशु सेवा केन्द्र मंगरौरा, बारीकला, मदाफरपुर, जोगीपुर एवं विकास खण्ड पट्टी के अम्बेडकर ग्रामों को पशु चिकित्सालय पट्टी, गजरिया, ठनेपुर, पृथ्वीगंज, उडैयाडीह, पशु सेवाकेन्द्र सर्वजीतपुर, बजरी तथा विकास खण्ड आसपुर देवसरा के अम्बेडकर ग्रामों को पशु चिकित्सालय ढकवा, मुजाही बाजार, धनीपुर एवं पशु सेवा केन्द्र अतरौरा, अमरगढ़, रामगंज, सैफाबाद द्वारा पशु चिकित्सा, टीकाकरण, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान आदि सुविधा पशुपालकों को उपलब्ध कराई जा रही है । उल्लेखनीय है कि अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चिन्हित कार्यक्रमों में पशु चिकित्सालय स्थापना कार्यक्रम नहीं है ।

(3) पक्के मार्ग

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के चयनित अम्बेडकर ग्रामों में वर्ष 90-91 से 97-98 तक अम्बेडकर ग्राम देहरीदीगर, मामूली, अमारी, पूरेखिरोधर, काशीपुर, अर्जुनपुर, सलाहपुर, बारीकला, सरायरजई, सकरा, रामपुरनवरिया, इब्राहिमपुर, वरहा, सरमा, लाखीपुर, धौरहरा, पिपरी मधुकरपुर पक्के मार्ग से जुड़े हैं ।

शेष अन्य अम्बेडकर ग्रामों को वर्ष 98-99 में धन आवंटन प्राप्त होने पर पूर्ण किया जाना सम्भव है ।

(4) पेयजल

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्रामों में हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।

(5) बिजली

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्रामों का आंशिक विद्युतीकरण सिर्फ उन ग्रामों का हुआ है, जिनकी जन संख्या 1000 से अधिक थी, जिनमें विकास खण्ड आसपुरदेवसरा के लाखीपुर, धरौहरा, दाउदपुर, हरईपट्टी एवं विकास खण्ड मंगरौरा के बरहा का आंशिक विद्युतीकरण हुआ है ।

अवशेष अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण भौतिक/वित्तीय लक्ष्य प्राप्त होने एवं उसके सापेक्ष धनराशि आवंटन प्राप्त होने पर ही सम्भव है । जहां तक अवशेष अम्बेडकर ग्रामों में उक्त विकास कार्य पूर्ण किये जाने का प्रश्न है, यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद छत्रपति साहू जी महाराजनगर में आई० टी० आई० कालेज खोले जाने विषयक प्रस्ताव

152–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद छत्रपति साहूजी महाराजनगर में कोई आई० टी० आई० कालेज नहीं है ? क्या सरकार के पास कालेज खोलने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां, कोई आई० टी० आई० नहीं है ।

शासन में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इण्टरमीडिएट कालेज पुल हिन्डोला के प्रान्तीयकरण का शासन में विचाराधीन प्रस्ताव

153–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इण्टरमीडिएट कालेज पुल हिन्डोला के प्रान्तीय करण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय का वर्ष 1998 में प्रान्तीयकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औचित्य नहीं पाया गया ।

उत्तरांचल में 1986 से अब तक अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सवित्त मान्यता दिया जाना

154–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में 1986 से अब तक कितने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सवित्त मान्यतायें दी गईं ? क्या मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयो में मानकानुसार पद सृजित किये गये ? शिक्षा निदेशक माध्यमिक के अर्द्ध शासकीय पत्रांक 174–75/योजना/98-99 दिनांक 24-3-98 जो प्रमुख सचिव, शिक्षा को संबोधित व प्रमुख सचिव, उत्तरांचल को पृष्ठांकित है, के अनुसार अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में वित्त सहित मान्यता के विभिन्न प्रकार के पदों का सृजन करने के लिये किन-किन बिन्दुओं पर शासनादेश के रूप में निर्देश माने गये हैं ? क्या उक्त पद सृजित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये शासनादेश व विधेयक बनाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

सूचना प्राप्त की जा रही है ।

तदैव ।

तदैव ।

तदैव ।

तदैव ।

नव सृजित जिला चम्पावत के विकास खण्ड मुख्यालय राजकोट में शासन स्तर पर प्रस्तावित रा० इ० कालेज का निर्माण

155–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जिला चम्पावत के विकास खण्ड मुख्यालय बाराकोट में रा०इ०का० भवन का निर्माण शासन स्तर पर प्रस्तावित है ? यदि हां, तो विद्यालय भवन का निर्माण कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला टिहरी गढ़वाल में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदों को स्वीकृत न किये जाने का कारण

156–श्री लाखीराम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पद/स्वीकृत पिछले तीन-चार वर्षों से न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों के पदों को अविलम्ब स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद टिहरी गढ़वाल में शासनादेश संख्या–2197/28–2–98–3(15)/93 दिनांक 30-5-98 द्वारा 202 प्राथमिक विद्यालयों तथा 100 सीनियर बेसिक स्कूलों में पदों का सृजन किया जा चुका है ।

प्रश्नकर्ता का अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद पिलखुआ (गाजियाबाद) को सम्बोधित पत्र एवं कृत कार्यवाही

157–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 12-4-98 का पत्र जो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् पिलखुआ (गाजियाबाद) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उन भू-माफियाओं की सूची सदन के पटल पर रखेंगे जिन्होंने सार्वजनिक सम्पत्ति ठाकुरद्वारा मंदिर, धर्मशाला, पक्का प्राचीन तालाब पर कब्जा कर रखा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

उक्त पत्र पर अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, पिलखुआ ने अधिशासी अधिकारी को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया । प्रश्नगत भूमि की नकल खतौनियां पालिका द्वारा दिनांक 27-2-98 व 6-4-98 को प्राप्त की गई थी, जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि पहले तालाब दर्ज थी, परन्तु उप जिलाधिकारी, हापुड़ द्वारा वाद संख्या–10 के अन्तर्गत धारा 35/39 एल०आर०एक्ट श्री निवास बनाम सरकार, ग्राम सिखेड़ा में पारित आदेश दिनांक 27-12-96 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि पर श्री निवास पुत्र शंकर लाल, निवासी सिखेड़ा, का नाम दर्ज किया गया । प्राप्त सूचनानुसार मौके पर तालाब में चहारदीवारी का निर्माण हो रहा है । यह प्रकरण दिनांक 20-6-98 की बोर्ड की बैठक में रखा गया था, जिस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है ।

मोहल्ला न्यू आर्यनगर में श्री चण्डी मंदिर रोड पर गौशाला के बराबर में पालिका परिषद के वार्ड नं०-8 के सदस्य ठाकुर महीपाल सिंह व उनके भाई बाबू सिंह, पुत्रगण स्व० मुंशी सिंह, निवासीगण मो० न्यू आर्यनगर द्वारा सरकारी भूमि को अवैध तरीके से बेचने/विक्रय करने की सूचना पालिका परिषद् को मिली । अभिलेखों की जांचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि प्रश्नगत भूमि खत्तों की सरकारी भूमि है, जो अभिलेखों में खत्ता (अहन्ता) खाद्य कूड़ा भूमि दर्ज है । तदोपरान्त पालिका परिषद द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) की विधिक राय के अनुसार प्रश्नगत भूमि में बिना अधिकार बैनामा/एग्रीमेंट किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 420/474/468 आई०पी०सी० के अन्तर्गत थाने में वाद दर्ज कराए जाने हेतु अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया । प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिशासी अधिकारी ने अवगत कराया है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक अपील सं०-2344/82 विचाराधीन है, जो अभी निर्णीत नहीं हुई है ।

मोहल्ला डबरिया, 'पिलखुआ' स्थित सार्वजनिक शौचालय की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके शौचालय को ध्वंस कर अपना निजी निर्माण करने का प्रकरण पालिका परिषद के संज्ञान में आया । प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत भूमि के संबंध मे भी एक वाद पूर्व में ही मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण की जांच के निर्देश दे दिये गये हैं । जांचोपरान्त अवैध कब्जेदारों की सूचना प्राप्त होने पर अवगत कराया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महामाया नगर के तहसील सिकन्दाराऊ के ग्राम मुबारकपुर, कपसिया, मलौरा में विद्युत लाइट कनेक्शन हेतु धनराशि जमा करने वाले व्यक्तियों को कनेक्शन दिये जाने की मांग

158-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद महामाया नगर के तहसील सिकन्दराराऊ के ग्राम मुबारकपुर, कपसिया, मलौरा में 1-6-91 को लोगों द्वारा विद्युत लाइट कनेक्शन हेतु 45/- प्रति व्यक्ति के हिसाब से विभाग में धनराशि जमा की गयी थी / यदि हां, तो क्या उन लोगों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? कनेक्शन कब तक प्रदान किये जायेंगे ? क्या दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां ।

जी नहीं ।

उपरोक्त ग्राम मुबारकपुर (कपसिया) की आबादी दो स्थानों पर स्थित है । जिसमें मुबारक का विद्युतीकरण न हो पाने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके । इस ग्राम का वर्ष 1998-99 में विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है । तदुपरान्त पंखा बत्ती हेतु कनेक्शन नियमानुसार प्रदान कर दिये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में अवैध निर्माण रोकने के उपाय के सम्बन्ध मे श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया विधायक का मुख्य सचिव को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही

159–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में अवैध निर्माण को रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या इस संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 1-2-97 जो कि मुख्य सचिव को सम्बोधित था,प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां, लखनऊ में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत पुलिस सहायता प्राप्त कर अवैध निर्माण कार्य रूकवाने की व्यवस्था है । विपक्षी द्वारा अवैध निर्माण कार्य जारी रखने की दशा में धारा1-26 के अन्तर्गत अभियोजन वाद दायर किये गये हैं.। इसी प्रकार उ० प्र० नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम 1997 की धारा-26(क) के अन्तर्गत सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित करते हुए एक वर्ष की अवधि तक साधारण कारावास एवं रुपया बीस हजार तक जुर्माना किए जाने का प्राविधान किया गया है । उक्त अधिनियम की धारा-28(क) के अन्तर्गत अवैध निर्माण जारी रखने पर सीलबन्द किए जाने का प्राविधान किया गया है । उक्त सभी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत लखनऊ नगर में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए नियमानुसार सभी सम्भव उपाय किये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उ० प्र० रा० वि० परिषद के अन्तर्गत मेसर्स सोमानी आयरन स्टील्स लिमिटेड, उन्नाव पर लगे ट्रांसफार्मर जलने, मेसर्स वासुदेव कोल्ड स्टोरेज एवं गुप्ता कोल्ड स्टोरेज सफीपुर, उन्नाव में लाखों रुपये की क्षति विषयक श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया विधायक का पत्र पर कृत कार्यवाही

160–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत मेसर्स सोमानी आयरन स्टील्स लिमिटेड उन्नाव पर लगे 5 एम०वी०ए० के तीनों ट्रान्सफार्मर जल गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मेसर्स वासुदेव कोल्ड स्टोरेज एवं गुप्ता कोल्ड स्टोरेज सफीपुर, उन्नाव में लाखों रुपये की क्षति संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 13-3-97 एवं 10-3-97 जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा नगर निगम के अन्तर्गत मुहल्ला कारवान लोहा मण्डी में देवी के मन्दिर के पुजारी द्वारा अनाधिकृत रूप से आवास का निर्माण

161–श्री विजय पाल सिंह–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम, आगरा के अन्तर्गत मुहल्ला कारवान लोहा मण्डी में देवी के मन्दिर पर उक्त मन्दिर से पुजारी ने अनाधिकृत रूप से आवास का निर्माण कर लिया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त अवैध रूप से निर्मित भवन कोतोड़े जाने हेतु मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी,

आगरा द्वारा विकास प्राधिकरण को आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां, मोहल्ला कारवान लोहा मण्डी में देवी मन्दिर परिसर में उक्त मन्दिर के पुजारी द्वारा अनाधिकृत रूप से आवास का निर्माण कर लिया गया है जिसके ध्वस्तीकरण के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पारित किए गये हैं । उक्त ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष/आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा के समक्ष विपक्षी ने अपील दाखिल कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । अतः ध्वस्तीकरण आदेश पर अन्तरिम रूप से रोक लगी हुई है ।

162–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

माता हिंगलाज देवी मार्ग (जगदीश चन्द्र बोस वार्ड), लखनऊ में अवैध निर्माण हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना

163–श्री राम सिंह-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माता हिंगलाजदेवी मार्ग (जगदीश चन्द्र बोस वार्ड), लखनऊ में कितने अवैध निर्माण किये जा रहे हैं एवं उक्त मार्ग पर अनाधिकृत रूप से कितने वाहन खड़े किये जा रहे हैं एवं उक्त मार्ग पर आवागमन हेतु अवरुद्ध होने के कारण वहां के नागरिकों को आने-जाने में असुविधा होती हैं ? यदि हां, तो उनको हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

वर्तमान में कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है । पूर्व में किये गये निर्माणों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

जी हां ।

जी हां । अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही नियमनुसार की जाएगी ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

उ०प्र० स०वि० परिषद के मुख्य अभियन्ता (लवेसा), लखनऊ में वेतन रजिस्टर गायब किये जाने की जांच विषयक पूर्व विधायक श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

164–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–84 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री मेसर्स ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ को लिखे गये समस्त पत्रों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी सहायक विधि अधिकारी द्वारा लिखित राय की प्रतिलिपि भी उपलब्ध करायेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गबन किस अवधि का है तथा इस अवधि में कौन-कौन अधिकारी तैनात रहे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पौड़ी गढ़वाल में दैनिक आपदाओं भूस्खलन बाढ़ आदि से प्रभावित होने के कारण कच्ची सड़कों आदि के रख-रखाव हेतु लोक निर्माण विभाग पौड़ी गढ़वाल को वांछित धनराशि उपलब्ध कराये जाने की मांग

165–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल में दैनिक अपदाओं, भू-स्खलन, बाढ़ आदि से प्रभावित कच्ची एवं पक्की सड़कों, इमारतों के रख-रखाव एवं पुनर्गठन हेतु 1997-98 एवं

1998-99 में लोक निर्माण विभाग पौड़ी गढ़वाल को वांछित राशि आवंटित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं ।

वर्ष 1997-98 में जनपद पौड़ी गढ़वाल को बाढ़/अतिवृष्टि/भू-स्खलन से प्रभावित नहीं माना गया । वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी बाढ़/अतिवृष्टि/भू-स्खलन की सूचना नहीं है ।

जिला छत्रपति शाहू जी महराज नगर में तेल कम्पनी के थोक विक्रेता के होते हुए भी केरोसीन तेल का ब्लाक वितरक द्वारा एक साधारण व्यक्ति के नियुक्ति के कारणों की जानकारी

166–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक रामनगर जिला छत्रपति साहूजी महाराज नगर में तेल कम्पनी के थोक विक्रेता के होते हुए भी केरोसीन तेल का ब्लाक वितरक द्वारा एक साधारण व्यक्ति को नियुक्त किया गया है ? शासनादेश सं०–1646/29-33(के०ओ०)/90, दिनांक 19-5-90 खाद्य एवं रसद अनुभाग–7 के पैरा 3–1 का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध नियुक्त किये गये वर्तमान ब्लाक वितरक को खारिज करके थोक विक्रेता को ब्लाक वितरक नियुक्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

ब्लाक केन्द्र रामनगर में कोई थोक विक्रेता न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रीय उचित दर विक्रेताओं की सुविधा को दृष्टि से ब्लाक वितरक की नियुक्ति की गयी है ।

उक्त शासनादेश के पैरा 3–5 के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही सम्पादित की गयी है ।

जिला पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में नया महाविद्यालय खोले जाने विषयक शासन स्तर पर विचाराधीन प्रस्ताव

167–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गंगोली हाट जिला 'पिथौरागढ़ में नया महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त महाविद्यालय खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

परीक्षणोपरान्त महाविद्यालय का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में रामा मिट्टी के तेल डिपो गाजीपुर के मालिक द्वारा की जा रही मिट्टी के तेल की काला बाजारी की जांच कराकर लाइसेन्स निरस्त किये जाने की मांग

168–श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर में रामा तेल डिपों गाजीपुर द्वारा मिट्टी के तेल वितरण में भारी कटौती की जा रही है ? क्या यह सही है कि उक्त डिपों मालिक द्वारा

मिट्टी तेल की कालाबाजारी की जा रही है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त का लाइसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय सहकारी आवास समिति लिमिटेड देवरिया के अध्यक्ष श्री राम नगीना एवं उसके पदाधिकारियों द्वारा भूमि आवंटन के नाम पर करोड़ों रुपये गबन विषयक पूर्व विधायक श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल का सहकारिता मंत्री को संबोधित पत्र एवं कृत कार्यवाही

169–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास मंत्री को ज्ञात है कि भारतीय सहकारी आवास समिति लिमिटेड देवरिया पंजीकरण संख्या 1132 के अध्यक्ष श्री राम नगीना सिंह एवं उसके पदाधिकारियों द्वारा निर्बल निराश्रित व्यक्तियों को भूमि आवंटन के नाम पर करोड़ों रुपये का गबन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त आवास समिति ने कुल कितने व्यक्तियों को फर्जी आवंटन किया गया है ? उनके नाम क्या हैं तथा कुल कितनी धनराशि ली गयी हैं ? क्या यह सत्य है कि सोसायटी के समस्त पदाधिकारियों ने समस्त भूमि अपने परिवारजनों के नाम आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह आवंटन रद्द किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध मे श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, तत्कालीन विधायक का पत्र दिनांक 12 मई, 1994 जोकि सहकारिता मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि समिति के समस्त पदाधिकारियों ने समस्त भूमि/भवन अपने परिवारजनों के नाम आवंटित नहीं किया है ।

जी नहीं ।

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1993 में शासनादेश के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व स्वीकृत/स्थापित लघु औद्योगिक इकाइयों को देय सब्सीडी राशि का भुगतान किये जाने की मांग

170–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1993 में शासनादेश के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में देय लघु उद्योगों की सब्सीडी समाप्त कर दी गयी है ? क्या उक्त शासनादेश से पूर्व स्वीकृत/स्थापित लघु

औद्योगिक इकाईयों को देय सब्सीडी का पूरा भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त राशि (अवशेष) का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

पर्वतीय क्षेत्र में लघु उद्योगों को दी जाने वाली राज्यपूंजी उपादान योजना वर्ष 1993 में समाप्त नहीं हुई है अपितु दिनांक 31-3-95 को समाप्त हुई है ।

जी हां । समस्त पात्र औद्योगिक इकाईयों को कुल रु० 1141,354 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(समय 12 बजकर 25 मिनट)

(व्यवधान)

श्री राम जग–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें । यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम जग–

हम सरकार की किसानों विरोधी नीति के कारण सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री राम जग, श्री विनोद मणि सदन त्याग कर चले गये)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाओं में से श्लाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं । श्री लाल मणि प्रसाद, श्री चन्द्र नाथ सिंह, श्री लाल जी वर्मा, श्री अयोध्या प्रसाद पाल, श्रीमती माया प्रसाद, श्री बाबू लाल, श्री महेन्द्र कुमार, की सूचनाएं स्वीकृति हुई हैं ।

आप सभी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं ।

प्रतीक्षा सूची के श्री अशोक कुमार सिंह, डा० राम बाबू हरित तथा जिनकी सूचना अस्वीकार की गयी उन माननीय सदस्यों के नाम हैं :–श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री मुरलीधर, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री विनोद मणि, श्री जगदीश नरायण राय, श्री जोखू लाल यादव, श्री राम नरेश यादव, श्री मुन्ना चौहान, श्री आर० के० चौधरी आपकी सूचनाएं अस्वीकार की गयी ।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ग्राम कटवा तहसील घनघटा जिला सन्त कबीर नगर में भूमिहीन अनुसूचित जाति के ग्राम समाज की जमीन पर काबिज लोगों को न हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल मणि प्रसाद–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम-कटवा, तहसील-घनघटा जिला संत कबीरनगर में अनुसूचित जाति के लोग जो भूमिहीन थे वे ग्राम समाज की जमीन पर वर्षों से काबिज थे । उस भूमि पर दलितों का नाद है, चरनी है, तथा खूटा आदि है जिसे तत्कालीन प्रधान ने दिया था लेकिन अब वर्तमान समय में एस०डी०एम० घनघटा शासन के एवं भाजपा नेताओं के दबाव में आकर बीसों दलितों वर्ग के घरों को साजिश करके उजाड़ना चाहते हैं इससे जनता में भयंकर आक्रोश है ।

अतः इस लोक महत्व के विषय की ओर समस्या के निदान के लिए शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जिससे बसे हुए दलित वर्ग के लोगों को उजाड़ा न जा सके, दोषी एस० डी० एम० को हटाया जाय ।]

प्रतापगढ़ सदर विधान सभा क्षेत्र के कोटे में स्वीकृत हैण्डपम्प को लगवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[महोदय, प्रतापगढ़ जनपद में मेरे विधान सभा क्षेत्र में शासन द्वारा मानक के आधार पर एन० सी० बस्ती के अन्तर्गत गंभीर पेयजल की समस्या देखते हुए जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने हैण्डपम्प की सूची स्वीकृत किया जो सभी विधान सभा क्षेत्र के क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए बराबर-बराबर तैयार किया गया था, किन्तु ये हैण्डपम्प जल निगम प्रथम खण्ड एवं द्वितीय खण्ड एवं एग्रो को लगाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु हमारे क्षेत्र का हैण्डपम्प दूसरे क्षेत्र में लगा दिया गया जिससे मेरी विधान सभा क्षेत्र की जनता के साथ घोर अन्याय हुआ । अतः मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि जल निगम प्रतापगढ़ के दोनों खण्डों तथा प्रतापगढ़ के एग्रो को आदेश दें कि 118 सदर विधान सभा के कोटे को पूरा किया जाय ।]

नगर परिषद् टाण्डा अम्बेडकर नगर की विद्युत/आपूर्ति में सुधार कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लाल जी वर्मा–

[महोदय, नगर परिषद् टाण्डा जनपद–अम्बेडकर नगर की विद्युत आपूर्ति वितरण नेटवर्क के कमजोर होने के कारण प्रायः बाधित रहता है तथा प्रायः केबिल तथा ट्रांसफार्मर जल जाते हैं । विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु नगर परिषद् में काजीपुर, तकरावल, कस्बा सकरावल गोठ आदि मोहल्लों में 400 के० बी० ए० एवं 250 के० बी० ए० तथा 160 के० बी० ए० के नये ट्रांसफार्मर लगाने एवं नये एल० टी० लाइन बिछाने की आवश्यकता है । उक्त कार्य न होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए नगर परिषद् टाण्डा में बुनकरों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए उपरोक्त कार्यों को कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद फतेहपुर के हसवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोठडार के कई डेरों में होली के दिन घटित घटना की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हसवा विधान सभा जनपद–फतेहपुर की ओर दिलाना चाहता हूं । ग्राम–कोठडार थाना–ललौली के मजरे प्रहलाद का डेरा, बिन्दा निषाद का डेरा उडवन डेरा में अधिकतर निषाद बिरादरी के गरीब लोग निवास करते हैं । दिनांक 13-3-90 होली के दिन जब पूरा देश होली का त्योहार मना रहा था उसी दिन ठाकुर बिरादरी के तमाम दबंग लोगों ने सामूहिक हमला बोलकर मार पीट किया सारा सामान लूट लिया । महिलाओं के साथ बदसलूकी किया । बुरी-बुरी गालियां देते रहे । एवं बूढ़ों, बच्चों, महिलाओं को तथा नवजवानों को मार-मार कर लहूलुहान कर दिया । 200 के लगभग भाजपा समर्थक ठाकुर अधिकतर शराब के नशे में धुत थे । ये सारा ताण्डव थाना ललौली इंचार्ज की साजिश से किया गया । इस साजिश पूर्ण ताण्डव से सैकड़ों निषाद परिवार गांव छोड़ कर अपनी जान बचाया है । सैकड़ों परिवार गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं । ग्राम लोधौरा थाना किशुनपुर के लोग गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं । अस्तु मैं चाहूंगा कि पूरे प्रकरण की जांच सी० बी० आई० से करा कर दोषी को कड़ी सजा दिलायी जाय एवं दोषी थाना इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाय एवं पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी जातियों के थाना इंचार्ज तैनात किये जाय ।]

जनपद लखीमपुर खीरी के श्री नगर क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त गोला अलीगंज से बिजुवा मार्ग का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद–

[महोदय, जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर अन्तर्गत गोला अलीगंज से बिजुवा मार्ग जो काफी पहले बनी थी, इस समय काफी जर्जर हो गयी है । इस सड़क का डामर पूरी तरह उखड़ गया है तथा मिट्टी बिखर गई है जिससे जनता को आवागमन में काफी असुविधा होती है ।

अतः जनहित में मेरी मांग है कि उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु शासन को निर्देशित किया जाय ।]

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा 10 कि०मी० पटरी पक्की करने में की जा रही कथित अभिकर्ताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद आगरा के क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा फतेहपुर सीकरी ब्रांच पर 10 किमी० पटरी पक्की करने का काम व्यारा गांव से कागारौल फतेहपुर सीकरी मार्ग तक कराया किया जा रहा है । सामग्री की आपूर्ति भी आवश्यकता के अनुरूप न किये जाने से कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है । मानक के अनुरूप

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निर्माण कार्य न कराये जाने से इसका उपयोग शासन की नीति के अनुरूप जनता को नहीं हो सकेगा जिससे शासकीय नीतियों की उपेक्षा के साथ-साथ ही जनता की गाढ़ी कमाई पर डांका डाला जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्ड दिलाने के लिये सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद सीतापुर के बेहटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मदमरा में नियमों का उल्लंघन कर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाने की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र कुमार–

[महोदय, जनपद सीतापुर तहसील बिसवां विधान सभा क्षेत्र बेहटा के ग्राम भदमरा में विश्व बैंक द्वारा चलाये जा रहे हैं माइक्रोप्लान के तहत वर्ष 97/98 में जारी प्राथमिक विद्यालय एवं उच्चतर मा० वि० की सूची के अनुसार शिक्षा समिति की बैठक में भदमरा ग्राम में प्रस्तावित उच्च मा० वि० के स्थान पर मोहलिया में भवन बनाने हेतु भा० जा० पा० नेताओं के दबाव में अधिकारियों द्वारा संस्तुति प्रदान की जा रही है। जबकि मोहलिया से मात्र 1 किमी० की दूरी पर उच्च मा० वि० ग्राम रसूलपुर पहले से स्थित है। शासनादेश के तहत 3 किमी० की दूरी के अन्दर उच्च मा० वि० नहीं बन सकता है जबकि ग्राम प्रधान भदमरा एवं सदस्य ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव एवं लेखपाल द्वारा बनाये जाने वाले विद्यालय हेतु भूमि का नक्शा नजरी सहित सभी अधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। मान्यवर, यह नियमों का उल्लंघन करते हुये जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रश्न है। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत कुल दो सूचनाएं प्राप्त हुयीं हैं। पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार जी की है।

उत्तरांचल विकास विभाग के संबंध में उत्तरांचल विकास मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के विपरीत मंत्रि-परिषद् की उपसमिति की घोषणा सदन के बाहर सार्वजनिक किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 162 (2) के अन्तर्गत यह जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद् की है कि अगर कोई नीतिगत घोषणा है तो उसे यहां सदन में सूचित करें। मान्यवर, उत्तरांचल विकास मंत्री ने सदन को अवगत कराया था कि उसमें कुमायूं और गढ़वाल आते हैं उसके आधार पर हम लोगों को बतायेंगे कि इसकी राजधानी कहां प्रस्तावित है इसकी उपसमिति की रिपोर्ट को क्या सदन में रखेंगे, रमाशंकर कौशिक की रिपोर्ट को सदन में रखेंगे, वह नहीं रखी गयी है इसके अलावा उप समिति ने प्रस्तावित किया हरिद्वार को और बिजनौर का कुछ हिस्सा मिला लिया जाय, इसी तरह से बरेली जिले के बहेड़ी को मिला लिया जाय। मान्यवर, यह सारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार की मंशा उत्तरांचल राज्य बनाने की नहीं है इनकी योजना तो इसको उलझाने की है। मान्यवर, यह 164 (2) का उल्लंघन कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जहां तक उप समिति का प्रश्न है, कोई निर्णय अंतिम रूप से नहीं लिया गया है और न उप समिति की ओर से कोई निर्णय की घोषणा की गयी है । जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोई भ्रांति फैलाई गयी है तो यह उनके मन की भ्रांति है । केवल उत्तरांचल की समिति गठित है । मैं भी उसका सदस्य हूं उसकी ओर से न कोई विज्ञप्ति जारी की गयी है न कोई निर्णय लिया है । आज भी उसकी बैठक होने वाली है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद कुमार और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद में इसको अग्राह्य करता हूं ।

जनपद बहराइच में पंचायत भवनों पशु चिकित्सालयों को उद्घाटन एवं शिलान्यास जिलाधिकारी द्वारा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री रामतेज यादव एडवोकेट की, मो० वकार अहमद शाह की श्री अरुणवीर सिंह की और श्री दिलीप वर्मा की है । यह तो नियम 300 में आती नहीं है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, शासनादेश है उसका उल्लंघन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर देता हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, सख्त से सख्त निर्देश होना चाहिए कि जब एम०एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० सब मौजूद हैं तो जिलाधिकारी अपने नाम का प्रचार करने के लिए अपनी पट्टिकाएं क्यों लगा रहा है । महसी में, कैसरगंज में पशु अस्पताल खोला गया है वह पट्टिकाएं लगा रहे हैं, हम लोग यहां सदन चलने के कारण यही हैं और फखरपुर में भी उसने शिलान्यास किया है । मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर अंकुश लगाया जाय । उद्घाटन और पत्थर लगाना जिलाधिकारी बहराइच का काम नहीं है, उनका जो काम हैं वह करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रामतेज जी को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूं लेकिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री का ध्यान, जो इस सूचना के माध्यम से उठाया गया है, की ओर आकर्षित करता हूं ।

विभागीय स्थायी समितियों के गठन के संबंध में अध्ययन हेतु समिति के सभापति एवं सदस्यों की घोषणा

श्री अध्यक्ष–

सदन के सामने मैंने कहा था कि मैं दिनांक 9 या 10 जुलाई, को जो बजट समितियों के संबंध में, जो सदन की इच्छा है कि समिति पद्धति लागू की जाय, उसके अध्ययन के लिए एक छोटी की समिति बना दी जाय । उसके लिए उसकी छोटी सी अध्ययन समिति बनाई है । इस समिति में निम्नलिखित माननीय सदस्य होंगे :–

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

संसदीय कार्य मंत्री सभापति, श्री राम नरेश यादव, कार्यकारी सभापति, डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, श्री राजधारी, सदस्य, कुंवर रेवती रमण सिंह, सदस्य, श्री बी० आर० वर्मा, सदस्य ।

यह समिति 31-8-98 तक अपनी संस्तुति प्रस्तुत कर देगी । यह मैं घोषणा कर रहा हूं । जब इसकी संस्तुतियां आयेंगी तो सभी दलों के माननीय सदस्यों के सामने रखकर इस पर विचार कर लेंगे तब यह प्रकरण सदन के सामने आ जायेगा ।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल, आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 जून, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 1 जुलाई, 1998 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 जुलाई, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 4 में कुछ नहीं हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 72वां प्रतिवेदन †

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सभापति, आश्वासन समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 72वां प्रतिवेदन, जो चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग (वर्ष 1980 से 1995 तक) के आश्वासनों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 73वां प्रतिवेदन

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सभापति, आश्वासन समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 73वां प्रतिवेदन, जो गृह/गोपन विभाग (वर्ष 1981 से 1992 तक) के आश्वासनों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

नोट :–† छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 74वां प्रतिवेदन †

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सभापति, आश्वासन समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 74वां प्रतिवेदन, जो ग्राम्य विकास विभाग, कारागार विभाग, श्रम विभाग, संस्थागत वित्त विभाग, परिवहन विभाग एवं उद्योग विभाग (वर्ष 1978 से 1997 तक) के आश्वासनों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 9 जुलाई, 1998 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 10 जुलाई, 1998 से 23 जुलाई, 1998 तक के सदन के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–सदन में शून्य प्रहर तथा कार्य-स्थगन प्रस्ताव अपराह्न 1.30 बजे समाप्त किये जायं और उसके पश्चात् अपराह्न 1.30 बजे से विभिन्न नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत चर्चायें ली जायं जो अपराह्न 3.00 बजे तक समाप्त हों तथा 3.00 बजे से आय-व्यय के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान प्रारम्भ किया जाय।

2–सदन के दिनांक 10 जुलाई से 23 जुलाई, 1998 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

जुलाई, 1998	
10 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन) (असरकारी संकल्प)।
	(2) उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घण्टा।
	(3) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों पर विचार एवं मतदान (आधा दिन)।
11 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
12 रविवार	
13 सोमवार	(1) नियम 103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) की अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द "साहित्य" से पूर्व शब्द और चिन्ह "विधि", रख दिया जाय।"

नोट :–† छापा नही गया।

(2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(3) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

14 मंगलवार

(1) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचना निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गोवर्धन, जतीपुरा तथा राधाकुण्ड गांवों में लिये जा रहे सभी प्रकार "आवागमन कर" तत्काल समाप्त किये जाय ।"

(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

15 बुधवार

(1) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के समस्त राजमार्गों पर, प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण सुधारने के लिये, पीपल व नीम के वृक्षों का, ऐसे राजमार्गों के दोनों ओर वृहदरूप से वृक्षारोपण किया जाय ।"

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

16 बुधवार

(1) नियम 103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराई जाय और जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाय ।"

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

17 बुधवार

(1) असरकारी दिवस (आधा दिन)

(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन प्रदेश के भूगर्भीय जल स्तर में हो रही निरन्तर गिरावट पर चिन्ता व्यक्त करता है और यह निश्चय करता है कि सरकार भूगर्भीय जल के दोहन हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित करे जो प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।"

(3) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

18 शनिवार
19 रविवार
20 सोमवार

बैठक नहीं होगी ।

(1) सन् 2000 से पूरे देश में शुरू होने वाली जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का बहुउद्देशीय प्रयोग किये जाने विषयक श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घण्टा ।

(2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

21 मंगलवार

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

22 बुधवार

(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

23 गुरुवार

(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (4.00 बजे अपराह्न तक) ।

(2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना मा० संसदीय कार्यमंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10-7-98 को नियम 311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु चुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

प्रथम सूचना प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक संघ स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा निगमों के कर्मचारियों के आन्दोलनरत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध है । इस पर 15 माननीय सदस्यों ने सूचना दी है । मेरा अनुरोध है कि 4-5 और अधिक से अधिक 6 मा० सदस्य अपने विचार रख लें तो अच्छा रहेगा । सदन की कार्यवाही विनियमित हो जायेगी और सभी की बात भी आ जायेगी । अब प्रश्न यह है कि किसको पहले बुलाया जाय । आप लोग आपस में तय कर लें दो-दो, चार-चार मिनट में अपनी बात कह दें । मैं समझता हूं कि जिस क्रम में नाम मैंने पुकारे है उसी क्रम में चलने दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर विषय है कर्मचारी और शिक्षक विरोधी इस सरकार की नीति के कारण आज यह सवाल प्रदेश के सामने खड़ा हो गया है यही नहीं जरुरत की हर चीज जनता को मिलना दुर्लभ हो गया है । कल गुरू पूर्णिमा थी और इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया है और यह सरकार गुरुओं के खिलाफ है, गुरू विरोधी है ।

मान्यवर, 1989 में जब एन० डी० तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो एक समता समिति का गठन हुआ था और उसमें यह तय किया था कि जो सुविधाएं या भत्ते केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे वही सुविधायें और भत्ते राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों को दिये जायेंगे । लेकिन सरकार शिक्षक विरोधी नीति के कारण उस सिद्धान्त को लागू नहीं कर रही है । इन्दिरा जी ने भी एक समिति बनायी थी, जिसमें यह तय हुआ था कि शिक्षकों को उनकी गरिमा के अनुरूप वेतन दिया जाये और उस निर्णय को कैट मेंचुनौती दी गयी थी, लेकिन फैसला शिक्षकों के पक्ष में गया था ।

पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां आये हुये एक वर्ष हो गया है लेकिन उसके अनुसार कार्यवाही करने का यह सरकार तैयार नहीं है । शिक्षकों ने उस समझौते को पूरा करने के लिये कहा लेकिन यह सरकार पूरा नहीं कर रही है । यह सरकार चाहती है कि समाज में किसी तरह अशान्ति बनी रहे आज जिस समाज में शिक्षक सम्मान नहीं पायेगा, कर्मचारी उचित वेतन नहीं पायेगा तो उसका क्या होगा ? 1989 में सरकार ने जो समझौता किया था वह इस सरकार पर भी लागू होता है लेकिन यह सरकार उस समझौते को तोड़ रही है । शिक्षक हड़ताल पर है । इस कारण विद्यार्थियों को मार्कशीट नहीं मिल पा रही हैं । मान्यवर, प्रवेश का समय है छात्रों का प्रवेश नहीं हो रहा है । इसी तरह निगम है उनके कर्मचारी भी

हड़ताल पर है, जनजीवन पूरे प्रदेश का अस्तव्यस्त हो गया है । जल आपूर्ति करने वाले, विद्युत आपूर्ति करने वाले, सफाई करने वाले सभी हड़ताल पर चले गये है और यह मा० कल्याण सिंह जी की सरकार कुम्भकरणीय नींद में सोयी है और कर्मचारी के विरुद्ध ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाये । उनके संयम को तोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है । लठियां-गोलियां चला रहे हैं । इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती । चूंकि कर्मचारी हड़ताल पर है इसलिये यह अविलम्बनीय महत्व का है ।

27 लाख से अधिक कर्मचारियों का मामला है इसलिये लोकमहत्व का है । और सरकार ने स्पष्ट भी नहीं किया है कि वेतन समिति की रिपोर्ट कब लागू करेंगे कोई निश्चित समय नहीं बताया गया है । और न ही कोई बजट में प्राविधान किया है शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों को जो वेतन वृद्धि हुई है उसके लिये कोई प्राविधान भी बजट में नहीं है । बढ़े हुये वेतनमान जो पांचवें वेतन आयोग पर आधारित है जो चट्टोपाध्याय समिति की सिफारिश है तथा 1989 के समन्वय समिति के आधार पर तय हुआ था कि केन्द्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतनमान दिये जायेंगे उनके संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है । इसलिये 27 लाख कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ यह सरकार कर रही है । इससे पूरे प्रदेश की जो 16 करोड़ जनता है उसके जनजीवन से खिलवाड़ हो रहा है । अतः मेरी मांग है कि सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने का निर्देश दें और इस सदन के आखिरी दिन से पहले शिक्षक और कर्मचारियों के वेतनमान इस सदन में घोषित करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रमोद कुमार जी ने जो बाते कही हैं । उनके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि यह अविलम्बनीय इसलिये है कि आज 27 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं इसलिये तात्कालिक है । परसों से शिक्षक हड़ताल पर थे और कल से स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी हड़ताल पर हैं इस तरह पूरा प्रदेश प्रभावित है । समय-समय पर सरकार ने घोषणा की है कि केन्द्र सरकार के बराबर उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को वेतनमान दिया जायेगा । चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले बार भी शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाया गया था । माननीय नारायण दत्त तिवारी समय पर उसके बाद भी तय हुआ था कि 1989 में भी यह तय हुआ था कि भविष्य में जब पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट आयेगी तो उसके अनुसार यहां के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जायेगा ।

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । वहां पर भी उन्होंने लागू कर दिया है । इसमें कुछ कमियां थी इसलिये वहां के शिक्षक हड़ताल पर गये और बाद में वही वेतनमान उनको दिये गये जो केन्द्र के कर्मचारियों को दिये गये लेकिन यहां पर यह भेदभाव क्यों है ? एक तरफ कारपोरेशन के कर्मचारी है हां तो दूसरी तरफ शिक्षक हैं । जब पिछली सरकारों ने इस बात की घोषणा की है तो अब न देने का कोई औचित्य नहीं है । टीचरों की हड़ताल के कारण स्कूल-कालेजों में बच्चों को टी० सी० नहीं मिल रही है जिसके कारण वह कहीं एडमीशन नहीं पा रहे हैं और न हीं कम्पटीशन में बैठ पा रहे हैं । मैं कहूंगा कि परिस्थितियां गम्भीर हो गयी है । पूरे प्रदेश में अफरातफरी मची हुई है । सरकार की क्या मंशा है । कब इन सिफारिशों को लागू करेगी ? और अगर नहीं लागू करती है तो इसकी घोषणा सरकार सदन में करने की कृपा करें ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है वह यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को नहीं लागू कर रही है । इसके

कारण जहां अध्यापकों ने काम बन्द कर दिया है वहीं दूसरी तरफ 27 लाख कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है और शिक्षा का कार्य प्रभावित हो रहा है। यह पूरे प्रदेश की ज्वलंत समस्या हो गयी है। जुलाई में प्रवेश लेना होता है लेकिन विद्यालय बन्द होने के कारण सारा कार्य प्रभावित है। यह प्रश्न कर्मचारियों के हित से जुड़ा है। पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है। जो सरकार संवेदनशीलता का नारा देती है उसकी इस प्रश्न पर संवेदनशीलता दिखायी नहीं दे रही है। यह प्रश्न छात्रों की जीवन से जुड़ा है। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है इसलिये इसकी महत्ता को देखते हुये इसको ग्राह्य करके चर्चा कराने का काम करें जिससे अध्यापकों, छात्रों, कर्मचारियों की समस्या का निदान हो सके यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, प्रदेश के 27 लाख कर्मचारी, अध्यापक हड़ताल पर हैं। उनके साथ बड़ी दिक्कत हो रही है लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। शिक्षा सत्र शुरू हो गया है लोगों को टी० सी० लेनी है मार्कशीट लेनी है जो लोगों को मिल नहीं पा रही हैं। मान्यवर, जब पिछली सरकार ने तय कर लिया था कि सेन्टर के बराबर वेतनमान दिया जायगा तो वही वेतनमान देना चाहिये। अब सरकार क्यों नहीं मान रही है। इसकी जवाबदेही सरकार की है। 27 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जब अध्यापक हड़ताल पर हैं तो पढ़ने वाले लोगों का क्या हश्र होगा। इसलिये मेरी मांग है कि इस पर सदन का कार्य रोककर चर्चा करायी जाय।

*श्री राम जग–

मान्यवर, आज प्रदेश में 27 लाख शिक्षक और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र के कर्मचारियों की भांति वेतन देने का निर्णय लिया था लेकिन उसके अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, अन्य प्रदेश सरकारों, पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको लागू किया है। भा०ज०पा० की नीतियां शिक्षकों के विरोध में है, कर्मचारियों के विरोध में चल रही हैं। सरकार की शिक्षकों, कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण यह सरकार पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। आज पूरे प्रदेश में शिक्षा संस्थायें बन्द हो गयी हैं विद्यार्थियों की पढ़ाई बन्द हो गयी है पूरे प्रदेश की शिक्षा की हालत बिल्कुल पंचर हो गयी है।

निगम के जो कर्मचारी हैं वह हड़ताल पर जा रहे हैं निगम के जो मजदूर हैं उनको 9-9 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है और वह विधान सभा के सामने धरने पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक विरोधी, मजदूर विरोधी और कर्मचारी विरोधी है। जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों की सरकारों ने पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों और निगम के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वेतन दे और मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार मदान्ध हो गई है। यह शिक्षक विरोधी, मजदूर विरोधी, मजदूर विरोधी और कर्मचारी विरोधी नीतियों पर चल रही है। इसलिये आप उत्तर प्रदेश सरकार को निदेशित करें कि पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट को जल्दी लागू करे। यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय है इसलिये सदन में इसकी चर्चा कराई जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में नया महाविद्यालय खोले जाने विषयक प्रश्न का उत्तर उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा न देकर उत्तरांचल विकास मंत्री द्वारा दिये जाने के विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, आज के कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या–20 व एक अन्य अतरांकित प्रश्न संख्या–167 का उत्तर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा न देकर उत्तरांचल विकास मंत्री जी द्वारा दिया गया, यह दोनों प्रश्न डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में हैं । उत्तर में इन दोनों महाविद्यालयों को खोलने का कोई औचित्य नहीं पाया गया जब प्रश्न का उत्तर शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया तो उत्तर उत्तरांचल विकास मंत्री द्वारा क्यों दिया गया है ? दोनों मामलों में औचित्य नहीं पाया गया है तो फिर मान्यवर, उत्तरांचल विकास के 4-4 मंत्री होने का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री लाखी राम जोशी–

अगर प्रश्नों का औचित्य नहीं है तो प्रश्न फिर क्यों पूछे जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना स्थान ग्रहण करें इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रकरण अत्यन्त लोक महत्व का और तात्कालिक है । आज सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को यथावत लागू कराने के सवाल को लेकर न केवल प्राइमरी स्कूल से लेकर इण्टरमीडियेट तक के 6 लाख शिक्षक हड़ताल पर हैं बल्कि स्थानीय निकायों और समस्त निगमों के 21 लाख कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं । श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के स्थानीय निकायों निगमों के कर्मचारियों और सभी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की हड़ताल की वजह से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता के सामने गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । आज उत्तर प्रदेश की सरकार अलोकतांत्रिक आचरण का परिचय दे रही है । श्रीमन, आप इस बात से अवगत हैं कि जहां हिन्दुस्तान का संविधान कानून के सामने सबको समता का अधिकार प्रदान करता है, वहीं यह भी व्यवस्था करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण से वंचित न किया जाये ।

आप इस बात से भी अवगत हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त के अनुच्छेद–39 भी यह व्यवस्था करता है कि समान कार्य के लिये समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिये । इसी बात को लेकर पंचम वेतन आयोग ने अपनी संस्तुतियां दी और पद से पद की समानता की बात करते हुए उसने अपनी संस्तुति दी । श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चौथे वेतन आयोग की संस्तुतियों को यथावत क्रियान्वित करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार जो 1989 में समता समिति के निर्णय से बंधी हुई थी, उसी सरकार ने अपने निर्णय की अवहेलना करके, पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को क्रियान्वित न करना पड़े इसके लिये बजाज समिति गठित की । पंचम वेतन आयोग ने शिक्षकों के मामले में प्रत्येक सम्वर्ग में 3 वेतनमानों की संस्तुतियां की लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित बजाज समिति ने मात्र एक साधारण वेतनमान दिया । उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिये पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू कर दिया लेकिन संस्तुति के मुताबिक भत्ता नहीं दिया और राज्य कर्मचारी आज क्षुब्ध हैं । पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों से उत्तर प्रदेश की सरकार, शिक्षकों, स्थानीय निकायों और निगमों के कर्मचारियों को वंचित रखा है ।

आप इस बात से अवगत है कि सम्पूर्ण सेवा काल में शिक्षक को कोई पदोन्नति नहीं मिलती है जिससे शिक्षा के प्रति उसकी अभिरुचि और कर्मठता में कमी आती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए समता का अधिकार और समान काम के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए पंचम वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों व स्थानीय निकाय कर्मचारियों को जो वेतनमान दिया गया है, उसकी सिफारिशों की अवहेलना करके उत्तर प्रदेश की सरकार अलोकतांत्रिक आचरण का परिचय दे रही है। यह बात अब उजागर हो गई है। उत्तर प्रदेश की भा०ज०पा० की सरकार केवल चुनाव जीतने के लिये लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली की बात करती है, किन्तु चुनाव जीतने के बाद सत्ता के हथियार को अपने हाथ में लेने के बाद वह संविधान की व्यवस्थाओं तथा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करती है। इसलिये इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर तत्काल चर्चा करायी जाये।

श्री राम नरेश यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है जिसके संबंध में माननीय प्रमोद कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह जी, माननीय लालजी वर्मा जी, श्री सुबाष श्रीवास्तव जी एवं दूसरे नेताओं ने अपनी बातें रखी हैं। बहुत ही तर्कसंगत और उचित मांग भी है। पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आई केन्द्रीय सरकार ने लागू किया और उसके पहले यहां प्रदेश की सरकारों ने भी पहले जो आयोगों की रिपोर्टें आती रही हैं उनको लागू करते रहे हैं। इस सरकार ने भी निर्णय किया कि लागू करेंगे लेकिन जानबूझकर हठवादिता पर अड़ी हुई है। उसके कारण पूरे प्रदेश में 27 लाख शिक्षक और दूसरे कर्मचारी साथ ही साथ अनके स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी आन्दोलित हैं। इससे प्रदेश की स्थिति भी खराब हो रही है। एक तरफ सरकार शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती है, गु..... परिवर्तन लाना चाहती है और प्रदेश के विकास में शिक्षकों को जोड़कर छात्रों के भविष्य को सुन्दर बनाना चाहती है लेकिन जानबूझकर सरकार उन शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है साथ ही साथ छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। आज छात्रों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। उनको टी० सी० नहीं मिल रही है। दूसरे कर्मचारी भी-इस आन्दोलन से जुड़ रहे हैं इससे लगता है कि

प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। और कुछ दिनों बाद स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कुछ दिन बाद जल संस्थान के कर्मचारी भी हड़ताल करने जा रहे हैं इससे नागरिकों को पानी नहीं मिलेगा यह स्थिति सरकार की हठवादिता के चलते उत्पन्न हुई है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि वह पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों की शिक्षकों के बारे में लागू करें। दूसरे राज्य कर्मचायिरों के बारे में लागू की जाएगी। साथ ही साथ जो अन्य स्थानीय निकाय व स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उन पर लागू की जाएगी। यह सरकार घोषणा करे। अनयथा मैं यह कहना चाहता हूं कि यह असंतोष उमड़ रहा है और यही असंतोष आने वाले दिनों में सरकार को खत्म करने का कारण बनेगा। इस मामले को लोकतांत्रिक आधार पर आपस में मिल बैठकर हल कर लिया जाए ताकि पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकें। और फिर आन्दोलन भी वापस हो जाएगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। इसलिये मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर 19 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इसमें से 7 माननीय सदस्यों को सुन लिया। एक दो माननीय सदस्य और अपनी बात कह लें क्योंकि सबको सुनना मुश्किल है। जिनके हस्ताक्षर न हों वह माननीय सदस्य कृपया अपनी बात कहने का अनुरोध न करें। श्री राम सिंह सैनी ने अलग सूचना दी है इसलिये उनको सुन लेता हूं।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का है पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें जब आई तो इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को तो सरकार ने वेतन दे दिये लेकिन अध्यापकों के लिये एक अलग कमेटी बना दी बजाज समिति । पहले सरकार ने कहा था कि जो पांचवे वेतन आयोग की संस्तुतियां होंगी उसको लागू करेंगे । लेकिन शिक्षकों के बारे में पद से पद की समानता का सिद्धान्त नहीं माना । सरकारी कर्मचारियों को वेतन मान दिये उसकी के समकक्ष अध्यापकों को वेतन दे दिया । पांचवे वेतन आयोग मेंअध्यापकों के बारे में पद से पद की समानता के आधार पर वेतन देने की संस्तुति की थी । यहां पर उनके ऊपर कुठाराघात किया गया है । छात्रों के इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज में प्रवेश होना है और उन्हें टी० सी० नहीं मिल रही है यदि निर्धारित समय से पहले उनका प्रवेश नहीं होता है तो छात्रों का प्रवेश निरस्त हो जायेगा और उनका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा आज शिक्षकों के साथ दूसरे लोग भी आन्दोलित हैं परन्तु सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है ।

जब-जब बी० जे० पी० की सरकार आती है तब-तब शिक्षकों पर प्रहार किये जाते हैं और यह सरकार शिक्षक विरोधी नीति अपनाती है । इसलिये मान्यवर, यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये आप सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष–

समाजवादी पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं । एक आदमी आप तय कर लें बोलने के लिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी वर्तमान परिवेश में उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण रूप से संकट ग्रस्त हो गया है जिसकी मिसाल आप विधान सभा के गेट पर देख सकते हैं जहां पर डाला, चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के मजदूर पिछले 10 माह से वेतन न मिलने के कारण धरना प्रदर्शन पर बैठे हुये हैं । दूसरा बड़ा संकट उत्तर प्रदेश में 27 लाख शिक्षक/अन्य कर्मचारी पांचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान न मिलने के कारण एक साल से संघर्षरत हैं परन्तु यह सरकार आज तक उस पर पर्दा डालने का काम कर रही है । मात्र राज्य कर्मचारियों को वेतन तो दे दिया गया परन्तु उनको भी अन्य भत्ते स्वीकृत नहीं किये गये हैं । यह केवल 27 लाख शिक्षकों/कर्मचारियों का सवाल नहीं है बल्कि उससे जुड़े करोड़ों लोगों का सवाल है यदि सभी लोग आन्दोलनरत हो गये तो उत्तर प्रदेश अस्त व्यस्त हो जायेगा पूरे उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल/इण्डरमीडियेट कालेज में पढ़ाने का काम करते हैं । न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी । जब अध्यापक ही हड़ताल पर चले जायेंगे तो विद्यालयों का क्या होगा, उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का क्या होगा जो पांच गुना, दोगुना फीस इस सरकार की कुनीति के कारण देने के लिये बाध्य हो रहे हैं । इसलिये मैं इसकी ग्राह्यता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मामला इतना ही नहीं है । रोडवेज इम्लाइज यूनियन इसमें शरीक होने जा रहे हैं । पूरे उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का चक्का जाम करने जा रहे हैं । राज्य कर्मचारी महासंगा भी इसमें कूदने के लिये तैयार है । साथ ही साथ राज्य कर्मचारी समन्वय समिति और जल निगम के कर्मचारी इस आन्दोलन में एक साथ कूदने के लिये तैयार हैं । इस भयानक स्थिति से निपटने के लिये कहीं ऐसा न हो प्रदेश की कानून व्यवस्था पंगु हो जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय । यह अति महत्वपूर्ण बिन्दु है और लोक महत्व का मामला है । सारे सदन की कार्यवाही को स्थगित करके चर्चा का समय स्वीकार करें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्ताव पास किया है । उसके अनुसार कार्यवाही चलने दें । दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें । उसके बाद का लिखा नहीं जायेगा ।

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में इस विषय पर चर्चा हो रही है उसका संबंध कुल 27 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों तक नहीं है । 16 करोड़ जनता पर उसका सीधा असर पड़ रहा है । शिक्षक ऐसे समय पर आन्दोलित हैं, जब हमारे विद्यालय खुल गये हैं । बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिला लेना है और पुराने स्कूल से टी० सी० लेनी है । अभिभावक और छात्र का कल का भविष्य क्या होगा ? आप विधि के वेत्ता हैं । यह सरकार कानून का राज कायम करने की बात करती है । आज इसकी करनी और कथनी में अन्तर है । आज इससे बड़ा लोक महत्व का अविलम्बनीय सवाल और नहीं है । इससे केवल माननीय सदस्य ही नहीं सभी दुखी हैं, प्रभावित हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि सारे नियमों को तोड़कर इस पर चर्चा कराई जाय । चाहे इस पक्ष के सदस्य हों या उस पक्ष के सदस्य हों सब यही चाहते हैं । इसके साथ-साथ सरकार घोषणा करके कि वेतन विसंगतियों को दूर करेगी नहीं तो इस प्रदेश की कल क्या स्थिति होगी ? मान्यवर, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, 27 लाख शिक्षकों कर्मचारियों का मामला है । यह विषय बारी-बारी से आपके संज्ञान में माननीय सदस्यों द्वारा लाया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि समता समिति की रिपोर्ट, चट्टोपाध्याय समिति की रिपोर्ट लागू न किये जाने का क्या कारण है ? कल से भूखे प्यासे लोग इस चिलचिलाती धूप में विधान सभा के दरवाजे पर अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर शान्तिपूर्वक कह रहे हैं । कल भी यह बात आई थी कि वह सड़कों पर हैं जिसकी वजह से रास्ता अवरुद्ध है । हम आप जो भी यहां बैठे हैं, उनकी कृपा से हैं, उनकी ओर हम ध्यान न दें, उनकी समस्याएं हम पता न करें, तो उनकी समस्याएं जहां की तहां बनी रहेंगी । यह सरकार के लिये विडम्बनापूर्ण बात है, शर्म, हया की बात है इसको लाज होनी चाहिये । आप शिक्षकों के प्रति उदासीन क्यों हो गये । कल गुरुपूर्णिमा थी, आज भी है । आप शिक्षक और गुरू के प्रति उदासीन क्यों हो गये ? यह प्रश्न सरकार के संज्ञान में है । यह बड़ा महत्वपूर्ण है और लोक महत्व का है । इससे ज्यादा महत्व की और बात नहीं हो सकती है । इसलिये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो माननीय सदस्यों ने मेरे पूर्व में कहा उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं परन्तु कुछ मौलिक सवाल है । उनको कहना चाहता हूं । चतुर्थ वेतन आयोग पी० सी० शर्मा कमेटी गठित हुई थी । उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अध्यापकों के तीन वर्ग बना दिये गये थे और जो वेतन विसंगति केन्द्रीय सरकार की थी । उत्तर प्रदेश की सरकार के शिक्षकों के वेतनमान में थी उसमें यह कह दिया कि वहां पर प्रमोशन के 20 परसेन्ट होते रहते हैं जबकि यहां 100 परसेन्ट प्रमोशन किये जायेंगे, इसलिये यह कहा गया कि भविष्य में ग्रेड्स के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, वेतन आयोग

के आधार पर संस्तुतियां लागू की जाएगी । मान्यवर, एक सरकार ने एक कमेटी बैठाई उसकी सिफारिशों के अनुरूप निर्णय लिया तो क्या कमेटी की सिफारिशों का पालन सरकार करेगी ? समान कार्य के लिये समान वेतन देने का पालन करेगी ? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

27 लाख अध्यापक हैं या स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं यह हड़ताल पर जाएंगे तो काम बन्द करेंगे फिर सरकार इन पर लाठी चलवाएगी तो विपक्ष के लोग चुप नहीं बैठेंगे । हमारे सीने लाठी गोली के लिये खुले रहेंगे । मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराएं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस आन्दोलन के तीन चरण हुए पहले तो मान्यवर, 37 वें सम्मेलन ....

श्री अध्यक्ष–

सबने विषय पर बोला आप ग्राह्यता पर बोलें ।

*श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक ने 37 वां सम्मेलन किय फिर पेन डाउन किया, फिर टेविल डाउन किया फिर हड़ताल में सब लोग साथ में आ गये, इतना सबके बाद भी सरकार सुन नहीं रही है अगला चरण उनका आमरण अनशन का होगा, तोड़फोड़ होगी । तो मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायें ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षकों की हड़ताल को लेकर माननीय सदस्यगण ने सदन में काफी चिन्ता दिखाई है । 2-4 बातें मैं कहना चाहता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद् ने पंचम वेतन आयोग के अनुरूप उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों का वेतनमान निर्धारित करने का निर्णय लिया है । उसी निर्णय के अनुरूप जो बोझ, भार प्रदेश सरकार पर पड़ रहा है, यह निर्णय तो 1-1-96 से लागू होना है, तो इससे 2 हजार करोड़ का वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा । 500 करोड़ अतिरिक्त वित्तीय भार प्रदेश सरकार पर होगा, जो सिफारिशें प्रदेश सरकार ने स्वीकार की हैं वेतनमानों के निर्धारण के संबंध में उसको दृष्टिगत रखते हुए एक बात ध्यान देने की यह है कि स्थानीय निकायों के बारे में भी निर्णय लिया था और इसकी घोषणा भी सरकार द्वारा सदन में की गई थी, तो शासनादेश जारी होने वाला है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

कब तक जारी होगा ।

(व्यवधान)

यह टाल मटोल कर रहे हैं । सरकार की नियत साफ नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें विलम्ब हुआ है और वह इसलिये हुआ कि पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट में बजाज कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी ने पूरे देश के पांच राज्यों में भ्रमण करके जानकारी प्राप्त की ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् उसने अपने विवेक से प्रदेश सरकार को सिफारिश की । वहीं सिफारिशें स्वीकार की गयी । उन सिफारिशों के अनुरूप यह आने वाला है । निर्णय हो गया है मंत्रीपरिषद् का और शासनादेश होने वाला है । आज हो जाये या कल हो जाये । मान्यवर, हमारी सरकार शिक्षकों को विश्वास में लेकर के कहीं कोई बिन्दु न रह जाय आपस में असहमति न हो इसलिये जो शासनादेश नहीं हुआ है, उसका कारण यही था । मैं समय सीमा क्या कह दूं ।

अतिशीघ्र यह शासनादेश होने वाला है और मान्यवर, मैं आपको यह भी अवगत करा दूं कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है इस देश में जिसने पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कर्मचारियों को वेतन दिया । जिन परिस्थितियों में दिया वह मैं बता दूं हमारे प्रदेश की पूरी राजस्व प्राप्ति है सात हजार करोड़ की और वेतन पर खर्च है 11 हजार करोड़ का, तामिलाडु को राजस्व प्राप्ति है 9 हजार 560 करोड़ की और वेतन पर खर्च है पांच हजार पांच सौ करोड़ का आन्ध्र प्रदेश की राजस्व प्राप्ति सात हजार पांच सौ करोड़ की और वेतन पर खर्च है चार हजार पांच सौ करोड़ का ...

(व्यवधान)

(विपक्ष के अनेक सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर मैंने 12 माननीय सदस्यों को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना । प्रश्नगत सूचना नियम–311 में नहीं आती है । इसलिये इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे कि शिक्षक विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी)

मैं अगली सूचना, जो श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना जी की प्रदेश में पी० सी० एस० मुख्य परीक्षा केन्द्र आयोजन में मेरठ केन्द्र को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को ले रहा हूं ।

(श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना जी का नाम पुकारे जाने पर और उनके द्वारा न बोलने पर)

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । अब मैं अगली सूचना जो कि श्री गौरी शंकर एडवोकेट की, प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय के अधीन कार्यरत फार्मेसिस्टों को सेवा से पृथक किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को ले रहा हूं ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट का नाम पुकारे जाने पर और उनके द्वारा न बोलने पर)

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

[इस समय 1 बजकर 24 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 1 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।]

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत हम लोगों ने शिक्षकों, राज्य कर्मचारियों की हड़ताल का प्रश्न उठाया 27 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद जी यहां से निर्णय ऊपर लिया जा चुका है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, निर्णय पर पुनर्विचार तो हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

डेढ़ बजे तक कार्यस्थगन प्रस्ताव समाप्त हो जाना चाहिये थे । बजट पर सामान्य चर्चा शुरू होनी है । इस विषय पर ग्राह्यता पर आप लोग अपने विचार प्रकट कर चुके हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

शासन की ओर से कोई आश्वासन नहीं आया कि कब लागू कर देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अतिशीघ्र कह दिया है कि सूचना को अग्राह्य पाकर निरस्त किया जा चुका है ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कार्य-स्थगन का समय डेढ़ बजे तक नियत था । अपरिहार्य कारणों से सदन का स्थगन बीच में हुआ मेरा अनुरोध है कि कम से कम ढाई बजे तक समय इन सूचनाओं पर सुनने के लिये पहली बार बढ़ा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपका जैसा विवेक हो, शिरोधार्य है । इसमें कोई औपचारिक प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप सब लोग इस पर सहमत हैं । ढाई बजे तक सारा कार्य-स्थगन का प्रस्ताव समाप्त हो जाएं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी बजाज समिति के अनुसार की बात कर रहे हैं । हमारा अनुरोध है । केन्द्र सरकार के समान वेतन, महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों का । मान्यवर, आप संरक्षण दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें अध्यक्ष पीठ से निर्णय आ चुका है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान वेतन भत्ते आदि देने के लिये तैयार नहीं है । यह बजाज समिति की संस्तुतियों की ही बात कर रहे हैं । इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों की जायज मांगों को उनको केन्द्र सरकार के समान वेतन भत्ते आदि देने के लिये तैयार नहीं है । इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में स्थानीय निकायों, निगमों के कर्मचारी और सारे प्रदेश के शिक्षक आन्दोलनरत हैं, जिसके चलते प्रदेश का जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। फिर भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता को नहीं दोहराया है। पंचम वेतन आयोग को लागू करने की स्पष्ट घोषणा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, पंचम वेतन आयोग की संस्तुति को यथावत् वह लागू करेंगे। इसके जवाब में उन्होंने बार-बार बजाज समिति का उल्लेख किया है। मान्यवर, यह अब स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश सरकार कर्मचारी विरोधी, शिक्षक विरोधी और मजदूर विरोधी है। उसके इस जन विरोधी रुख के विरुद्ध मैं सदन से बहिर्गहन करता हूं।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, जनपद बागपत की बड़ौत तहसील के जिलाधिकारी श्री पी० एन० सिंह, लोक सभा चुनाव जब हुआ, उसके तुरन्त बाद 27 मार्च से छुट्टी चले गये लेकिन उन्होंने वहां पर कोई छुट्टी की अप्लीकेशन नहीं दी।

श्री अधिष्ठाता–

यह आप किस पर बोल रहे हैं, आपकी सूचना तो मेरठ केन्द्र को समाप्त किये जाने के सबंध में है।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं बोल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं गजेन्द्र जी को बुला चुका हूं, आपका नाम है, मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, पी० सी० एस० परीक्षा केन्द्र मेरठ में था, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया है जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है क्योंकि उन्हें दूसरी जगह परीक्षा देने जाना पड़ेगा, 7-8 सौ कि०मी० दूर जाना पड़ेगा। इससे उनके सामने किराये और खाने पीने की सभी मजबूरियां रहेंगी। यह व्यावहारिक कठिनाई है जिसके कारण आज छात्रों में रोष व्याप्त हो रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे प्रदेश में पी० सी० एस० के जो मुख्य परीक्षा केन्द्र हैं वह तीन हैं इलाहाबाद, लखनऊ और मेरठ । लेकिन इस सरकार ने मेरठ परीक्षा केन्द्र निरस्त कर दिया । आप कल्पना करिये कि एक इलाहाबाद में और दूसरा लखनऊ में तो यहां पर ढाई तीन सौ कि०मी० तक के लोग तो चले जायेंगे लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तरांचल के लोग हैं, उनके लिये यह बहुत दूर है । यह उनके साथ अन्याय है । अगर कोई छात्र रायबरेली का हो तो उसे 100 किमी० पर परीक्षा केन्द्र मिल जायेगा, बनारस आजमगढ़ का हो तो 200 किमी० पर मिल जायेगा, बाराबंकी का हो तो 20 किमी० पर मिल जायेगा, कानपुर का हो तो 90 कि०मी० पर मिल जायेगा, सीतापुर का हो तो 85 किमी० पर मिल जायेगा, लेकिन आप कल्पना करें कि जो छात्र सहारनपुर, देहरादून, नैनीताल, मेरठ गाजियाबाद का है वह 600–700 किमी० आकर परीक्षा कैसे देगा ?

उत्तराखण्ड के छात्रों को दो दिन का समय लग जायेगा, परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने में, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ही पिछली सरकार ने मेरठ को परीक्षा केन्द्र बनाया था, यह केन्द्र 1996 तक रहा, लेकिन इस सरकार ने उसको निरस्त कर दिया । मान्यवर, पी० सी० एस० की परीक्षा में लाखों छात्र सम्मिलित होते हैं, अब इलाहाबाद में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और वहां जगह भी नहीं मिलती, अगर छात्रों को शैक्षणिक एटमास्फियर नहीं मिलेगा, तो छात्र कैसे परीक्षा देंगे, हास्टलों में भी जगह नहीं रहती, छात्र कहीं कालोनी में लेकर रहेगा, यह कुल मिलाकर छात्रों के साथ अन्याय है । आज रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय के छात्र आन्दोलन कर रहे हैं, धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है । यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वहां के लोगों के धैर्य की परीक्षा न लें, वरना आन्दोलन चलेगा, आज वहां हाईकोर्ट की बेंच भी नहीं दी जा रही है, यह ठीक नहीं है अन्यथा फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग देना पड़ेगा । मैं इस सूचना के माध्यम से इस विषय पर चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने कोई केन्द्र समाप्त नहीं किया है, यह केन्द्रों का मामला लोक सेवा आयोग की परिधि में आता है, 1996 में उन्होंने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया था क्योंकि उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की जाने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षायें 20 केन्द्रों में था, उसमें मेरठ भी था, बाद में दो केन्द्र इलाहाबाद और लखनऊ को चुना गया, ऐसा शुचित, स्वच्छता तथा प्रापर नियंत्रण रखने के लिये यह आवश्यक समझा गया, इन दोनों केन्द्रों के पास अपना भवन भी है । यह लोक सेवा आयोग का निर्णय है, इससे प्रदेश सरकार का करना-धरना नहीं है, न यह हमारी जिम्मेदारी में आता है ।

श्री समरपाल सिंह–

इलाहाबाद और मेरठ को बनाया जा सकता था । यह ठीक नहीं किया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री समर पाल सिंह तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, सरकार के इस निर्णय के विरोध में मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री समर पाल सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री गौरी शंकर जी की है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मानीनय अधिष्ठाता महोदय, आज इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की सूचना देते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय। आयुर्वेदिक और यूनानी निदेशालय के अधीन 356 कार्यरत फार्मासिस्ट हैं, उनको सेवा से पृथक किया जा रहा है। श्रीमन्, आप संवेदनशील हैं और वर्तमान सरकार उनको हटाने के कदम उठा रही है। लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि शासन की नीति के बाद, उनके विनियमितीकरण के बाद और हाई कोर्ट के निर्देश दिये जाने के बाद भी उनको निकाला जा रहा है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि उनके जो परिवार हैं, जो उनसे जुड़े हुए आश्रित हैं, उनका किस तरह से परिवार चलेगा। यह ऐसा विषय है, जिसमें हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है और सारा का सारा उत्तर जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी देंगे तो इन बातों का उत्तर अवश्य आ जाये, क्योंकि हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि उनका विनियमितीकरण किया जाये और वे लोग वेतन भोगी होने के कारण उद्वेलित हैं। इनको कोई राहत नहीं मिल रही है। मैंने कहा था कि एक मिनट में समाप्त कर दूंगा, तो एक मिनट में ही समाप्त कर दिया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर चर्चा करायें। विषय बहुत ही अविलम्बनीय है और लोक महत्व का है, इसलिये मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पर चर्चा करा दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, तत्कालीन अधिकारियों ने भारी घोटाला करके लगभग एक हजार नियुक्तियां की थीं, जो अर्हतायें नहीं रखते थे, उनकी नियुक्तियां कीं, जिनके पद ही नहीं थे, उन पर नियुक्तियां कीं। मैं बताना चाहता हूं कि सारा मामला सी० बी० आई० में है और यह प्रकरण भी है। करोड़ों रुपये कमाये गये हैं और नवयुवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन जो नयी नियुक्तियां की जायेंगी, इनको वेटेज दिया जायेगा। अगर घोटाला करके, रिश्वत लेकर के चले जायें और हम आत्मसमर्पण करके बैठे रहें तो कैसे काम चलेगा। जितना भी हो सकेगा सरकार उनकी सहायता करेगी।

श्री अधिष्ठाता–

मा० श्री गौरी शंकर और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं और निरस्त करता हूं। चौथी सूचना श्री दीपक कुमार, श्री मुस्ताक सोलंकी और विनोद मणि की है, जो जनपद उन्नाव, कानपुर, महानगरों तथा पूर्वांचल के जनपदों में लगातार वर्षा तथा जलभराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

मेरा अनुरोध है कि दो मिनट से अधिक कोई सदस्य न लें।

* श्री दीपक कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान जनपद उन्नाव और कानपुर में लगातार वर्षा तथा जलभराव से जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है उसके संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं। उन्नाव जनपद में जलभराव और विद्युत आपूर्ति की समस्या है। उन्नाव शहर का 90 प्रतिशत इलाका पानी से डूबा है। जहां पर लोग पैदल चलते थे और गाड़ियां चलती थीं आज वहां पर नावें चल रही हैं। इसकी जिम्मेदारी वहां के नगरपालिका की थी लेकिन उनकी लापरवाही के कारण लाखों लोग बुरी तरह से त्रस्त

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं । आज भी आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, जिलाधिकारी ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है । विद्युत आपूर्ति 5-6 दिनों से लगातार ठप्प है । बारावफात का जुलूस निकला था । जो लोग जुलूस निकाल रहे थे । नगर निगम के कुप्रबन्ध से लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, कानपुर नगर निगम में 90 फीसदी एरिया जल से भरा हुआ है । माननीय बालचन्द्र मिश्र जी का घर भी निश्चित रूप से पानी में डूबा हुआ है, पता नहीं वह अपनी बात को कहेंगे कि नहीं या नहीं कह पायेंगे लेकिन कानपुर की समस्या को लेकर पिछले 6 तारीख से लगातार विद्युत आपूर्ति ठप्प हो चुकी है । जनता आन्दोलित है क्रोधित है । सड़कों पर आ रही है । लेकिन शासन लाठी चार्ज उन शान्तिपूर्ण आन्दोलनकर्ताओं का किया जा रहा है । यहां के मंत्री और वहां के नगर प्रमुख के बीच में जो ठनाठनी है । उसका नतीजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है । अभी मुझे टेलीफोन पर सूचना मिली है कि कानपुर में जाम लगा हुआ है । कानपुर में गोविन्द नगर क्षेत्र जो माननीय बालचन्द्र जी का विधान सभा क्षेत्र है । पानी से भरा है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस गम्भीर समस्या पर जिसमें लाखों लोग पीड़ित हैं चर्चा करायी जाये ।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता (श्री गौरी शंकर एडवोकेट) पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता–

(श्री मुस्ताक सोलंकी का नाम पुकारने पर कई सदस्य खड़े हो गये) मैंने श्री मुस्ताक सोलंकी जी को बुलाया है मै उन्हीं को बुलाऊं जिनके हस्ताक्षर हैं, उनके बाद विनोद मणि जी उनके हस्ताक्षर हैं ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

आप देख लें एक प्रकार की सूचना पर कई मा० सदस्य देते हैं उसमें चूंकि 3-4 सूचनाएं एक ही विषय पर होनी हैं इसलिए उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है ।

* श्री मुस्ताक सोलंकी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का कानपुर नगर और उन्नाव की तरफ ले जाना चाहता हूं, 7 तारीख को बाराबफात के त्योहार के दिन कोई सफाई की व्यवस्था वहां नहीं थी तथा बिजली की भी भीषण समस्या थी । कानपुर के अन्दर करोड़ों रुपये की सजावट की गयी थी लेकिन बिजली न मिलने से बरबाद हो गयी । ऐसी सरकार जो अपने को अल्पसंख्यकों के हित में कहती है कि हमने तमाम कार्य उनके हित में किये हैं और तमाम घोषणायें करती है लेकिन कानपुर के अन्दर जो स्थिति हुई है, वह इसका उदाहरण है कि यह उनकी कितनी हितचिन्तक है । दिनांक 9 तारीख को जुलूस निकला उस दिन कानपुर में गंदगी का यह आलम रहा कि कई जगह पर जुलूस को रोकना पड़ा । कानपुर में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है । जहां तक दूसरे दल के लोग है । उस क्षेत्र का विकास नहीं किया जाता है । लाखों रुपया टैक्स देने वाले आज विकास के नाम पर महरूम हैं । कानपुर में चमनगंज, बेकनगंज, जूही, नौबस्ता में जाम लगा । जाम लगाने के बाद लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया लाठी चार्ज में एक आदमी मर गया । लेकिन आज तक वहां की बिजली की समस्या हल नहीं हो सकी है । कानपुर में गंदगी सबसे ज्यादा है । पानी जहरीला आ रहा है । बच्चे स्कूलों में बेहोश हो रहे हैं । बिजली न होने के कारण बच्चों के स्कूल बन्द हो गये हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कानपुर नगर की तरफ ले जाना चाहता हूं और मांग करता हूं कि वहां बिजली पानी आदि की व्यवस्था की जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री विनोद मणि–

मान्यवर, आपने अविलम्बनीय लोकमहत्व के सवाल पर बोलने का मौका दिया । इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । पूर्वांचल में पिछले 3-4 दिनों की भयानक बरसात से पूर्वान्चल के जनपद महराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर व बस्ती में भयानक बाढ़ की स्थिति है । यह जनपद राप्ती, बूढ़ी राप्ती, घाघरा, कुआनो नदियों से घिरे हैं । हर वर्ष भयानक बाढ़ आती है । साढ़े 6 सौ गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का असर है और लोग छतों पर रात गुजार रहे हैं । जिस समय बाढ़ को रोकने का काम करने का समय था । उस समय बाढ़ रोकने से संबंधित कार्य नहीं किये गये और विभागीय अधिकारियों ने करोड़ों रुपया का फर्जी भुगतान ले लिया । जो बंधे पिछले साल की बाढ़ में टूटे थे । उनकी मरम्मत आज तक नहीं हुई है और मरम्मत के नाम पर रुपया अधिकारियों ने निकाल लिया है ।

जनपद महराजगंज की फरेन्दा तहसील में नैपाल की सरहद का सारा पानी आता है । जिससे हमारे जनपद में बाढ़ आती है । मेरी तहसील में 300 से ज्यादा गांव पूरी तरह पानी में डूबे हैं । लेकिन वहां पर आज तक राहत के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और एक कौड़ी की भी सहायता नहीं दी गयी है । इस गूंगी और बहरी सरकार के कानों में कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है । अगर पूर्वान्चल के इस सवाल पर आपकी पीठ से निर्देश नहीं होगा तो पूर्वान्चल का किसान मारा जायगा । इसके पहले उसकी फसल बरबाद हो चुकी है और इस समय उसकी फसल बाढ़ से बरबाद हो रही है और किसान की कमर टूट गयी है । इससे ज्यादा और कोई अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं हो सकता है । मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें । हमारे महराजगंज जनपद में मेरे विधान सभा क्षेत्र में तत्काल राहत कार्य शुरू किया जाय । मेरे जनपद में जो अधिशासी अभियन्ता हैं । उन्होंने पिछले 20 सालों में लगातार अरबों रुपयों की लूट की है । मान्यवर, आज तक उसे वहां से हटाया नहीं गया । मैं आपकी पीठ से यह निर्देश चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें ।

* श्री भगवती प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । 5 तारीख की रात से कानपुर क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र लगभग 80 प्रतिशत भाग जलमग्न है और 5 तरीख की रात से ही विद्युत की आपूर्ति ठप्प है जिसके कारण जनता उद्वेलित है । जब 6 तारीख को हम दो माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहे थे, तो रामादेवी चौराहे पर जाम लगाया गया था, हम लोगों ने अपनी गाड़ी छोड़ दी और बस से आये ।

श्री राम जग–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम–56 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर चर्चा हो रही है और संसदीय कार्य मंत्री जी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । हम नियम–56 के अन्तर्गत बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में रखेंगे और आप सदन में बयान नहीं देंगे । इसलिये आप संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दें कि वह ध्यानपूर्वक सुनें ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह ईश्वर की कृपा है कि मेरे दोनों कान ठीक हैं और मैं ठीक प्रकार से सुनता हूं आपने जो-जो बातें कही हैं उसको सुना है, जो सुनने लायक न भी हो उसे भी सुनता हूं।

श्री भगवती प्रसाद–

मान्यवर, जगह-जगह जाम लग रहे हैं । बड़े चौराहे पर विद्युत सब-स्टेशन पर पुलिस को 6 राउण्ड गोलियां भी चलानी पड़ी, यही नहीं मेडिकल कालेज में कई दिनों से लोगों को पानी पीने के लिये नहीं मिल रहा है । जब अस्पतालों में विद्युत नहीं होगी तो वहां के जूनियर डाक्टर्स की भी असुविधा हुई उन्होंने भी जाम लगाया और पूरी तरह से स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें बाधित हो गयी । वहां पर बहुत बड़ा जाम लगा, उस जाम में बम तक चले । यही नहीं जब उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण ने उत्तरी क्षेत्र का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि इतना पानी है कि इसमें तो नावों की जरूरत है ।

मान्यवर, आपको मालूम है कि कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है और कानपुर में पूरे प्रदेश से ही नहीं देश के तमाम जगहों से लोग रोजी-रोटी के लिये आते हैं । घनी आबादी होने के कारण यहां के बड़े लोगों ने अण्डरग्राउण्ड में मकान बना रखे हैं और लोग किराये पर लेकर रहते हैं और पानी भर जाने के कारण उनकी दशा बहुत ही खराब है । जूही कालोनी और दक्षिणी इलाके में पानी भर जाने तथा कानपुर का 80 प्रतिशत भाग जलमग्न हो जाने के बाद लोगों का सामान भी डूब गया । अमर उजाला में खबर छपी है जिसमें स्थिति का वर्णन किया गया है । पानी को लेकर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है । उसमें सिर्फ विपक्ष के लोग ही प्रभावित नहीं हुए हैं । भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य श्री बाल चन्द्र जी बैठे हुए हैं जनता ने उनको खरी-खोटी सुनायी और श्री नीरज चतुर्वेदी और सतीश महाना को भी घेरा । विद्युत के अभाव में स्थिति इतनी खराब है कि लोग पीने के पानी के लिये तरस रहे हैं ।

(2 बजकर 25 मिनट)

लोग छतों पर खाना बना रहे हैं और जगह-जगह जाम चल रहा है । पुलिस उत्पीड़न चल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । ढाई बजे तक कार्य-स्थगन के लिए समय मा० अध्यक्ष ने निर्धारित किया है ।

श्री भगवती प्रसाद–

कानपुर में दो तीन हजार जो कच्चे मकान थे । वह गिर गये हैं । बहुजन समाज के मकान गिर गये हैं वह आश्रयहीन हो गये हैं । यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है । वहां पर लाइन की सफाई के नाम पर जो धन गया है वह कहीं खर्च नहीं किया गया है ।जल भराव की जो स्थिति है वह कानपुर जब से बसा है तब से पहली बार ऐसी स्थिति हुई है । पूरे कानपुर के लोग उत्तेजित हैं । लोग पीने के पानी के लिये तरस रहे हैं । मैं चाहता हूं कि आपकी पीठ से इस पर कोई निर्णय दिया जाए व इस पर चर्चा कराई जाए ।

* श्री राजाराम पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। कानपुर जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी महानगरी है मैं उसकी समस्या के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। इस महानगरी के जहां केन्द्र से लेकर प्रदेश सरकार के लोग मौजूद हैं। सांसद बी० जे० पी० के है, विधायक बी० जे० पी० के हैं, मेयर बी० जे० पी० के हैं। सभासद बी० जे० पी० के हैं। लेकिन उस सबसे बड़ी महानगरी के विकास के लिए उसकी साज सज्जा के लिए जो काम होना चाहिए वह आज तक नहीं किया गया। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों और मेयर के बीच में लम्बे समय लड़ाई चल रही है। यह लड़ाई घर की लड़ाई है। इस लडाई की आड़ में विकास का जितना पैसा चार सालों में मिला उसको मेयर ने हड़प लिया । चार सालों में किसी भी नाले, किसी भी सीवर की कोई सफाई नहीं हुई। पूरे महानगर में जब पानी और बिजली की समस्या है, प्रशासन इससे परेशान है डी० एम० और मेयर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसी दशा में लोग मकानों की छतों पर खाना बनाने को मजबूर हैं। बाढ़ से कानपुर पूरा जलमग्न है। अब वहां पर रिक्शे की जरूरत नहीं है बल्कि नाव की जरूरत है। हजारों की तादाद में पशु और पक्षी मर गये हैं और संक्रामक रोगों की बाढ़ जैसी आ गयी है । बालचन्द्र मिश्र जी भी वहां से विधायक हैं। बी० जे० पी० के जो मेयर हैं उन्होंने करोड़ों रुपया हड़प लिया है। इसलिए आप पीठ से सरकार को निर्देशित करें कि वह इसकी न्यायिक जांच करायें। प्रशासन मूक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री बाल चन्द्र मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछ कर आप श्री बाल चन्द्र मिश्र जी को इधर भेज दें।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

श्री बाल चन्द्र मिश्र जी का घर डूब गया है, तो सत्तादल का घर भी डूब गया है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कानपुर और उन्नाव में जल भराव से उत्पन्न समस्या को माननीय सदस्यगण ने यहां पर रखा, श्री बाल चन्द्र मिश्र जी तथा सत्ता पक्ष के अन्य लोगों ने भी इस समस्या को रखा। यह बात सही है कि काफी हद तक वहां पर नालियों की सफाई का अभाव रहा और सीवर की सफाई का अभाव रहा और उसके साथ ही साथ नालों पर गुमटियां बनाकर जो अतिक्रमण किया गया उससे सफाई बाधित हुई और अप्रत्याशित रूप से तीन दिन तक कानपुर महानगर में बारिश होती रही और पाण्डु नदी का पानी बहने के बजाय वापस नगर में आ गया तथा कुछ नालों का पानी भी वापस आ गया जिस कारण अधिकांश भाग कानपुर का समस्याग्रस्त रहा है। इस समस्या को यहां पर संज्ञान में लाने से पहले ही सरकार ने दो निर्देश जारी कर दिये हैं। पहला, युद्ध स्तरपर नालों की सफाई की जाय भले ही पानी भरा रहे और दूसरा अगर कहीं पानी निकासी न होने की समस्या हो तो वहां पर पम्पिंग सेट का इंतजाम भी किया जाय। मान्यवर, इसमें माननीय सदस्यों का सहयोग भी अपेक्षित है ताकि समस्या का समाधान हो सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पर्यवेक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

अभी माननीय विनोद मणि जी ने जो बात कही थी । उसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी ने शायद कोई उल्लेख नहीं किया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बिल्कुल एक बात नहीं आई है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर जो सूचना माननीय दीपक कुमार माननीय मुस्ताक सोलंकी, माननीय विनोद मणि, भगवती प्रसाद, माननीय (कई सदस्य सदन के वेल में आ गये और कानपुर की मेयर को हटाये जाने के लिये कहने लगे ।)

कृपया अपने स्थान पर चले जायं । जो कुछ भी कहना है । अपने स्थान पर जाकर कहें ।

(जन विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारियों की यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी के नारे लगाये गये)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने स्थान पर चले जायं । माननीय मंत्री जी को हम जवाब देने के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं, जो जवाब उन्हें देना होगा देंगे)

श्री मुस्ताक सोलंकी–

मान्यवर, लाखों रुपया बिजली का बिल दिया जा रहा है और 14 दिन से बिजली नहीं है ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब कई सूचनाओं को एक साथ नत्थी कर लिया जाता है और उसमें एक साथ सुन लिया जाता है तो संसदीय कार्य मंत्री जी जो बात अभी आदरणीय विनोद मणि ने कही है कि यह सरकार गूंगी बहरी है, मान्यवर, यह सरकार इतनी सम्वेदनशील हो गई है कि इतने गंभीर समस्या पर सरकार का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहते हैं तो इस सूचना पर माननीय सदस्य को सुनने का क्या औचित्य रह जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

चूंकि मेरे सामने जिस प्रकार समस्याओं का उल्लेख किया गया कानपुर महानगर, उन्नाव और वहां पर जन जीवन अस्त-व्यस्त है । इसके साथ-साथ राप्ती नदी की बाढ़ की समस्या का उल्लेख किया था । जब बाढ़ आती है । एकदम पानी आता है उस नदी में ।

और आहिस्ता-आहिस्ता निकल जाता है । इस समय वहां बाढ़ की समस्या नहीं है । आप जानकारी करा लीजियेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर श्री दीपक कुमार, श्री मुस्ताक सोलंकी, श्री विनोद मणि, श्री भगवती प्रसाद व श्री राजाराम पाल को सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नियम 56 के लिए ग्राह्यता के मानक में यह सूचना नहीं आती है । इसलिए इसको अग्राह्य करते हैं । लेकिन सरकार इसकी गंभीरता को देखते हुए कानपुर महानगर, उन्नाव और पूर्वांचल में जो समस्या उत्पन्न हुई है उसमें विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करे ।

(व्यवधान)

एक सदस्य (सत्तापक्ष)–

अगर वर्षा नहीं होगी तो यह कहेंगे कि सूखा पड़ गया अब कह रहे हैं वर्षा ज्यादा हो रही । वर्षा से तो किसान खुश हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जहां तक पूर्वांचल का विषय है, उन्नाव या कानपुर महानगर का विषय है । शासन को निर्देश दे दिए गये हैं । जल भराव और अतिवृष्टि से जो संकट उत्पन्न हुआ है । उसमें सरकार कार्यवाही करे । आपने शायद सुना नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपने कहा आपकी बात नहीं सुनी । मान्यवर, यह बहुत विचलित है । इनके यहां बाढ़ आई है । यह जो बात कह रहे हैं, आप उसमें एक मिनट बुलवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह पूरी बात कह चुके हैं आप शायद लावी में रहे होंगे ।

(व्यवधान)

राज्य मंत्री युवा कल्याण (श्री अमरमणि)–

मान्यवर, विनोद मणि जी चिन्तित हैं पूर्वांचल में बाढ़ की समस्या को लेकर चिन्तित हैं, विनोद मणि जी जानते हैं नैपाल के बार्डर से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है जिस विषय पर चर्चा की गई है कि राप्ती नदी में बाढ़ आ गई है तो मैं कहना चाहूंगा कि वहां तीन दिन वर्षा हो रही थी । जिसकी वजह से पानी भर गया है लेकिन विकराल समस्या नहीं है । जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए गये हैं कि नाव की व्यवस्था की जाय, जो गांव चारों तरफ से घिर गये हैं उसमें कैसे व्यवस्था की जाए इसके लिए कह दिया गया है दो-चार गांव हैं, जो घिर गये हैं । वहां की जो समस्या है इसलिए भी है कि नैपाल में जैसे ही वर्षा होती है । एकाएक पानी हमारे क्षेत्र में आ जाता है ।

श्री विनोद मणि–

मंत्री जी गलत कह रहे हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अमर मणि–

मान्यवर, जो गांव बाढ़ में डूब गये हैं । हमने उनके बारे में पूरी व्यवस्था कर दी है । माननीय सदस्य बिल्कुल चिन्तित न हों । यह सरकार पूरी तरह से सजग है और सतर्क है ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, माननीय फतेह बहादुर जी, माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी और हमारे क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गये हैं और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि दो एक गांव डूब गये होंगे तो उनके बारे में व्यवस्था करा दी है । मान्यवर, पेपर में छपा है कि 650 गांव जलमग्न हो चुके हैं ...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आप बैठ जायं । अखबार की बात का यहां पर संज्ञान नहीं लिया जाता है । आपकी बात आ गयी है । यह दुराग्रही आचरण ठीक नहीं है ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैं इनसे यह कह रहा हूं कि यह हमारे साथ चलें और जो गांव यह देखना चाहें देख लें । आप जिस गांव में कहेंगे जितनी सुविधा दिलायी जाय, उतनी सुविधा हम दिला देंगे ।

(व्यवधान)

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, जिन गांवों में बाढ़ आयी थी हमने राहत मांगी लेकिन राहत के नाम पर हमको क्या मिला । वह हम लोगों को क्या दे रहे हैं । हमारे क्षेत्र के और भी भाई हैं वह चुप बैठे हैं यह सदन में गलतबयानी कर रहे हैं । सदन को गुमराह कर रहे हैं इसलिए हम इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री विनोद मणि अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, पूरा कानपुर इनकी भ्रष्टाचार नियत से जल मग्न हो चुका है आप इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्यों श्री भगवती प्रसाद एवं श्री राजाराम पाल एवं अन्य सदस्यों ने यह बताया कि वहां की मेयर की लापरवाही से यह हुआ है और न तो सरकार का इस तरफ कोई ध्यान है और नहीं आपकी पीठ से निर्देश आया है कि इसमें अंकुश लगायें । मान्यवर, आज हजारों मकान उजड़ गये हैं, करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गयी है, कितने ही गांव जल मग्न हो चुके हैं और वहां पर बिजली खत्म हो चुकी है तो इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्वयं सुन रहे थे मैंने बहुत से माननीय सदस्यगणों को इसमें सुना और जो तथ्य थे वह सामने आये । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी अपनी बात कही । उसके बाद से पीठ से निर्देश हुआ कि जल भराव के कारण जो कठिनाई हो रही है । उसके विषय में राहत देने के लिए सरकार प्रभावी कार्यवाही करे और सरकार करेगी । अब मैं अगली सूचना जो कि श्री श्रीराम पाल जी की है, को ले रहा हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों पर माननीय नेताओं की सहमति से ढाई बजे तक समय नियत हुआ था ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आज जो कार्य-स्थगन के प्रस्ताव लाये गये हैं उसमें अनुरोध है कि कृपया उन्हें ले लीजिए हम सभी सदस्य सहयोग करके प्रयास करेंगे कि समय सीमा में वह समाप्त हो जाए । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी अनुरोध है कि कृपया वे अपनी सहमति दे दें औपचारिक प्रस्ताव कोई करना चाहे तो वे कृपया ले आयें ।

वैसे मान्यवर, यह आपका विवेक है आप कार्य-स्थगन प्रस्तावों को सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है। अगली सूचना श्री श्रीराम पाल जी की है।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, अपनी सूचना पर बोलने से पहले एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहूंगा। मान्यवर, बाढ़ के संबंध में अभी माननीय अपनी बात रख रहे थे माननीय मंत्री अमर मणि त्रिपाठी जी ने कहा कि सभी सुविधाएं दी जायेगी मान्यवर, जैसे संसद में हुआ है, माननीय जेठमलानी जी ने एक बात कही माननीय अटल जी ने कहा कि यह उनकी निजी राय है तो या तो संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दें या यह कहा जाय कि मंत्री जी ने जो कहा वह सरकार की राय है।

श्री अधिष्ठाता–

वह सरकार की ओर से मंत्री के रूप में उन्होंने कहा।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय पाल जी ने जो कहा, केन्द्रीय मंत्री माननीय जेठमलानी जी ने संसद में नहीं कहा था, यहां जो बात कही गयी है। वह सदन में कही गई है, दोनों बातों में अन्तर है। सदन में सरकार की तरफ से बात कही गयी है।

श्री अमर मणि–

बसपा जो कहती है। वह करती नहीं है। हम लोग जो कहते हैं। वह करते हैं।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

बसपा के बल पर ही आप चुनाव जीत कर आये हैं और आज यह पाल बदल कर उधर चले गये हैं।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जनपद जालौन में पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाये जाने की भीषण समस्या पैदा हो गयी है। जो पेट्रोल टैंक के मालिक हैं। उनको थोक मिट्टी का तेल का लाइसेन्स दिया गया है और वह पेट्रोल में धड़ल्ले से मिट्टी का तेल मिला रहे हैं। अभी इसी जून में एक टैंकर उरई कोतवाली से 10 गज की दूरी पर एक पेट्रोल टैंक के मालिक को मिट्टी के तेल को उस टैंक में डालते हुए पुलिस ने पकड़ा 3/7 में मुकदमा कायम हुआ। उसके बाद मालिक को पकड़कर कोतवाली पहुंचाया उसके बाद पुलिस की मिलीभगत से मालिक को छोड़कर उसके ड्राइवर को पकड़ा गया उससे कहा गया कि तुम्हारी जमानत करवा लेंगे। उसके बाद वहां का ड्राइवर भी छोड़ दिया गया और वहां के क्षेत्राधिकारी ने रुपये लेकर केस को इक्सपंज कर दिया।

मान्यवर, पूरे जिले में मिट्टी के तेल में तमाम केमिकल मिलाकर पेट्रोल बनाने का काम हो रहा है और मिलावट हो रही है जिससे तमाम वाहन खराब हो रहे हैं। तो मेरा कहना है कि यह जो पेट्रोल टैंक के मालिक हैं। यह डीजल और मिट्टी के तेल के डीलर न हो, उसके विक्रेता न हों। मान्यवर, आज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गरीबों को मिट्टी का तेल 20 रुपये लीटर में मुश्किल से मिल पा रहा है क्योंकि यह पेट्रोल में मिलाया जा रहा है । मान्यवर, यह लोकमहत्व का विषय है । इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस पर जानकारी प्राप्त किया है । 2 पेट्रोल पम्प मालिक की चेकिंग की गयी, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है । इसमें और जानकारी प्राप्त की जा रही है, जानकारी प्राप्त होने के बारे में जो कार्यवाही होगी वह की जायेगी ।

* श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, मुरादाबाद जिले के सम्भल लोकसभा क्षेत्र में लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है । 6 तारीख को राम निवास यादव की हुई उससे पहले लाला राम, प्रधानाचार्य की हत्या हुई और कल शाम को 6 बजे वीरेन्द्र सिंह, प्रधान की सरे आम हत्या कर दी गयी और यह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय शिवपाल जी बहुत ही संवदेनशील विषय पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं । उधर से एक परम्परा बन गई है कि कुछ मंत्री लोग बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं । आप कृपा पूर्वक उन्हें निर्देशित करें, लगता है मंत्री जी के विभाग का आज बजट है, उसी का नशा अभी से चढ़ गया है ।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, मेरा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है । समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्यायें की जा रही हैं और जांच सी० आई० डी० को दे दी जाती है । मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं । मुख्यमंत्री से विधायकों को, मंत्रियों को मिलने में हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन अपराधी चाहते हैं । तो तुरन्त मिल लेते हैं । सात तारीख को यह हत्या हुई और आठ तारीख को सी० आई० डी० जांच के आदेश हो जाते हैं और हत्यारों को सुरक्षा गार्ड भी मिल जाता है, जबकि मृतक के परिवार वालों को आर्म्स का लाइसेन्स भी नहीं मिलता ।

यह हत्यायें इसलिये वहां बढ़ रही हैं क्योंकि वह माननीय मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र है, इसलिये हत्यायें की जा रही हैं ताकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं का मनोबल टूटे । संभल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्यायें हो रही हैं, यह लोकतंत्र में एक कलंक है, इसलिए मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय तथा जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनका पर्दाफाश किया जाय, यह मेरी मांग है, इसी के साथ इस लोक महत्व के सवाल पर सारे कार्य रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय शिवपाल जी ने जिस प्रकरण का जिक्र किया है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पदारूढ़ हुई है, उसी दिन से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्यायें हो रही हैं और यह संख्या 250 से ऊपर पहुंच गई है, लगभग 280 कार्यकर्ताओं की हत्यायें हो चुकी हैं । संभल से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को यह लोग लोकतांत्रिक तरीके से रोक नहीं पाये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो अब अपराधियों को सामने करके, दायें-बायें करके प्रोत्साहित करके वहां खूनी खेल खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है ।

मान्यवर, वहां पर कार्यकार्ताओं को वंचित करने का काम किया जा रहा है । जब लालाराम की हत्या हुई तो उसका कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । गुन्नार के ब्लाक प्रमुख की हत्या कर दी गयी । इसी तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों की हत्यायें की जा रही हैं । अगर एक हत्या होती, तो उसको लेकर हम नियम 56 में न आते । ग्राम प्रधान वीरेन्द्र सिंह की हत्या की गयी, वह समाजवादी पार्टी के नेता थे और आदमपुर बस अड्डे पर गोली मार उनकी हत्या कर दी गयी । इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों का जिस प्रकार से मनोबल तोड़ा जा रहा है । उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक विद्वेश की भावना पैदा हो गयी है ।

वहां पर विशेष तौर से एक अभियान चला रखा है कि जिसने मुलायम सिंह यादव के साथ काम किया है उनकी हत्यायें की जा रही हैं असली हत्यारों को सामने लाया जाये और इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच करायी जाय । वीरेन्द्र सिंह की हत्या हुई है इसलिए उसके परिवार वालों को पांच लाख रुपया मुआवजा दिया जाय और इस सदन की एक समिति वहां जाकर देखकर आये और देखें कि इसमें सरकार का क्या हाथ है ? ...

मान्यवर, इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

जिन मा० सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । उनको बुला लिया है । आपकी पूरी बात आ गयी है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

अगर आप बोलने की इजाजत नहीं देगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आपके तो हस्ताक्षर नहीं हैं । यह सामान्य चर्चा नहीं है । मैं केवल ग्राह्यता पर सुन रहा हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

बजट को ही स्थगित करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर सहमति हो तो इसको तीन बजे के स्थान पर 3.15 तक कर दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

हत्यायें हो रही है और अगर बजट स्थगित कराना चाहते हैं, तो स्वागत है ।

श्री हुकुम सिंह–

एक चीज तय हो गयी है और निर्णय हो गया है और उसे सदन में अनुमोदित किया है दो-चार आदमियों का निर्णय नहीं था आपने उदारतापूर्वक समय दिया है.....

इस पक्ष को भी किसी विषय पर बोलने का अवसर मिलेगा कि नहीं । मैं किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं । लेकिन मेरा आग्रह है कि इस बात पर चिंतन करें । अभी अम्बिका चौधरी जी जो उप नेता है, उन्होंने कहा कि शिवपाल जी बात रखेंगे और उन्होंने पूरी बात रख दी । उसके बाद फिर यह बोलने लग जाते हैं कि यह जो आपकी पुरानी स्टाइल है इसे आप चेन्ज करे, अब आप बाबू राम जी को बोलने के लिए कह रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो बात कहीं उस पर टिप्पणी की कहीं कोई बात नहीं है। सर्वसम्मति से एक बात तय की है। उसका पालन होना चाहिए। अब केवल बाबू राम जी ही बोलेंगे।

श्री बाबू राम यादव–

अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री को इस समय बहुत चिंता है जो निर्णय सदन में किया है उसको माननीय संसदीय कार्यमंत्री पाबन्द है। हम उनसे ज्यादा पाबंद हैं लेकिन इस सरकार का ध्येय है कि लोक अमन चैन की जिंदगी जिये अगर यह खड़े होकर यह घोषणा कर दे कि समाजवादी पार्टी के लोगों की सुरक्षा कीं जिम्मेदारी यह लेते हैं और उससे यह हटेंगे नहीं और उसका पूरी तरह निर्वहन यह करेंगे तो हम किसी भी प्रस्ताव पर उनके अनुसार ही चर्चा भी उठायेंगे।

लेकिन मा० संसदीय कार्य-मंत्री कहते कुछ है और उनके करने की पद्धति कुछ और है। संभल में तीन हत्यायें हो चुकी हैं यह वीरेन्द्र सिंह की हत्या जो प्रधान थे मगरेटी के यह बस पर बैठकर अपने घर जाना चाहते थे स्थानीय लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के मकान से बदमाश निकले और उनको गोलियों से भून दिया बस स्टैण्ड के पास उन नेता जी का मकान है तो इस तरह से हत्यायें होती हैं और हत्यारे स्वतंत्र घूमते हैं। यह सिलसिला लगा हुआ है। एक क्रम में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हत्यारों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करती है। उनको बचाने की उनकी जो मानसिकता है उसके विरोध में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी सरकारें आई उनका पता नहीं लगा कहां गयी ? मा० संसदीय कार्यमंत्री जी अगर किसी को आप जिंदगी दे नहीं सकते तो आपको जिंदगी लेने का अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि आपने जिंदगी ले ली, और सरकार उनको सह दे रही है। क्योंकि हत्यायें हो रही है और हत्यारे निडर घूम रहे हैं। जैसा मा० शिवपाल जी ने बताया कि आज हत्या हुई और कल को उसे सी० आई० डी० को भेज देते हैं। तो हत्यारे कहते हैं कि मैंने हत्या की, तो क्या कार्यवाही की ? हत्यारों को सुरक्षा दी जा रही है और जिनकी हत्यायें हो रही उनके परिवार वालों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब पूरी बात आ गयी। जो वस्तुस्थिति है, उसे आप जैसे वरिष्ठ सदस्य जानते हैं।

श्री बाबू राम यादव–

मेरा एक ही आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, संसदीय कार्य मंत्री अप्रत्यक्ष रूप से जो हत्यायें हो रही हैं उसमें लगातार सह दे रहे हैं। तीन हत्यायें हुई, एक ही पार्टी के लोगों की हुई, और एक ही पार्टी के लोगों ने हत्यायें की। मैं मा० संसदीय कार्यमंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि इस हत्या में जो अपराधी है वह तुरन्त गिरफ्तार किये जायेंगे और सरकार किसी भी कीमत पर उनको सी० आई० डी० में नहीं देगी।

दूसरी बात वीरेन्द्र सिंह यादव की जो हत्या की गयी तो हत्यारे भाजपा के घर से निकलकर मारने गये थे उसकी पूरी तरह से जांच की जाय और जांच करने के बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी का अगर हत्यारा है, तो उस के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाय। अगर कार्यवाही नहीं होगी और निश्चित रूप से जब हमारे लोग दिन प्रतिदिन मारे जायेंगे, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम क्या विकल्प चुनें ? हम गांधीवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं हम चाहते हैं कि किसी की जान जोखिम में डालें अमन चैन रहे। लेकिन हमारे लोग एक-एक करके मारे जायेंगे तो हमारी पार्टी को सोचना पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर गम्भीरतता से सोचें और हमें और हमारे दल को

आश्वस्त करें कि भविष्य में इस तरह की हत्या होती है तो हत्यारे के हाथ तोड़ दिये जायेंगे । अगर आप यह आश्वासन नहीं देते हैं तो हम मानेंगे कि सरकार कत्ल की साजिश में शामिल है ।

* श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, यह घटना शाम साढ़े 6 बजे की है । वीरेन्द्र सिंह यादव प्राइवेट बस स्टैंड से घर जा रहा था । बस स्टैंड के बराबर में भाजपा के नेता का मकान है । वहां बदमाश बैठे थे । दो बदमाश आये और हाथापायी हुयी और गोली चली जिसमें बदमाश की गोली से वीरेन्द्र यादव मारे गये और वीरेन्द्र की गोली से एक बदमाश मारा गया । अब यह हो रहा है कि भाजपा के लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वीरेन्द्र यादव के परिवार के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिख जाय, जो फैक्टस थे मैंने बता दिये, रिपोर्ट लिखाकर वीरेन्द्र यादव के परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह मोरोपट्टी गांव का मामला है । वहां वीरेन्द्र सिंह यादव और लखपत राम दोनों के परिवारों में रंजिश थी एक चोरी के मामले को लेकर । 8 साल पहले लखपतराम के यहां चोरी हुयी थी । एक प्रकरण का जिक्र मैं सदन में नहीं करना चाहता हूं । दोनों परिवारों में रंजिश बढ़ गयी और यहां तक नौबत आयी कि 9 तारीख को सवा 7 बजे शाम को वीरेन्द्र जी 6 साथियों के साथ बस स्टैंड पर आये और दूसरे लखपत राम 5 आदमियों के साथ वहां आ गये । दोनों व्यक्ति या दोनों गिरोह आमने सामने आ गये । वीरेन्द्र सिंह और लखपत राम दोनों यादव हैं । दोनों में गोलियां चलीं पुलिस की जैसी रिपोर्ट है । पहली गोली वीरेन्द्र सिंह की चली और लखपत राम के लगी जिससे थाने पर उनकी मृत्यु हो गयी । लखपत की गोली से वीरेन्द्र सिंह प्रधान की मौके पर मृत्यु हो गयी । यह गांव के दो परिवारों का झगड़ा था यह दोनों के दोनों पड़ोसी हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं । इसमें आप एक को सपा को बता देंगे दूसरे को भाजपा का नाम दे देंगे । जहां तक मैंने जानकारी की है लखपत राम पिछली लोक सभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा था । इस प्रकार दोनों ही समाजवादी पार्टी के आदमी हैं दोनों की तरफ से मुकदमें कायम हो चुके हैं ।....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मारने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर से आयें और उन्होंने हत्या की । श्री वीरेन्द्र सिंह समाजवादी पार्टी के एक स्थायी नेता थे । सरकार आज नियोजित तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करा रही है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री बड़े संवेदनहीनता से इसको ले रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने इनकी बात सुनी लेकिन यह मेरी बात नहीं सुनना चाहे हैं । यह मुझे संवेदनहीन कहने की बात कर रहे हैं । लेकिन इन्होंने इस बात की जिक्र नहीं किया कि दो हत्यायें हुई और दूसरा आदमी भी मरा है इन्होंने केवल वीरेन्द्र सिंह का ही नाम लिया इसलिए यह संवेदनहीन है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरे दल के विधायक ने ही पहले यह जानकारी दी है कि दूसरे व्यक्ति की हत्या हुई है । संसदीय कार्य मंत्री जी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या जारी रखना चाहते हैं उसके विरोध में मैं अपने पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री अम्बिका चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता-

श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री बाबू राम यादव एवं श्री जोखू लाल यादव माननीय सदस्य गण और संसदीय कार्य-मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना ग्राह्यता के लिए अपेक्षित मानकों में नहीं आती है इसलिए इस सूचना को आग्राह्य किया जाता है ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

* श्री सरवर अली खां–

मान्यवर, मेरी एक सूचना है उसको एक मिनट में सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप तो बहिर्गमन कर गये थे ।

श्री सरवर अली खां–

मान्यवर, मैं अपनी सूचना के लिए रुका रहा, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ।

(समय 3 बजकर 25 मिनट)

(व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने भी नियम 56 में सूचना दी थी । मुझे भी एक मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप जानते हैं कि जो सूचनाएं शलाका में आती हैं उन्हीं को सुना जाता है । यही परम्परा है । माननीय अध्यक्ष ने फरीद महफूज किदवई को सुनने के लिए कहा है । इनकी सूचना सांतवे नम्बर की है ।

श्री सरवर अली खां–

मान्यवर, मुझे भी एक मिनट सुन लें । एक हत्या का मामला है । यह बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री अधिष्ठाता–

सातवीं सूचना पर श्री आर० के० चौधरी, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के हस्ताक्षर हैं । श्री अध्यक्ष ने फरीद साहब को सुनने के लिए कहा है ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, मेरी जगह श्री आर० के० चौधरी जी को सुन लिया जाए ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जिस सूचना पर श्री चौधरी साहब को आप सुन रहे हैं वही सूचना श्री सरवर अली खां की है । एक ही विषय है इसलिए एक मिनट इनको भी सुन लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर एक ही विषय है तो हम एक मिनट श्री सरवर अली जी को भी सुन लेंगे किसको कपलिंग कर लेते हैं ?

* श्री आर० के० चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाराबंकी और लखनऊ जनपद को मिलाकर आठ हत्याएं हुई। और पुलिस ने किया है । यह हत्याएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश में हुई हैं । सत्र के दौरान जो भी विषय सामने आए हैं नियम 56 के जरिए यह विषय उन सबसे महत्वपूर्ण है ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, यह कब तक चलेगा ?

श्री आर० के० चौधरी–

बाराबंकी शहर में यह घटना हुई । जहां यह घटना हुई वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है 6 जुलाई को रात के दो बजे 50 की तादाद में पुलिस वाले.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो अन्डरस्टैन्डिंग हुई थी उसके अनुसार उन्हें बोलने का अवसर दिया गया माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में जो निर्णय होते हैं उसका उल्लेख करना यहां आवश्यक नहीं है । विशेष परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के एक आदमी को बुलाया तो विशेष परिस्थितियों में बी० एस० पी० को भी बुलाया गया यदि बी० एस० पी० को नहीं कह देते तो क्या परिस्थिति बनती ?

श्री आर० के० चौधरी–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि 6 जुलाई की रात के दो बजे पुलिस वाले इशरत अली के घर में घुस गये और उसे पकड़ कर ले गये घर वालों ने तथा मोहल्ले के सभी लोगों ने एतराज किया परन्तु मान्यवर, उसे ले जाकर डालडा फैक्टरी के पास, जो बाराबंकी लखनऊ रोड पर स्थित है के पास गोलियों से भूंन डाला । घर वालों ने जब उसकी लाश मांगी तो उसे नहीं दिया गया बल्कि पी० ए० सी०/पुलिस के सामने ही गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया गया । जबकि मुस्लिम कल्चर के हिसाब से लाश को नहलाया जाता है फिर जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है । आज मान्यवर, इशरत अली की पत्नी एवं उसके पांच बच्चे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसी प्रकार लखनऊ में मोहम्मद सईद को पकड़कर पुलिस ले गई और उसे इनकाउन्टर दिखा दिया गया, इसी प्रकार मुकेश कोरी का इनकाउन्टर कर दिया गया था, 23 जून को बाबू पाल का इनकाउन्टर कर दिया गया था, सुन्दर पासी का इनकाउन्टर कर दिया गया, अर्जुन बहेलिया को दिन दहाड़े पुलिस पकड़कर ले गई और उसकी हत्या कर दी । मान्यवर, बी० जे० पी० के शासन काल में पिछड़ों दलितों और मुस्लिम जाति के जवान युवकों को छांट-छांट कर मारा जा रहा है अभी तक 100 से ज्यादा नौजवान मारे जा चुके हैं । मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम एक दो घटनाएं ले लें एक बाराबंकी में इशरत अली और दूसरी लखनऊ में बाबू पासी की । सदन के सदस्यों की एक समिति बनवा दें जो इस सम्बन्ध में जांच करे । मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही रोककर दो घंटे की चर्चा करवा लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, बाराबंकी का जो मामला है यह मेरे गृह जनपद का है। 5/6 तारीख की बात है रात के 2 बजे का मामला है। मैं इसलिये स्पष्ट कहूंगा कि सबसे ज्यादा सम्वेदनशील है। दो बजे रात को पुलिस इशरत की ससुराल पहुंच कर उसको ले गये पीरबटावन बाराबंकी का ऐसा मोहल्ला है जैसे लखनऊ का चौक। जहां पर 2500–3000 मुस्लिम आबादी है। पुलिस इन्स्पेक्टर शुक्ला और तिवारी जो उस एरिया की चौकी का इन्चार्ज है 35 पुलिस कर्मियों को लेकर 2 बजे रात में इशरत अली की ससुराल पहुंचते हैं और वहां से उसको ले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि उसको इतना मारा कि वह कोतवाली में मर गया और उसका इन्काउन्टर दिखाया गया।

मान्यवर, यह व्यक्ति मुसलमान है। मुसलमानों के यहां जब मौत होती है तो उसकी डेड बाडी को नहलाया जाता है, कफन पहनाते हैं और उसके बाद नमाज–ए–जनाज़ा होता है। उसका पोस्टमार्टम किया गया और काफी खुशामद वहां पर लोगों ने की लेकिन उन्होंने उसकी बाडी नहीं दी इन्स्पेक्टर ने अपने पुलिस कर्मचारियों के जरिये एक कब्रिस्तान में ले जाकर एक गड्ढे में गाड़ दिया। सबसे बड़े क्राइम की सजा 302 होती है फांसी के बाद लाश संबंधियों को दे दी जाती है और वह अपने धर्म के मुताबिक उसका दाह-संस्कार करते हैं। मेरा कहना है कि जो कुछ हुआ यह अपराध है दूसरा यह है कि यह मुसलमान था उसकी लाश को इस तरह गाड़ दिया गया। अब सवाल यह है कि मैं आपसे कहूंगा और आप माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर देंगे लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं सदन से मांग करता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना लें उसमें इस पक्ष के और उस पक्ष के लोगों को शामिल किया जाय किधर के कम हों किधर के ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं है। जैसा चौधरी साहब ने बताया एक लखनऊ का और एक यह बाराबंकी का केस ले लें यह लोग जाकर देख लें और स्टडी कर लें फिर इस सदन में रिपोर्ट दे दें या फिर न्यायाधीश जांच के आदेश दे दें। दूसरा जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लगना चाहिए। रोज-रोज घटनाएं हो रही हैं कभी मुस्लिम, कभी दलित, कभी पिछड़े वर्ग के नौजवान मारे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह किसी सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे अभी इसकी घोषणा करें अगर समिति गठित करते हैं तो उसकी और नहीं तो न्यायिक जांच करा दें। मान्यवर, मैं संसदीय परम्पराओं को पूरी तरह से मानता हूं। मैं वैल में नहीं आता हूं। मेरा पैर टूटा हुआ है जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे चाहे 10 बजे तक सदन चले मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। मैं वैल में नहीं आऊंगा।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात को सदन ने बहुत गम्भीरता से लिया है।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मैंने यह नहीं कहा कि बी०जे०पी० के लोग करा रहे हैं। मैं मांग कर रहा हूं कि जैसा चौधरी साहब ने भी कहा कि एक समिति बना लें जो लखनऊ और बाराबंकी के इन केसेज की स्टडी कर ले अगर सही है तो सही है तो जो पुलिस कर्मचारी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

सरवर अली जी को सुनने के बाद बात आयेगी।

(व्यवधान)

श्री सरवर अली खां–

मान्यवर, आपने मुझे इस जबरदस्त कुठाराघात और मानवाधिकार के हनन पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में विशेष तरीके से एक धर्म और एक जाति के लोगों की हत्या का सिलसिला चल रहा है। मान्यवर, मेरे जनपद में 5/6 तारीख की रात 2 बजे बाराबंकी कोतवाली की अगुवाई में शब्बीर के मकान के ऊपर सीढ़ी लगाकर घर में उतरकर, सदर दरवाजा खोलकर, अन्दर जाकर इशरत अली को मारते पीटते घसीटते हुए ले गये। और फैजाबाद रोड पर रेलवे क्रासिंग के पास उसको गोली मारकर इन्काउन्टर कर दिया। उसका जो स्कूटर खड़ा था उसको भी लदवा कर ले गये। इस तरह उस मासूम की हत्या कर दी गयी। मैं यह नहीं कहता कि वह बिल्कुल बेगुनाह होगा। हो सकता है कि उसके बारे में कोई आरोप हो।

लेकिन मान्यवर, मानवाधिकार और संविधान के तहत जिसके तहत यह सदन चल रहा है उसने इस बात की इजाजत नहीं दी है कि किसी आदमी की हत्या के बाद उसका धार्मिक संस्कार न किया जाय। हजारों लोग तमाशा देखते रहे और उसका इनकाउन्टर करदिया गया। यह ऐसी पारदर्शी सरकार है। मान्यवर, मैं मा० मंत्री जी को एक शेर अर्ज करना चाहता हूं :

"तुम्हारे जब्र और हमारे सब्र की जंग जारी है
हमारा मुस्तकबिल बतायेगा कि पलड़ा किसका भारी है।"

संसदीय कार्य-मंत्री जी और अधिष्ठाता जी, यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक चला तो समाजवादी पार्टी के लोग ही नहीं, इस प्रदेश के अमन पसंद लोग सड़कों पर उतर आयेंगे। इन हत्याओं के सिलसिले को बंद करायें। पुलिस को इसमें शामिल करने का जो नापाक सिलसिला है मैं आगाह करना चाहता हूं अगर सुरक्षाकर्मियों को इसमें शामिल किया गया तो प्रदेश की तस्वीर बहुत बिगड़ जायेगी। उसका आप तसवबुर भी नहीं कर सकते हैं। इस जघन्य अपराध के लिए उस कोतवाल को 302 का मुजरिम समझकर धारा 302 में मुकदमा कायम किया जाय। इशरत अली अपने 5 मासूम बच्चों को छोड़ गया है जिनकी 10 साल से कम की उम्र है। उनको पांच लाख का मुआवजा दिया जाय। इसमें सी० आई० डी० की जांच करायी जाय। मान्यवर, इसी प्रकार की घटना पिछली 15 तारीख को इलाहाबाद, प्रतापगढ़ के बार्डर पर हुई। एक बेगुनाह इन्सान की कनपटी पर गोली मारकर उसे मार दिया गया। यह इसी प्रकार की घटना है। इसमें शासन को निर्देशित करें इस मामले में कार्यवाही की जाय। अन्यथा बाराबंकी जनपद में इस बात से स्थिति गम्भीर हो सकती है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं कोई शायर तो नहीं हूं लेकिन जो शेर फरमाया हकीकत है वह आपके सामने हैं। हाल यह बता रहे हैं कि इधर भारी है और मुस्तकबिल यह बतायेगा कि पलड़ा और भारी है। जहां तक घटना की बात है, मैं फरीद भाई के शालीन व्यक्तित्व को जानता हूं, वे काफी शालीन है, आज आवेश में आ गये हैं। मान्यवर, जिस घटना का उल्लेख किया गया, मान्यवर, मैं इसकी गम्भीरता को यह कहकर काम नहीं करना चाहता हूं कि मैंने लिस्ट मंगायी जितने भी नाम लिये गये और जानकारी में आया कि इनके विरुद्ध किसी के खिलाफ 8 किसी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। महानगर थाने में भी दर्ज हैं। मान्यवर, जो आरोप लगाये गये हैं हम उस सारे प्रकरण की मैजिस्ट्रीयल जांच करायेंगे....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पहले पूरी बात आ जाने दीजिये।

श्री हुकुम सिंह–

यह कह देना कि माननीय सदस्यगण की एक कमेटी बना दें जो इस बात की जांच कर लें तो यह कोई व्यवहारिक नहीं लगता है ? हम इस घटना को गम्भीरता से ले रहे हैं और इसकी मैजिस्ट्रीयल जांच करायेंगे और जो दोषी होगी उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

(विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे कि फर्जी मुठभेड़ों की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी–पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपने-अपने स्थानों पर जायें । आपने अपनी बात गम्भीरता से रख दी है और सरकार का पक्ष भी आ गया है । माननीय मौर्या जी आपके आग्रह पर हमने माननीय सदस्यों को सुन लिया था अब आप अपने सदस्यों को अपने स्थान पर ले जायें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, प्रत्येक मामले में मैजिस्ट्रीयल जांच रूटीन है । यह हर मामले में लीपा पोती करते हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, वे लाशें नहीं जलाई गयी हैं सबसे पहले जो उनके धार्मिक रीति-रिवाज हैं वह पूरे कराये जायें ।

(सदन के फ्लोर पर आये सदस्य नारे लगाते रहे ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपने आसन पर वापस जायें और जो भी इसमें कहना है अपने आसन से कहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, उन लाशों को धार्मिक रीति-रिवाजों से दफन नहीं किया गया है उनकी वह क्रिया पूरी हो इतनी मांग पर भी तैयार नहीं है तो फिर क्या कहा जाए ?

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

मैं सदन को 4 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय श्री अधिष्ठाता ने 3 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 4 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 4 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया । 4 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 4 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री सरवर अली खां–

बाराबंकी का बहुत ही गम्भीर मामला रह गया है...

(समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में आ गये और रिपोर्टर्स टेबिल पर खड़े होकर नारे लगाने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

आपने अपनी बात कह दी है, अब अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

दल के नेताओं से–समाजवादी पार्टी के नेता और बसपा के नेताओं से अनुरोध है कि वे माननीय सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर जाने के लिये कहें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को पांच बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। यह बहुत गम्भीर घटना है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

(कई मा० सदस्य सदन के वेल में आ गये।)

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम सिंह सैनी की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। श्री सत्य प्रकाश सोनकर तथा श्री भोनूराम सोनकर की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। श्री भोला शंकर मौर्य की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है शेष सूचनाएं जो श्री राम अचल राजभर, श्री चन्द्र नाथ सिंह, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री इन्द्र जीत सरोज, श्री अवधेश प्रसाद, श्री उदयराज यादव, श्री सरवर अली, श्री बाबूराम यादव, श्री कमला प्रसाद रावत, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री राजेन्द्र यादव, श्री कैलाश यादव, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री राम प्यारे सिंह, श्री मुरलीधर, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री राम विशुन आजाद की हैं यह सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कान्टीनेन्टल फ्लोर ग्लास फैक्ट्री बरगढ़ जिला छत्रपति शाहूजी महराज नगर को शीघ्र चालू कराने सम्बन्धी संकल्प का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

श्री दद्दू प्रसाद के अनुरोध पर इसको स्थगित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998

पंजीयन मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री राम औतार शाक्य, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव, आप अपना प्रवर समिति का संशोधन पेश करें।

(संशोधन न पेश किये जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर संशोधन विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 11 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा ।

(2) धारा 2 से 5 ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होंगी जैसा राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा, इस निमित्त नियत करे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 3–क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है; धारा 3–क में उपधारा (1) में–

(क) खण्ड (ख) में शब्द 'चालीस प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''पचास प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द ''छब्बीस प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''पैंतीस प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ग–1) में शब्द ''बीस प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''पच्चीस प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे ;

(घ) खण्ड (घ) में शब्द ''पन्द्रह प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''बीस प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे ;

(ङ) खण्ड (ङ) में शब्द ''आठ प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''दस प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 3–घ का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3– घ में, –

(क) उपधारा (1) में,––

(एक) खण्ड (क) में शब्द ''छब्बीस प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''पैंतीस प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) के उपखण्ड (2) में शब्द ''पन्द्रह प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''बीस प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे ;

(तीन) विद्यमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा ऐसे किसी माल के सम्बन्ध में, विक्रय धन पर करके स्थल का परिष्कार कर सकती है ।''

(ख) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी ।

धारा 3ङ–का निकाला जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 3–ङ निकाल दी जायगी ।

धारा 3–च का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 3–च में, उपधारा (1) में शब्द ''पन्द्रह प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''बीस प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे ।

6—मूल अधिनियम की धारा 4-क में,— धारा 4-क का संशोधन

(क) उपधारा (2-ख) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा और 1 अप्रैल, 1992 को बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :-

"प्रतिबन्ध यह भी है कि असमाप्त अवधि की संगणना करने में ऐसी अवधि को, जिसके दौरान किसी न्यायालय या औद्योगिक एवंवित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण से सम्बन्धित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के कारण उत्तराधिकारी निर्माता का उत्पादन बन्द रहता है, निकाल दिया जायगा।"

(ख) उपधारा (3) में शब्द "किसी की रीति से दुरुपयोग किया गया है" के स्थान पर शब्द "किसी भी रीति से दुरुपयोग किया गया है या ऐसे पात्रता प्रमाण-पत्र को जारी करने में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि है" रख दिये जायेंगे, और 13 सितम्बर, 1985 को रखे गये समझे जायेंगे।

(ग) स्पष्टीकरण (2) में, खण्ड (क) में, -

(एक) शब्द "या उपयोग के लिये अर्जित" निकाल दिये जायेंगे;

(दो) अन्त में सेमीकोलन और शब्द "; या" के स्थान पर कोलन " ; " रख दिया जायगा ; और

(तीन) अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा अर्थात् :-

"प्रतिबन्ध यह है कि यह सिद्ध करने का भार कि ऐसी मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, साधित्र या संघटकों का भारत में किसी अन्य कारखाना या कर्मशाला में उपयोग नहीं किया गया है या इस धारा के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिये उसके मूल्य की स्थिरपूंजी विनिधान में सम्मिलित नहीं किया गया है, नई इकाई पर होगा ; या"

(घ) स्पष्टीकरण (4) में,-

(एक) शब्द "में विनिधान" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "के मूल्य" रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द "न तो प्रयोग में लाये गए हों, न ही उसमें प्रयोग में लाये जाने के लिये अर्जित किये गए हो" के स्थान पर शब्द "प्रयोग में न लाये गये हो" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (क) के उपखण्ड (चार) में शब्द "उस अवधि के लिए" के स्थान पर शब्द "उस अवधि के दौरान" रख दिये जायेंगे ; और

(चार) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा और 1 अप्रैल, 1990 को बढाया गया समझा जायगा, अर्थात् :-

"(घ) यदि किसी इकाई ने, विस्तारीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण या बैकवर्ड इन्ट्रीग्रेशन में से दो या अधिक मद के लिए स्थिर पूंजी विनिधान किया है किन्तु जब प्रत्येक ऐसे मद में किये गये स्थिर पूंजी विनिधान का अभिनिश्चय न किया जा सकता हो तो इका द्वारा यथा प्रस्तुत स्थिर पूंजी विनिधान के अवशिष्ट को स्वीकार किया जायगा।"

(ङ) विद्यमान स्पष्टीकरण (6) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायगा और 1 अप्रैल, 1990 को रखा गया समझा जायगा, अर्थात् :–

" (6) इस धारा के प्रयोजनार्थ "आधारभूत उत्पादन" का तात्पर्य–

(क) अधिष्ठापित वार्षिक उत्पादन क्षमता का अस्सी प्रतिशत ; या

(ख) पूर्ववर्ती पांच क्रमिक कर निर्धारण वर्षों में से किसी एक वर्ष के दौरान प्राप्त अधिकतम उत्पादन या यदि इकाई में उत्पादन पांच वर्ष से कम अवधि का है तो पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्षों में से किसी एक वर्ष के दौरान प्राप्त अधिकतम उत्पादन ;

इनमें से जो भी अधिक हो, से है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली किसी इकाई ने ऐसी सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में विस्तारीकरण या आधुनिकीकरण नहीं किया हो वहां उस इकाई के आधारभूत उत्पादन का अवधारण उन वस्तुओं,जिनके सम्बन्ध में विस्तरीकरण या आधुनिकीकरण किया गया है, के उत्पादन के आधार पर किया जायगा ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां स्थिर पूंजी विनिधान को अवधारित करने के लिये किसी निश्चित अवधि में किये गये विनिधान एक साथ जोड़े जाते हैं वहां विस्तारीकरण या आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में प्रथम बार किये गये स्थिर पूंजी विनिधान के दिनांक के ठीक पूर्व के उत्पादन के आधार पर आधारभूत उत्पादन अवधारित किया जायगा।"

धारा 4–ककक का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 4–ककक में शब्द "विज्ञप्ति द्वारा" के स्थान पर शब्द और अंक "विज्ञप्ति द्वारा ऐसे किसी दिनांक से जो 8 जुलाई, 1996 के पूर्व का न हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 8–ख का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 8–ख में,–

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "इच्छुक निर्माताओं का" के स्थान पर शब्द "कतिपय मामलों में" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) कोई व्यक्ति,जो एक वर्ष में एक लाख रुपए से अधिक मूल्य की बिक्री किए जाने के लिए माल का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश में व्यापार करने का इच्छुक हो, या कोई

व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिदिष्ट करे एक वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक मूल्य की बिक्री किए जाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश में व्यापार स्थापित करने का इच्छुक हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी धारा 8–क के अधीन रजिस्ट्री कराने के लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं है, कर निर्धारक अधिकारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाय, अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है।"

धारा 8–घ का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 8–घ में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराऐं रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(4) उपधारा (1) या उपधारा (2)के अधीन ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति,भुगतान या निर्वहन करते समय उस व्यक्ति को,जिसके बिल या बीजक हो ऐसी कटौती की जाय, एक प्रमाण-पत्र,ऐसे प्रपत्र में ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी निर्धारित की जाय, देगा।

(4–क) संविदाकार या उप-संविदाकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे कालान्तरों पर, ऐसी कालावधि के भीतर,ऐसे प्रपत्र में, ऐसे भुगतान के विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा तथा उन्हें ऐसी रीति से प्रमाणित करेगा, जो निर्धारित किये जाय किन्तु कर निर्धारक अधिकारी स्वविवेकानुसार कारणों को अभिलिखित करके ऐसे व्यक्ति द्वारा विवरण-पत्र प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ा सकता है।"

विज्ञप्ति का संशोधन

10–विज्ञप्ति संख्या व्या०क०-2-1947/ग्यारह–9(7)–97, दिनांक 26 जून, 1997, 1 फरवरी, 1985 से प्रवृत्त हुई समझी जायगी।

11—(1) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व जारी की गई कोई विज्ञप्ति या कृत कोई कार्य या कार्यवाही जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी और सदैव से विधिमान्य औरविधिपूर्णरही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

(2) जहां इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व किसी प्राधिकारी या न्यायालय ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन किसी कर निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहकिया हो या अर्थदण्ड लगाने या किसी अन्य मांग का कोई आदेश किया हो या ऐसे कर निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रह अर्थदण्ड या मांग को (पूर्णतः या अंशतः) परिष्कृत, अपस्त या अभिखण्डित करने का कोई आदेश दिया हो और ऐसा कर निर्धारण या अन्य आदेश इसअधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाय,वहां उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कार्यवाही का कोई पक्ष या व्यापार कर कमिश्नर 31 दिसम्बर, 1998 तक ऐसे प्राधिकारी या न्यायालय को कर निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तदपरान्त ऐसा प्राधिकारी या न्यायालय कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दियेगये आदेश में परिवर्तन या उसका पुनरीक्षण करते हुए आदेश दे सकता है जैसा इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।

(3) यथास्थिति कर निर्धारक, अपील सुनने वाला या पुनरीक्षण प्राधिकारी अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश में इस धारा के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर या मूल अधिनियम की धारा 22 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर,जो भी बाद में समाप्त हो, कोई सुधार कर सकता है, ऐसा सुधार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया गया हो तो उसका निस्तारण ऐसी अवधि के बाहर भी किया जा सकता है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कोई सुधार जिसका प्रभाव कर निर्धारण, अर्थदण्ड या अन्य देयों को बढ़ाना हो, तब तक नहीं किया जायगा,जब तक कि सम्बन्धित प्राधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना सम्बद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 11 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान सं० 01–आबकारी विभाग

* आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 13,57,27,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(शोर)

(विपक्षी सदस्यों द्वारा फ्लोर पर नारे लगाते रहे ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखे ।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 13,57,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 10-7-98 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुयीं :–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	की	मोदी रबर फैक्ट्री मेरठ में प्रबन्धकों की अघोषित तालाबन्दी से श्रमिकों में व्याप्त असन्तोष तथा उनके समक्ष उपस्थित रोटी की भयंकर समस्या के संबंध में सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई,
डा० रामबाबू हरित	की	जनपद आगरा में यमुना नदी से निकलने वाले ताज तथा दयालबाग माइनरों में सिंचाई विभाग द्वारा सफाई कराकर पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,
श्री अफरोज अली खां	की	प्रदेश में नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,
श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया	की	जनपद–गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में भू–माफियाओं द्वारा बिना प्रस्ताव के लेखपालों द्वारा सैकड़ों बीघे भूमि को सीधे खतौनी में इन्द्राज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

श्री राम अचल राजभर तथा श्री राम विशुन आजाद	राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ के टेस्ट डिवीजन (प्रथम) में फाइन मैकेनिक के पद पर कार्यरत श्री सरफराज अहमद फरीदी द्वारा कदाचार कर परिषद् को राजस्व की हानि कराये जाने के संबंध में,
श्रीमती माया प्रसाद	जनपद–खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत सर्वा सेन्टर से श्रीनगर तक के मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में,
श्री नवाब सिंह नागर	जनपद–गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बादलपुर ग्राम में स्वीकृत महिला पालीटेक्निक कालेज की स्थापना के कार्य को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,
श्रीलाल मणि प्रसाद	जनपद–सन्त कबीर नगर की तहसील घनघटा के ग्राम कटवा में ग्राम समाज की भूमि पर वर्षों से काबिज अनुसूचित जाति के लोगो की बेदखली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,
श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद	जनपद–फतेहपुर के थाना ललौली अन्तर्गत वन विभाग व पुलिस की मदद से हरे वृक्षों की कटान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

डा० वकार अहमद शाह	जनपद–बहराइच के विद्यालयों/महाविद्यालयों में उच्च दामों पर विज्ञान सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में,
श्री रामवीर उपाध्याय	जनपद–महामायानगर में हाथरस विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत चन्दपा से अर्जुनपुर होते हुए लुहेटा तक के मार्ग के निर्माण को अधूरा छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,
श्री भोला शंकर मौर्य	जनपद–बदायूं के बिल्सी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नागरझूला स्थान पर 33/11 के० वी० ए० विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के संबंध में।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुयीं।

माननीय सदस्य श्री राम औतार शाक्य, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री महेन्द्र कुमार, श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री सरवर अली खां, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री सौलत अली एवं श्री योगेन्द्र कुमार की सूचनायें निरस्त की जाती हैं।

(संलग्न वक्तव्य पढ़े हुये माने गये)

मेरठ नगर में प्रतिदिन सड़कों पर आ रहे कूड़े के निस्तारण हेतु कचरे से बिजली बनाने की घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की सूचना पर नियम–51 के अन्तर्ग संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन, मनोरंजन स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्रदेश के महानगरों में प्रतिदिन निकल रहे कूड़े-कचरे से विद्युत उत्पादन की एक योजना नेडा/वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान के माध्यम से योजना चलाये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है। इस दिशा में लखनऊ, कानपुर तथा गाजियाबाद में योजना के संदर्भ में कार्यवाही अंतिम चरण में है, शेष महानगरो में भी चरणबद्ध रूप में कूड़े से बिजली बनाने की योजना को लागू किया जाना प्रस्तावित है। जहां तक मेरठ महानगर में कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन की योजना को संचालित किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में भी नगर निगम मेरठ द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर कतिपय कार्यवाही की गई है। शासन द्वारा इस दिशा में जैसा कि पहले अवगत कराया जा चुका है, कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। निकट भविष्य मे कूड़े-कचरे से विद्युत उत्पादन की योजना को निश्चित रूप से साकार रूप दिया जा सकेगा। इससे जहां एक ओर कूड़े-कचरे एवं अवशिष्ट पदार्थों का प्रदूषण रहित निस्तारण हो सकेगा, वहीं अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन भी संभव हो सकेगा।]

जनपद–बहराइच के थाना–जरवल रोड की पुलिस द्वारा ग्राम–मीरगंज में सुन्नी समुदाय के कुछ मुसलमान को लूटपाट कर आतंकित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामतेज यादव एडवोकेट की सूचना के अन्तर्गत नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय सदस्य विधान सभा श्री रामतेज यादव एडवोकेट द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पुलिस अधीक्षक बहराइच की जांच आख्या प्राप्त की गई।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–ग्राम–मीरगंज थाना व ब्लाक जरवल रोड में करीब 145 घर सुन्नी के तथा 30 घर शियाओं के हैं। वर्ष 1997 के अगस्त माह में शियाओं द्वारा मुहर्रम के त्योहार से पहले निकाले जाने वाले नौचन्दी के जुलूस की बात को लेकर सुन्नी तथा शिया सम्प्रदाय के बीच मनमुटाव पैदा हो गया था। उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष आदि के प्रयासों से नौचन्दी का जुलूस मनमुटाव समाप्त हो जाने के बाद शान्तिपूर्वक सम्पन्न होने लगा।

3–वर्ष 1998 में मुहर्रम का त्योहार आने पर नौचन्दी का जुलूस शियाओं द्वारा पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत उनके मुहल्लों से निकाले जाने के कारण सुन्नी जाति के लोग काफी नाराज रहा करते थे। इस वर्ष भी इसी मनमुटाव के कारण सुन्नी समुदाय के लोग शिया सम्प्रदाय के लोगों को अपने मोहल्ले से होते हुये ताजिया लाने हेतु राजी नहीं थे। जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों की मीटिंग करके शिया जाति के 25 लोगों को ताजिया उठाने एवं ले जाने हेतु सुन्नी सम्प्रदाय के लोगों के मुहल्लों से निर्धारित मार्ग से अनुमति दी।

4–मुहर्रम का त्योहार सम्पन्न हो जाने के बाद 8-5-98 को जब शिया जाति के लोग मजलिश के लिये मोहम्मद जकी इमामबाड़े में जा रहे थे तो सुन्नी पक्ष के व्यक्ति जावेद के नेतृत्व में सुन्नी पक्ष के लोगों ने भारी संख्या में धावा बोलकर शिया जाति के लोगों के घरों में आग लगा दिया तथा बम फेंककर आगजनी की। इस घटना में कर्रार हुसैन, शाजिद अली, मंजूर हुसैन तथा शाजिद हुसैन का मकान तथा सारा सामान जल गया। बमबारी की घटना में श्रीमती बिन्टेजुहरा, सगीर, कर्रार हुसैन, मुर्सरफ तथा समसीर आदि को चोटे आयी। उक्त घटना के संबंध में शिया पक्ष के कर्रार हुसैन, की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या–66/98 धारा 147/148/149/307/452/423/504/506/427/436/295 ए भा० द० वि० व 5 वि० पदार्थ अधिनियम अभियोग सुन्नी जाति के जावेद आदि 14 व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 8-5-98 को पंजीकृत किया गया तथा शिया पक्ष की ही तरफ से साजिद अली की सूचना पर मु० अ० सं० 67/98 धारा 147/148/149/307/352/504/506/436/427/295 ए भा० द० वि० व 5 वि० पदार्थ अधिनियम सुन्नी पक्ष के जावेद आदि 43 लोगों के विरुद्ध दिनांक 8-5-98 को पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उक्त दोनों मुकदमों में सुन्नी जाति के 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके घरों की तलाशी ली गयी। सुन्नी पक्ष के गुलाम रसूल की सूचना पर मु० अ० सं० 67ए/98 धारा 147/148/149/394/435 भा० द० वि० शिया जाति के मंजूर हुसैन आदि 21 व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 9-5-98 को पंजीकृत किया गया। जांच से यह पाया गया बहुसंख्यक सुन्नी पक्ष के लोगों ने शियाओं के घर पर हमला बोल दिया उनके घर को फूंका एवं उन्हें मारा पीटा, बम चलाया और बाद में अपने बचाव में अपने ही सुन्नी पक्ष के गैर रिहायसी फूस की झोपड़ी में स्वतः आग लगा दी। जिससे शियाओं को फंसाया जा सके। दोनों तरफ से मुकदमा कायम हुआ। विवेचना के दौरान सुन्नी पक्ष की तरफ से गुलाम रसूल द्वारा लिखाये गये मुकदमा झूठा पाये जाने पर दिनांक 31-5-98 को अन्तिम रिपोर्ट व जुर्म खारिज रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गई।

5–सुन्नी पक्ष के लोग जो इस घटना में दोषी पाये गये प्रभावित व्यक्तियों द्वारा लाभ पाने के लिये पुलिस के खिलाफ 6-5-98 को लूटपाट एवं एक तरफा कार्यवाही की शिकायतें करायी गई। जो जांच से सत्य नहीं पाये गये। यह भी शिकायत असत्य पाई गई है कि सुन्नी सम्प्रदाय के लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए गांव छोड़कर भाग रहे हैं। गांव में 1.1/2 सेक्शन पी० ए० सी० तथा 2 कांस्टेबिल अभी भी तैनात हैं। शान्ति व्यवस्था बरकरार है।]

जनपद अलीगढ़ के खैर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टप्पल ब्लाक के किसानों की हजारों एकड़ जमीन यमुना नदी के कटान से हरियाणा प्रान्त में चले जाने तथा हरियाणा और दिल्ली के भू–माफियाओं द्वारा किसानों की जमीन क्रय कर आतंक का वातावरण बनाए जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीया सदस्य, डा० ज्ञानवती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी उपर्युक्त सूचना के संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश–हरियाणा तथा दिल्ली के मध्य सीमा विवादों से सम्बद्ध समस्त जनपदों के सीमा विवाद से संबंधित सभी मामलों का परीक्षण दीक्षित एवार्ड पर लिये गये निर्णय के अनुश्रवण की प्रगति तथा विभिन्न जनपदों में इससे संबंधित वर्तमान स्थिति का परीक्षण एवं इन विवादों के विषय में स्थायी समाधान निकालने हेतु उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की ओर से क्रमशः मण्डलायुक्त, मेरठ तथा मण्डलायुक्त, रोहतक को नोडल अधिकारी नामित किया गया है । नोडल अधिकारियों की उच्च अधिकारी स्तर की बैठक आयोजित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है । अधिकारी स्तर की बैठक की तिथि व समय शीघ्र ही सुनिश्चित कर समस्याओं के स्थाई समाधान हेतु लिए गये निर्णयों पर सम्यक विचारोपरान्त क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं, 13-7-98 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर सोमवार 13 जुलाई, 1998 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

10 जुलाई, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

अनुलग्नक–1

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अवशेष कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट

जनपद सीतापुर

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	प्रारम्भ से लेकर 1996-97 तक चयनित कुल	कुल संतृप्त ग्राम	अवशेष ग्राम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1–विद्युतीकरण		370	370	—	
2–नाली खड़न्जा		370	370	—	
3–स्वच्छ शौचालय		370	370	—	
4–निःशुल्क बोरिंग		370	370	—	
5–इन्द्रा आवास		370	370	—	
6–स्वच्छ पेयजल		370	370	—	
7–स्कूल भवन		370	370	—	
8–आई० आर० डी० पी०		370	370	—	
9–किसान पेंशन		370	370	—	
10–विधवा पेंशन		370	370	—	
11–सम्पर्क मार्ग		370	113	257	

राधेश्याम

मंत्री,

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुलग्नक–2

वर्ष 1997-98 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की प्रगति रिपोर्ट

जनपद सीतापुर माह मई, 1998 तक

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों की संख्या	मई 1998 तक संतृप्त ग्रामों की संख्या	संतृप्तीकरण हेतु शेष अम्बेडकर ग्रामों की संख्या
1	सम्पर्क मार्ग	90	14	76
2	विद्युतीकरण	90	16	74
3	नाली/खड़न्जा	90	73	17
4	स्वच्छ शौचालय	90	56	34
5	निःशुल्क बोरिंग	90	21	69
6	आई० आर० डी० पी०	90	90	—
7	इन्द्रा आवास	90	10	80
8	पेयजल	90	39	51
9	स्कूल भवन	90	88	02
10	किसान पेंशन	90	10	80
11	विधवा पेंशन	90	25	65

राधेश्याम
मंत्री,
अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 333 विधान सभा (477)–1998–813 (डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा